वर्ष : 10, अंक : 04 अक्टूबर-दिसम्बर 2025 ISSN: 3107-9733

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

विशेष : भारतीय भाषा दिवस विशेषांक

धर्मेन्द्र प्रधान
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Dharmendra Pradhan

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शिक्षा मंत्री
भारत सरकार
Minister of Education
Government of India

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र तथा हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, दिल्ली** के संयुक्त तत्वावधान में 'भारतीय भाषा दिवस' के उपलक्ष्य में दिनांक 15 दिसंबर, 2025 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में "भारतीय भाषा उत्सव" एवं 'मेधावी छात्र तथा भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है। सम्मानित मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 भारतीय भाषाओं के उन्नयन, संवर्धन और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्पित है। मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने तथा भाषाई सौहार्द को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'भारतीय भाषा उत्सव' का यह आयोजन अत्यंत सार्थक एवं प्रेरणादायी है। भारतीय भाषाओं की गौरवशाली परंपरा और समृद्ध सांस्कृतिक बहुलता को समर्पित यह उत्सव न केवल एक सांस्कृतिक पर्व है, बल्कि भाषाई विविधता में निहित हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का उत्सव भी है। मुझे विश्वास है कि यह संयुक्त प्रयास न केवल भाषाई गौरव को पुनर्स्थापित करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी में भाषाई स्वाभिमान और रचनात्मकता की भावना को भी प्रबल करेगा।

मैं इस महत्त्वपूर्ण आयोजन से जुड़े सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ तथा इसकी सफलता की कामना करता हूँ। स्मारिका के सुरूचिपूर्ण प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(धर्मेन्द्र प्रधान)

MOE - Room No. 301, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001, Phone : 91-11-23782387, Fax : 91-11-23382365
E-mail : minister.sm@gov.in

वर्ष : 10, अंक : 04 अक्टूबर-दिसम्बर 2025

हिन्दुस्तानी भाषा भारती

मूल्य : 30 रुपये

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका)

सम्पादक मंडल

सम्पादक : **सुधाकर बाबू पाठक**
E-mail: sudhakarpathak51@gmail.com

प्रबन्ध सम्पादक : **विजय कुमार शर्मा**
E-mail: vk1949sharma@gmail.com

संयुक्त सम्पादक : **राजकुमार श्रेष्ठ**
E-mail: rajjiwanbooks@gmail.com

सह सम्पादक : **विनोद कुमार शर्मा**
E-mail: vinodparashar1961@gmail.com

उप सम्पादक : **संदीप कुमार**
E-mail: kumarsandeep05169@gmail.com

: **सुषमा भण्डारी**
E-mail: koplein@gmail.com

: **बिनीत कुमार**
E-mail: vineetpandeykavi@gmail.com

: **डॉ. वनीता शर्मा**
E-mail: vanita62happy@gmail.com

सम्पादकीय सलाहकार : **सुरेखा शर्मा**

: **सरोज शर्मा**

: **डॉ. सोनिया अरोड़ा**

: **शशि प्रकाश पाठक**

: **गरिमा संजय**

प्रकाशक :

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट

म.नं. 3675, राजा पार्क, शकूरबस्ती, दिल्ली-110034

ई-मेल : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com

वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

सम्पर्क सूत्र : 09873556781, 09968097816

प्रारंभिक वर्ष: 2016 ● भाषा: हिन्दी
भारतीय भाषाओं, बोलियों और उनके साहित्य-संस्कृति की अव्यवसायिक त्रैमासिक पत्रिका

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के अपने विचार हैं। प्रकाशक का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा। सम्पादन एवं संचालन पूर्णत: अवैतनिक और अव्यावसायिक है।

प्रकाशक, सम्पादक व मुद्रक सुधाकर बाबू पाठक द्वारा स्वामी हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी ट्रस्ट, 3675, राजा पार्क, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 के लिए प्रकाशित और सन्नी प्रिन्टर्स, बी-234, नारायणा इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110028 से मुद्रित।

विषय सूची

अतिथि आलेख : डॉ. सच्चिदानंद जोशी
भारतीय भाषा दिवस : अवसर संकल्प का 04

सम्पादकीय : सुधाकर पाठक
भारतीय भाषा उत्सव: भारत को बुनता एक भाषाई सूत्र 05

विषय आलेख : आकाश पाटील
भारतीय भाषा उत्सव : भाषाई स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का उत्सव 08

हिन्दी के विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर होते सशक्त कदम 09
-डॉ. अजित कुमार

भारतीय भाषा दिवस समारोह-2023 के कुछ चित्र 11

भारतीय भाषा दिवस : बच्चों को भाषाई संस्कार से जोड़ने का स्वर्णिम अवसर -राजकुमार श्रेष्ठ 15

रिपोर्ट : दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव: कलरव-2.0 का भव्य आयोजन 17

हिन्दी और भारत की लोकभाषाएँ -वीरेंद्र परमार 19

राजभाषा:राष्ट्रभाषा: मातृभाषा-भारत को चाहिए भाषा-स्वराज 23
-विजयदत्त श्रीधर

हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता : समस्या और संभावनाएँ 26
-डॉ. प्रदीप उपाध्याय

आम बोलचाल और रोजगार के रूप में हिन्दी की स्थिति 28
-दिलीप कुमार शर्मा 'अज्ञात'

कॉर्पोरेट क्षेत्र में हिन्दी की उपस्थिति -श्याम नारायण श्रीवास्तव 30

शिक्षक को भाषा के बारे में पत्र (संशोधित) -विजय प्रभाकर नगरकर 33

भाषण से नहीं आचरण से बचेगी हिन्दी -डॉ. दीनदयाल साहू 34

भारतीय भाषा उत्सव पर प्रधानाचार्य की प्रतिक्रिया -डॉ. अंजू मेहरोत्रा 36

शिक्षा और शोध के रूप में हिन्दी की दशा और दिशा -सुशीला साहू 37

प्रधानाचार्य की नजर में : भारतीय भाषा उत्सव -डॉ. वी.के. बड़थवाल 38

भारतीय भाषा दिवस समारोह-2024 के कुछ चित्र 39

शिक्षा और शोध के रूप में हिन्दी की दशा और दिशा 43
-डॉ. मीनाक्षी जोशी

युवा मत :
रोजगार के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति -सुनीता मिश्रा 45
हिन्दी का उचित स्थान : आठवीं अनुसूची या राष्ट्रभाषा? -दीपिका 47

अतिथि आलेख

भारतीय भाषा दिवस : अवसर संकल्प का

डॉ. सच्चिदानंद जोशी
सदस्य सचिव, इं.गा.रा.क.केन्द्र

कहा जाता है कि भाषाएँ किसी भी राष्ट्र की वंशावली होती है । भारत भाषाई दृष्टि से एक समृद्ध देश है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक भाषाएँ एवं बोलियाँ विद्यमान है । भारत की भाषाई विविधता समूचे विश्व में कौतूहल का विषय है । भारत की स्वतंत्रता के बाद जिस तरह की शिक्षा प्रणाली भारत में लागू की गई उसने भारतवासियों के मन में अपनी मातृ भाषा के प्रति अलगाव पैदा किया तथा दूरियाँ बढ़ाई । परिणामत: हम अपनी मातृ भाषाओं से ही बिछड़ते चले गए । भारत के भाषाई वैभव को दरकिनार करते हुइ विदेशी भाषाओं का सहारा लिया गया तथा उन्हें बढ़ावा दिया गया ।

भाषाएँ भविष्य को संस्कार भी देती हैं और संवाद भी, लेकिन उस भाषा का सही प्रयोग मनुष्य को मनुष्य बनाता है । टेक्नोलॉजी के वर्तमान दौर में जहाँ बहुत सारी बातें सहज और सरलता से उपलब्ध हैं तथा न्यूनतम प्रयासों से जटिल से जटिल बातें सुलझाई जा सकती हैं वहाँ भाषा को गौण मानकर उसके प्रति अगंभीर दृष्टिकोण अपनाया गया । सामान्य बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया कि भाषा का लालित्य, सौष्ठव और सौंदर्य समाप्त होता चला गया । यह भी दुखद बात है कि शिक्षा के अलग-अलग स्तर पर भाषा के परिष्कार पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया। भारत में 1600 से अधिक भाषाएँ तथा बोलियाँ प्रचलित हैं । लेकिन उस भाषा के कम प्रयोग के कारण भाषाओं का लुप्त होना भी तेजी से जारी रहा । ऐसे में यह दिन दूर नहीं जब हमें अपनी उन तमाम भाषाओं से हाथ धोना पड़ेगा, जिनमें हमारा प्रचुर साहित्य रचा गया है ।

विगत कुछ वर्षों में भारत का सांस्कृतिक नवजागरण हो रहा है तथा अपनी भाषाओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति तथा अपनी परंपराओं के प्रति एक नया विश्वास तथा आस्था पैदा हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सन् 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जिन पंच प्रण का आह्वान किया था, उसमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का आह्वान प्रमुख था । उसी के अनुपालन में सन् 2022 से बहुभाषी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती के जन्मदिन 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया । इसका उद्देश्य भारत की संस्कृति और कला में विविधता का उत्सव मनाना, राष्ट्र की एकता, सद्भाव और अखंडता को सुदृढ़ करना और अपनी मातृ भाषा के प्रति अनुराग पैदा करना था ।

भारतीय भाषाओं पर केन्द्रित, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ने हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के साथ मिलकर कई महत्त्वपूर्ण आयोजन किये हैं । पिछले साल भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर सन् 2023 में एक विशाल आयोजन कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ऐसे स्कूली विद्यार्थियों को पदक एवं प्रमाणपत्र वितरित किए गए, जिन्होंने अपनी मातृभाषा की परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये थे । ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लगभग साढ़े आठ हजार थी । साथ ही मातृभाषा पढ़ाने वाले लगभग तीन सौ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद तथा तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी इस अवसर पर उपस्थित थीं ।

भारतीय भाषा दिवस पर होने वाले आयोजनों में संभवत: यह सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण आयोजन था । इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में अपनी भाषा के प्रति गौरव का भाव जाग्रत करना तो था ही, साथ ही यह भी उद्देश्य था कि ये विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति, समाज, परंपरा तथा आस्था से और निकटता से जुड़ सकें । भारतीय भाषा दिवस का आयोजन इसलिए प्रासंगिक और महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत अब विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहाँ अपनी अस्मिता के प्रति गौरव भाव सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है । हमें अपनी भाषाओं के संरक्षण और उन्नयन के लिए गंभीर होना होगा । हमें अपनी भाषाओं के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रचार तथा प्रयोग के लिए आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना होगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक श्रेष्ठ पहल मातृ भाषा में शिक्षा की भी है । इसके लिए मातृभाषा में अध्ययन सामग्री का विकास भी महत्त्वपूर्ण है । इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना तथा ऐसे अध्येताओं को तैयार करना आवश्यक है जो स्तरीय गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-सामग्री का लेखन विभिन्न भारतीय भाषाओं में कर सकें ।

इस वर्ष इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र तथा हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एक बार पुन: भारतीय भाषा दिवस का आयोजन 11 दिसंबर, 2024 को अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर रहे हैं, जहाँ देश के शीर्ष विचारक, चिंतक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे प्रेरक व्यक्तित्वों से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का साक्षात्कार होगा । यह आयोजन सिर्फ मैडल अथवा प्रमाणपत्र वितरित करने का आयोजन नहीं है । यह आयोजन विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा उनके उत्साह से प्रेरित होने का आयोजन है । यह आयोजन संकल्प करने का भी आयोजन है कि कैसे हम अपनी भाषाओं को न सिर्फ संरक्षित और संवर्धित करें, बल्कि उनका प्रयोग कर स्वयं गौरवान्वित भी अनुभव करें ।

सम्पादकीय

भारतीय भाषा उत्सव: भारत को बुनता एक भाषाई सूत्र

सुधाकर पाठक
सम्पादक एवं अध्यक्ष,
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

भारतीय भाषा उत्सव भारत की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रतीक है, जो देश को एक भाषाई सूत्र में बांधता है । यह उत्सव हिन्दी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु सहित सैकड़ों भाषाओं और बोलियों को सम्मान देता है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लोगों को जोड़ती है । भाषाएँ न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि हमारी विरासत, साहित्य, कला और परंपराओं की संवाहक भी हैं । इस उत्सव के माध्यम से हम भाषाई एकता की भावना को मजबूत करते हैं, जहाँ 'विविधता में एकता' का आदर्श साकार होता है और भारत एक मजबूत, समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरता है ।

आजकल साहित्यिक महोत्सवों का दौर चल पड़ा है । सभी आयोजन भव्य होते हैं, किंतु इनमें भाषा जैसे संवेदनशील और मूलभूत विषय पर गंभीर परिचर्चा शायद ही कभी देखने को मिलती है । जहाँ कहीं मुझे आमंत्रित किया जाता है, मैं मंच से यही आग्रह करता रहा हूँ कि आप कविता-पाठ कीजिए, पुस्तक-समीक्षा कीजिए, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीजिए, फिल्मों पर विमर्श कीजिए। ये सब अनमोल हैं, पर इन सबके बीच कम-से-कम एक सत्र तो भाषा के लिए अवश्य रखिए । भाषा ही समाज और साहित्य को दिशा देती है । भाषाएँ बचेंगी तो साहित्य बचेगा, साहित्य बचेगा तो संस्कृति बचेगी । साहित्य हमें मनुष्य बनाता है तो भाषा हमें संस्कारित करती है । भाषा के बिना मनुष्य, समाज और देश का अस्तित्व ही नहीं है । साहित्यिक महोत्सव केवल मनोरंजन या लोक रंजन तक सीमित न रहें; वे हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा की गरिमा, उसकी समृद्धि और उससे जुड़े गौरव से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनें ।

इन उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए 'भारतीय भाषा उत्सव' एक अत्यंत सार्थक, दूरगामी और समावेशी पहल है । यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान है जो भारत की सभी भाषाओं, चाहे वे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएँ हों, या सैकड़ों जीवंत बोलियाँ एवं उपभाषाएँ तथा उनसे जुड़ी संस्कृति, सभ्यता, मान्यताओं, परंपराओं, साहित्य, लोक-कलाओं और ज्ञान-पद्धतियों का एक विराट साझा उत्सव है । यह उत्सव हर भाषा-समुदाय को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी मातृभाषा न केवल उसकी निजी धरोहर है, बल्कि समग्र भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है । यहाँ कोई भाषा बड़ी या छोटी नहीं, कोई बोली ग्रामीण या शहरी नहीं; सभी को समान मंच, समान सम्मान और समान उत्साह मिलता है । सभी भाषा-बोलियों के संरक्षण, संवर्धन, विकास और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से इस उत्सव का विशेष महत्त्व है । साथ ही यह उत्सव क्षेत्रवाद, भाषाई संकीर्णता और परस्पर अविश्वास की भावना को पूरी तरह निरस्त करता है; इसके स्थान पर एक गहरा सामाजिक सौहार्द, भाषाई-सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करता है । इसलिए भारतीय भाषा उत्सव न केवल एक वार्षिक आयोजन है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा भारत सौंपने की सतत् यात्रा है ।

वर्ष 2022 से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को 'भारतीय भाषा दिवस' के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई थी । इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी वर्ष 2023 से भव्य रूप में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन करती आ रही है । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी पिछले आठ वर्षों से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों और उनके भाषा शिक्षकों को सम्मानित करती आ रही है । इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा में किसी एक भारतीय भाषा (हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिन्धी, उर्दू आदि) में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं उन्हें पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है । अकादमी के इस महत्त्वपूर्ण वार्षिक आयोजन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार और उन्नयन करना है ।

'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्त्वावधान में भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर, 2023 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 'भारतीय भाषा उत्सव' के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन किया गया था । इस विहंगम सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति माननीय

रामनाथ कोविन्द जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री माननीया श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी की गरिमामयी उपस्थिति थी । अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानन्द जोशी, डॉ. अजीत कुमार, निदेशक (रा.भा.) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक मंचासीन थे । मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं सामूहिक राष्ट्रगान द्वारा कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारम्भ किया गया था ।

चार सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविन्द जी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों और भाषा शिक्षकों को देखकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है । इतना विराट, विशाल और वैभवशाली भारत आज मेरे सामने हैं । इस विहंगम दृश्य को देखकर कौन मुग्ध और मोहित नहीं होगा । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज माली और फूल एक साथ बैठे हैं । मैं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा देश के भविष्य और देश के भविष्य के निर्माताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने हेतु भारतीय भाषा उत्सव आयोजित करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । सचमुच भाषा हमें गढ़ती हैं और अपनी मिट्टी से जोड़ने का काम भी करती है । भारत केवल प्राचीन सभ्यता के लिए ही नहीं, अपितु अपनी संस्कृति और भाषाई संस्कृति के लिए भी जाना जाता है । भाषा ही हमारे भीतर आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन का विकास करती है । हमें संस्कारित करने के साथ मानवीय मूल्यों और मान्यताओं से भी जोड़ती है ।

विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह कोई भाषा नहीं जानता । वह सबसे पहली भाषा वही सीखता है, जो उसकी माँ उसे सिखाती है । इसीलिए उसे मातृभाषा की संज्ञा दी गई है । उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय भाषाओं को सिखाया जा रहा है । सबसे अनूठी बात यह है कि देश-दुनिया में भारतीय भाषाओं के प्रति रूझान बढ़ा है । हमारी भाषाएँ बहुत प्राचीन हैं, जिन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने का काम किया है । हमें अपनी भाषा को बढ़ावा देना होगा, तभी गुलामी की जंजीरे टूटेंगी । भाषा वह माध्यम है जिससे कोई भी समाज अपना ज्ञान, संस्कृति और संस्कार भावी पीढ़ियों तक पहुँचाता है । इस अवसर में 268 विद्यालयों के 8166 मेधावी छात्रों को 'भाषादूत सम्मान', शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 145 छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' तथा 9 भारतीय भाषाओं के 742 भाषा शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' से सम्मानित किया गया था ।

इसी तरह 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार' एवं 'हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, दिल्ली' के संयुक्त तत्त्वावधान में 'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर बुधवार, 11 दिसम्बर, 2024 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, दिल्ली में 'भारतीय भाषा उत्सव' के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के 'मेधावी छात्र एवं भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ । दो सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में डॉ. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सुधाकर पाठक, अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी, प्रमुख अतिथि, कर्नल आकाश पाटिल, निदेशक, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, डॉ. अजित कुमार, निदेशक, राजभाषा अनुभाग, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी की गरिमामयी उपस्थिति थी । मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं भारतीय भाषा उत्सव-2024 की स्मारिका के लोकार्पण के बाद सामूहिक राष्ट्रगान से कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारम्भ किया गया ।

प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ.अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर केवल एक कन्वेंशन सेंटर ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए कठोर और प्रमाणिक अनुसन्धान करने का एक चार्टर है । जब हमें पता चला कि 'भारतीय भाषा दिवस' के अवसर पर 309 विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि एक सहयोगी संस्था के रूप में हम भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आपका मार्गदर्शन लेंगे । उन्होंने आगे कहा कि भीम ऑडीटोरियम को एक वर्ष में इतना भरा हुआ कभी नहीं देखा । भारतीय भाषा दिवस पर आप सभी से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है ।

वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी ने भारतीय भाषाओं, लोकभाषाओं, बोलियों, बोलियों के भाषा बनने की प्रक्रिया, भाषाओं के आपसी समन्वय, वैश्विक भाषाओं के साथ आदान-प्रदान तथा भाषाओं के विलुप्तिकरण पर अपनी बात रखी। भाषा की भूमिका पर उन्होंने कहा कि भाषा एक समष्टि प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया है । आदमी से आदमी को जोड़ने की प्रक्रिया है। भाषा का जन्म ही संवाद की इच्छा से होता है । यदि

आदमी अकेला ही रहा होता तो ना उसे भाषा की जरूरत थी, ना ही संस्कृति की जरूरत थी । भाषा की जरूरत इसलिए है कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है; बिना संवाद के वो रह नहीं सकता ।

अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि भाषा ही एक ऐसी चीज है जो हमको अन्य प्राणियों से अलग करता है । हम सब यह भी जानते हैं की बहुत से अन्य प्राणी भी वही करते हैं जो हम कर रहे होते हैं, किन्तु हमारे पास भाषा है, इसलिए हम उन प्राणियों से श्रेष्ठ हैं । जब भारत सरकार ने राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती की जन्म शताब्दी वर्ष पर यह निर्णय लिया कि हम भारतीय भाषा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाएँगे, तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह सारा काम हमने इतने समय बाद क्यों किया ? बहुत सारे शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि स्वतंत्रता के बाद से लगातार हम कई वर्षों तक औपनिवेशिक मानसिकता को ही ढोते रहे हैं । इसलिए भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया । जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी भाषाओं पर गर्व करना चाहिए और औपनिवेशिक मानसकिता से मुक्ति पा लेनी चाहिए, तब हमने भारतीय भाषा दिवस मनाना प्रारम्भ किया । यह भारत के लिए ही नहीं समूचे विश्व के लिए गर्व की बात है कि भारत जैसा देश, जहाँ पर सबसे ज्यादा भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं, वहाँ भाषा का इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है । आप सबको यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष जो आयोजन हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया था, जहाँ लगभग 10000 विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित थे, संभवत भारतीय भाषा दिवस का वो पूरे देश में सबसे बड़ा आयोजन था और उसकी गूंज पूरे देश में कई-कई जगहों तक फैली । हम इस आयोजन को राष्ट्रीय आयोजन इसलिए भी कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ अलग-अलग भाषाओं के लोग आकर बसते हैं । दिल्ली में केवल अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम के ही नहीं तमिल, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगला, उर्दू सभी माध्यमों के विद्यालय है । इसलिए दिल्ली में हम ऐसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो निश्चिततौर पर वो भारतीय भाषा का राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है जिस कार्यक्रम के साक्षी आप लोग हैं ।

आयोजन की इसी श्रृंखला में इस वर्ष 15 दिसम्बर, 2025 को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्त्वावधान में डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के सभागार में कुल 315 विद्यालयों के 9 भारतीय भाषाओं के 839 शिक्षकों को 'भाषा गौरव शिक्षक सम्मान' तथा भारतीय भाषाओं में शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 275 छात्रों को 'भाषा रत्न सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा । इसके साथ ही 6,699 मेधावी छात्रों को परोक्ष रूप से 'भाषादूत सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा ।

इस सम्मान योजना के अंतर्गत अब तक 1287 विद्यालयों के 3370 भाषा शिक्षकों को एवं 33,335 छात्रों को सम्मानित किया जा चुका है ।

भारतीय भाषा उत्सव : आयोजन सहयोगियों का सम्मान

विषय आलेख

भारतीय भाषा उत्सव : भाषाई स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का उत्सव

आकाश पाटील
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र

भारत अपनी अद्‌भुत भाषाई विविधता के लिए विश्व में अनूठा स्थान रखता है । भारतीय भाषाएँ केवल संचार का साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, दर्शन और रचनात्मक चेतना की धरोहर हैं । इसी बहुरंगी भाषाई परंपरा के सम्मान और प्रसार के उद्देश्य से भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव हमारे भाषाई गौरव और सांस्कृतिक स्वाभिमान को अभिव्यक्त करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है । भाषाएँ केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का दर्पण हैं । वे हमारी सोच, मूल्य और जीवन-दृष्टि को गहराई से प्रभावित करती हैं। इसलिए भाषाओं का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की मूल आवश्यकता है ।

भारत ने सदा से अपनी भाषाई विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के अद्वितीय वैभव को विश्व-पटल पर उजागर किया है । भारत में बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाएँ और हजारों बोलियाँ अपनी-अपनी लोककथाओं, साहित्य, दर्शन और ऐतिहासिक चेतना के साथ एक विराट, सजीव शब्द-चित्र रचती हैं । इन भाषाओं में संचित हमारे पूर्वजों का श्रम, संवेदना, उत्सव और ज्ञान-समूची सभ्यता की स्मृति और रचनात्मकता का अद्वितीय भंडार है । राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और भारत की विविधता ही उसकी असली शक्ति है । भाषाओं का सम्मान, समावेशी भावना और सांस्कृतिक भाईचारे को सुदृढ़ करना राष्ट्रीय एकता का स्रोत है । यह उत्सव सभी भाषाओं के बीच पारस्परिक सम्मान, संवाद और सौहार्द की भावना को अभिव्यक्त करता है, जिससे कोई भी भाषा स्वयं को कमतर न समझें, हर भाषा सम्मानित हो ।

भारत की हर भाषा केवल अभिव्यक्ति की विधा नहीं है, बल्कि वह स्मृतियों, परंपराओं, जीवन-दर्शन और सामूहिक चेतना का वाहक है । भारतीय भाषाएँ अपने भीतर सहस्त्राब्दियों की साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत लिए हैं । वे हमारी सोच, मूल्य तथा सामूहिक मन को निरंतर आकार देती हैं । इसलिए इनका संरक्षण केवल भाषाई सरोकार नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मिक और सांस्कृतिक निरंतरता की सबसे बड़ी निधि है । प्रत्येक भाषा ने भारत की संस्कृतिक बनावट को बेजोड़ समृद्धि दी है । इन अनुभवों को समृद्ध करना, संरक्षित करना और भावी पीढ़ी तक पहुँचाना हमारा साझा दायित्व है । आज अत्याधुनिक तकनीकी युग में, वैश्वीकरण के दबावों तथा विश्व की समावेशी भाषाओं के बढ़ते प्रवाह के बीच, अनेक भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ भाषा-संकट के दौर से गुजर रही हैं । यह उत्सव हमें निरंतर स्मरण कराता है कि कोई भी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि वह हमारे इतिहास, सोच, जीवन-दृष्टि, और राष्ट्रीय चरित्र का परिष्कृत दर्पण है । भाषाओं की विविधता ही हमारी सांस्कृतिक समृद्धि तथा बौद्धिक स्वतंत्रता का मूलाधार है । प्रत्येक भारतीय भाषा अपने भीतर हजारों वर्षों की स्मृति, लोक परंपरा, दर्शन, साहित्य और मूल्यों का सार संजोए हुए है । आज मातृभाषाएँ और देशज बोलियाँ अनेक कारणों से संकटग्रस्त हैं; इसलिए इनके संरक्षण और संवर्धन का दायित्व हम सभी पर है ।

'भारतीय भाषा उत्सव' का मुख्य उद्देश्य न केवल भारतीय भाषाओं की विरासत का जागरण और सम्मान करना है, बल्कि उनकी जीवन्तता, प्रासंगिकता और रचनात्मक ऊर्जा को आज और भावी पीढ़ियों तक संप्रेषित करना है । यह उत्सव हमारे भाषाई स्वाभिमान का, सांस्कृतिक चेतना का और 'अनेकता में एकता' के आदर्श का उत्सव है । अनेक शोध इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि मातृभाषा में सीखना सबसे प्रभावी, सहज, रचनात्मक और स्वाभाविक होता है । यह उत्सव शिक्षार्थियों, शिक्षकों और समाज को मातृभाषा-आधारित शिक्षा की ओर प्रेरित करता है । भारतीय भाषा उत्सव समाज को मातृभाषा आधारित शिक्षा, शोध और नवाचार की दिशा में प्रेरित करता है । भारत में प्रत्येक भाषा समान रूप से महत्त्वपूर्ण है । भाषा उत्सव भाषाओं के बीच सम्मान, समरसता और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देता है ।

तकनीक और डिजिटल दुनिया के विस्तार के कारण युवा मातृभाषाओं से दूर होते जा रहे हैं । यह उत्सव उन्हें अपनी जड़ों, संस्कृति और भाषाई पहचान से पुनः जोड़ता है । भारत के भविष्य का निर्माण तभी संभव है, जब हमारी युवा पीढ़ी हमारी भाषाओं के महत्त्व को समझे, उन्हें अपनाए और रचनात्मक रूप से आगे बढ़ाए । भारतीय भाषा उत्सव इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जो युवा मनों को भाषा-संरक्षण, लेखन, अनुवाद, शोध और नवाचार की ओर प्रेरित करता है । युवा पीढ़ी का अपनी मातृभाषाओं और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना आवश्यक है । यह भाषा उत्सव युवा मनों को नई भाषाई खोज, अनुवाद, रचनात्मक लेखन, लोक-परंपराओं और विज्ञान से परिचित कराने का उत्तम माध्यम है । भारतीय भाषाएँ हजारों वर्षों की साहित्यिक और बौद्धिक परंपराओं को अपने भीतर संजोए हुए हैं । यह उत्सव उन परंपराओं का पुनः परिचय कराता है और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करता है । भारत की विविधता ही उसकी शक्ति है । भाषाई विविधता को सम्मान देना हमारी सामूहिक राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करता है । यह उत्सव विविधता में एकता के भारतीय भाव को जीवंत करता है ।

शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

हिन्दी के विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर होते सशक्त कदम

डॉ. अजित कुमार
निदेशक : राजभाषा

सृष्टि के आरंभ काल से ही भाषा का गहरा नाता मानव समाज से जुड़ा हुआ है। भाषा मानव जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है, जिसके अभाव में मानव मौन और असहाय प्रतीत होता है। इस विश्व में असंख्य महाद्वीप, विविध राष्ट्र और अनेक प्रांत समाहित हैं।भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह अमर वाक्य, चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर वाणी, बीस कोस पर पगड़ी बदले, तीस कोस पर धानी, आज भी पूर्णत: सार्थक प्रतीत होता है। विदेशों से व्यापार के लिए संप्रेषण हेतु आवश्यकता अनुसार भाषा को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री और उनके प्रचार-प्रसार के लिए अपनाए जाने वाले माध्यमों में स्थानीय भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राय: हिन्दी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी अपने उत्पादों की बिक्री हेतु हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को अपना रही हैं।

आज संचार साधनों की प्रगति ने स्थानों के बीच की दूरियों को न केवल महत्वहीन बना दिया है, बल्कि एक प्रकार से समाप्त ही कर दिया है। संपूर्ण विश्व अब एक विशाल ग्राम के समान बन चुका है, जहाँ कभी भी, कहीं से भी, और किसी से भी त्वरित संपर्क स्थापित किया जा सकता है, यदि आपके पास इसके लिए आवश्यक साधन उपलब्ध हों। यह भी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि वैश्वीकरण के इस युग में केवल विश्व की दस भाषाएं ही अस्तित्व में रहेंगी, जिनमें हिन्दी भी एक प्रमुख भाषा होगी। वैश्वीकरण और बाजारवाद के संदर्भ में हिन्दी का महत्व इस कारण बढ़ेगा, क्योंकि भविष्य में भारत व्यावसायिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से एक समृद्ध और उन्नत राष्ट्र बनेगा।

"मातृभाषा का करो प्रचार, हिन्दी से ही देश उद्धार।"

विश्व भाषाएं वे भाषाएं मानी जा सकती हैं, जिनके प्रयोक्ता विभिन्न देशों में बसे हुए हैं, किंतु विश्वभाषा के वास्तविक अधिकार का दावा उन भाषाओं को ही है, जो संसार के अधिकांश देशों में लिखी, बोली, पढ़ी, सुनी और समझी जाती हैं।वस्तुत: प्रत्येक विश्वभाषा के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। संचार और जनसंपर्क, साहित्यिक सृजन, शिक्षा और जनसंचार माध्यमों का संचालन, प्रशासनिक कार्य, व्यावसायिक और तकनीकी उपयोग, और विश्वबोध या वैश्विक चेतना की वृद्धि। विश्वभाषा से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके बोलने और समझने वालों का भौगोलिक विस्तार व्यापक हो। आज भारत के अतिरिक्त नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, फीजी, मॉरीशस, ट्रिनिडाड, गयाना, सूरीनाम, इंग्लैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में हिन्दी भाषियों की समृद्ध उपस्थिति दृष्टिगोचर होती है। दूसरी अपेक्षा यह होती है कि भाषा में लचीलापन हो, वह विविध संदर्भों को व्यक्त करने में सक्षम हो, उसका एक सर्वस्वीकृत मानक रूप हो, और उपमानकों की सीमित स्वीकृति के साथ भी उसमें परस्पर संप्रेषणीयता बनी रहे। इन सभी गुणों की उपस्थिति हिन्दी में भी विद्यमान है।

हिन्दी में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी, बुंदेली, बघेली, मगधी, छत्तीसगढ़ी और अनेकों उपभाषाओं के शब्द भंडार, मुहावरे और लोकोक्तियां सहज रूप से समाहित हो चुकी हैं, जिससे उसका स्वरूप और अधिक समृद्ध एवं जीवंत हो गया है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी भाषा का भारत की अन्य भाषाओं के साथ शताब्दियों पुराना गहन और आत्मीय संबंध रहा है। विश्वभाषा से तीसरी अपेक्षा यह होती है कि उसमें वैश्विक चेतना और समग्र मानवता के भाव का समावेश हो। हिन्दी भाषी, अपने ही देश के विभिन्न राज्यों में निवास करने के कारण प्रांतीय सीमाओं से ऊपर उठ चुका है। उसके पास ऐसा समृद्ध साहित्यिक विरासत है, जो विश्वभर के पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्‌भुत क्षमता रखता है।

हिन्दी आज न केवल भारत की राजभाषा है, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी एक प्रभावशाली विश्व भाषा है। यह भाषा भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है क्योंकि इसके बोलने और समझने वाले संसार के सभी महाद्वीपों में फैले हुए हैं। जनसंख्या के आधार पर यह दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो इसे जनतांत्रिक दृष्टि से भी विश्व भाषा बनाती है। विश्व के 132 देशों में बसे लगभग 2 करोड़ प्रवासी भारतीय हिन्दी के माध्यम से न केवल अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी जीवित रखते हैं। हिन्दी का एशियाई भाषाओं में विशेष स्थान है, जो इसे एशिया की प्रतिनिधि भाषा बनाता है। यह भाषा सद्‌भावना का प्रतीक है क्योंकि इसका किसी देशी या विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है। यह अनेक भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर विश्व के सबसे समृद्ध शब्दकोश का निर्माण करती है। हिन्दी भाषा अपने भीतर विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का समावेश करती है। आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, अरबी, फारसी, चीनी और जापानी जैसे विविध भाषाओं के शब्द हिन्दी को वसुधैव कुटुंबकम् की भावना से संपन्न बनाते हैं। हिन्दी साहित्येतर लेखन में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, और अनुवाद के माध्यम से साहित्य का स्तर ऊंचा हो रहा है।

"हिन्दी बोले भारत सारा, यही है विकास का आधार हमारा"

प्रवासी भारतीय हिन्दी को वैश्विक मंच पर ले जाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आडियो-वीडियो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी एक जीवंत सांस्कृतिक कड़ी बन गई है। इंटरनेट पर हिन्दी की लोकप्रियता ने इसे एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है, जहां हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य विश्वभर में प्रसारित हो रहे हैं। देश-विदेश में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाएं, आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे माध्यम हिन्दी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सशक्त बना रहे हैं। दुनिया के

175 देशों में हिन्दी के शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो चुके हैं, और यह भाषा 180 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। अकेले अमेरिका में 100 से अधिक संस्थान हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन में सक्रिय हैं। चीनी भाषा के बाद हिन्दी दुनिया में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है, और स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी, रूसी और फ्रेंच जैसी भाषाएं इसके बाद स्थान पाती हैं। हिन्दी की यह व्यापकता, समृद्धि और वैश्विक स्वीकार्यता इसे वास्तव में एक विश्व भाषा का दर्जा प्रदान करती है।

हिन्दी, विश्वभाषा बनने की राह पर, आज अनेक चुनौतियों से जूझ रही है। विदेशों में भारतीय संस्कृति का ह्रास और पश्चिमी भोगवादी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव ने हिन्दी के प्रचलन को प्रभावित किया है। भारत से प्रवास करने वाले युवा और श्रमिक, जो हिन्दी के प्रमुख आधार हैं, तेजी से अंग्रेजी के प्रभाव में आ रहे हैं, जिससे उनकी अगली पीढ़ी हिन्दी से दूर होती जा रही है। संविधान में राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपेक्षित मान्यता नहीं मिल सकी है, जो हिन्दी के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रयासों के बावजूद यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है। भारत विश्व बाजार से जुड़ तो रहा है, लेकिन यह जुड़ाव मुख्यत: अंग्रेजी तक सीमित है। विज्ञापन, संचार साधनों और सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का उपयोग अनुवाद आधारित और अप्राकृतिक हो गया है। कानूनी क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति और भी दयनीय है; उच्च न्यायालयों में सीमित प्रयोग और सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी की अनिवार्यता ने इसे हाशिये पर धकेल दिया है। विश्व व्यापार के दस्तावेजों और प्रक्रिया में भी हिन्दी का उपयोग नगण्य है, जिससे यह भाषा केवल औपचारिकता और माल बेचने तक सीमित रह गई है।

हिन्दी के वैश्विक प्रसार और उपयोग को साकार करने के लिए भाषा और देवनागरी लिपि का मानकीकरण अनिवार्य है, जो वर्तमान में सीमित दायरे में है। विदेशियों के लिए हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण के विशेष पाठ्यक्रम तैयार करना आवश्यक है, ताकि वे विज्ञान, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम से दक्षता प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, संदर्भ ग्रंथों, द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों का निर्माण और हिन्दी शोध-अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सूचना क्रांति के दौर में हिन्दी को कंप्यूटर और तकनीक की भाषा बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सॉफ्टवेयर, कूटपद, और संकेताक्षरों का विकास आवश्यक है। हिन्दी साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों का विदेशों में मुद्रण, वितरण और अनुवाद के प्रयासों को भी सुदृढ़ करना होगा। योजनाओं का ठोस कार्यान्वयन और उनकी पूर्णता हिन्दी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इन प्रयासों से हिन्दी एक सशक्त और प्रभावशाली विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो सकेगी।

हिन्दी आज भारत की संपर्क भाषा के रूप में अपनी सुदृढ़ पहचान बना चुकी है और अब विश्वभाषा बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भले ही हिन्दी अभी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा न बनी हो, लेकिन उसकी अधिकांश एजेंसियों में यह व्यावहारिक रूप से मान्यता प्राप्त कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ हिन्दी में साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए सघन प्रयास हो रहे हैं।

हिन्दी के वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिए विदेश मंत्रालय ने षहिन्दी एवं संस्कृत प्रभागष का गठन किया है, जो दूतावासों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से विदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिए कार्यरत है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पीठ स्थापित कर हिन्दी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने और शोधकार्य बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हिन्दी विश्व के बारह से अधिक देशों में बहुसंख्यक समाज की मुख्य भाषा बन चुकी है और फिजी, गुआना, सूरीनाम जैसे कई देशों में इसे अल्पसंख्यक भाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत से बाहर यह विभिन्न वर्गों में प्रयोग होती हैख्नजहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं, दक्षिण-पूर्व एशिया के भारतीय संस्कृति प्रभावित देश, आधुनिक भाषा के रूप में इसे पढ़ाने वाले पश्चिमी देश और अरब देशों में व्यापार और संवाद के लिए। आवश्यकता है कि हिन्दी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यह तभी संभव है जब हम अपनी मानसिकता बदलें और इसे वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत रहें। हिन्दी में वह सामर्थ्य है कि वह विश्व मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर सके।

हमें अपनी मातृभाषा हिन्दी के प्रति वही गौरव अनुभव करना चाहिए जो जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, और चीन जैसे शक्तिशाली देश अपनी भाषा के प्रति करते हैं। ये देश अपनी मातृभाषा में वक्तव्य देते हैं और अनुवादकों के माध्यम से अपनी बात को विश्व तक पहुंचाते हैं। हिन्दी को भी इसी दृष्टिकोण के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने के प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि, हिन्दी के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को समझकर, लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर, और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। हिन्दी के प्रसार और सशक्तिकरण के लिए ठोस, व्यावहारिक योजनाएं बनानी होंगी और उन्हें दृढ़ता तथा ईमानदारी से क्रियान्वित करना होगा। इसके साथ ही, समय-समय पर इन योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। हिन्दी को वैश्विक मंच पर अपना स्थान बनाए रखने के लिए हमें संगठित और सामूहिक प्रयास करने होंगे। यह तभी संभव होगा जब हम अपनी भाषा को आत्मगौरव और दृढ़ संकल्प के साथ अपनाएं और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए कृतसंकल्प हों।

"हिन्दी है हमारी शान, देश की पहचान।

भारतीय भाषा दिवस समारोह–2023

भारतीय भाषा दिवस समारोह–2023

भारतीय भाषा दिवस समारोह–2023

भारतीय भाषा दिवस समारोह–2023

भारतीय भाषा दिवस : बच्चों को भाषाई संस्कार से जोड़ने का स्वर्णिम अवसर

भारत भाषाओं की उर्वर भूमि है । यहाँ 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा सैकड़ों गैर-अनुसूचित भाषाएँ, उपभाषाएँ और 1,600 से अधिक बोलियाँ जीवंत हैं । प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि, व्याकरण, शब्द-भंडार और समृद्ध साहित्यिक परंपरा है । यही भाषाई-सांस्कृतिक विविधता भारत की असली पहचान है । सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्राथमिक स्तर से मातृभाषा शिक्षा पर जोर दिया गया है । मातृभाषाओं के प्रचार-प्रसार एवं उन्नयन के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की भी पहल करती है कि देश के छात्रों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत रोचक गतिविधियों एवं परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित 'भारतीय भाषा दिवस' सभी भारतीय भाषाओं के उन्नयन और सम्मान को रेखांकित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव है ।

राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ाने तथा भारतीय भाषाओं के महत्त्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2022 में उत्तर-दक्षिण के सेतु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती 11 दिसम्बर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी । चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, तमिलभाषी लेखक, कवि, पत्रकार और तमिलनाडु के समाज सुधारक थे । उन्हें तमिल साहित्य के एक महान स्तंभ के रूप में जाना जाता है । उन्हें 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था । उनकी रचनाओं में देशप्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना की बाहुल्यता पाई जाती है । राष्ट्रीय महत्त्व का यह भाषाई उत्सव हमें अपनी मातृभाषाओं की ओर लौटने तथा विविध भारतीय संस्कृति और भाषा की महत्ता को जानने के लिए उद्धेलित करता है । भारतीय भाषा दिवस बच्चों को भाषाई संस्कार से जोड़ने का एक स्वर्णिम अवसर है ।

प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र भाषा से बंधा हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय भावनात्मक रूप से अपनी भाषा से जुड़ा होता है । साधारण-से-साधारण मनुष्य के लिए भी भाषा केवल भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि उसका सर्वांगीण अस्तित्व है । भाषाई अध्ययन बताते हैं कि मनुष्य अपनी भाषा को लेकर बहुत संवेदनशील होता है । मनुष्य के मस्तिष्क में उसकी मातृभाषा की छाप इतनी गहरी पैठ बना चुकी होती है कि मनुष्य जीवनपर्यंत उससे भिन्न नहीं रह सकता । भले ही मनुष्य सूचनाओं के संग्रहण के लिए, अपनी आजीविका के लिए शोध और अध्ययन के लिए अन्य भाषा की शरण में जाए, किन्तु अपनी संवेदनात्मक और भावनात्मक अभिव्यक्ति वो अपनी मातृभाषा में ही सहज रूप से संप्रेषित करता है । मातृभाषा ही उसे अपनी जाति, धर्म, आस्था, विश्वास, समाज, संस्कृति, पर्व, त्योहार, परंपरा, परिवार और भूगोल से जोड़ती है । मातृभाषा ही उसके जीने का श्रेष्ठ माध्यम है । यदि मनुष्य की मातृभाषा को छीन लिया जाए तो सोचिए क्या होगा ? वह अपने जड़ (मूल समाज) से कट जाएगा। दुर्भाग्यवश आज आधुनिकता, कॉर्पोरेट नौकरियाँ, विदेश-पलायन और तथाकथित प्रतिष्ठा के नाम पर हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा और बोलियों से दूर कर रहे हैं ।

राजकुमार श्रेष्ठ

सूचना क्रांति के इस युग में उन बोलियों की वास्तविक स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है । क्या उन बोलियों का अगले पीढ़ी में हस्तांतरण हो रहा है ? क्या बोलियाँ अपने पारंपरिक स्वरूप में जीवित हैं ? मातृभाषाओं के कितने मूल शब्द प्रचलन से बाहर हो चुके हैं ? वर्तमान शब्दावलियों में से वे कौन-कौन से शब्द हैं जिसे हम बहुत जल्द खोने वाले हैं ? मातृभाषा को लेकर परिवार में कैसा वातावरण है ? हमारे बच्चे किस भाषा संस्कार में बड़े हो रहे हैं ? महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं में अपनी भाषा को लेकर कैसी धारणा विकसित हो रही है ? ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिन्हें लेकर हमें गंभीर और सजग होना चाहिए । किसी भाषा में एक भी शब्द का मरना उस भाषाई समाज के लिए बहुत दुखद घटना है । शब्दों के बनने-बुनने में, प्रचलन में आने में और मानक स्वरूप प्राप्त करने में कई वर्षों का अथक अभ्यास जुड़ा होता है । शब्दावली किसी भी भाषा की प्राण होती है । एक-एक शब्द का निर्माण कई वर्षों के अंतराल के बाद होता है और समाज में उसकी स्वीकार्यता और मानकीकरण में भी वर्षों का श्रम लगता है ।

विश्व की अनेक भाषाओं में से सबसे अधिक शब्द भण्डार भारतीय भाषाओं में हैं । किन्तु, इस विषय को लेकर हम अधिक दिन तक खुश नहीं रह सकते । हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों, क्रियाकलापों, हमारे व्यवहार और आम बोलचाल की भाषा से हजारों शब्द प्रचलन से बाहर हो रहे हैं । उनकी जगह हम विदेशी शब्दावलियों का अन्धानुकरण कर रहे हैं । इस तरह हम अपनी भाषा की हत्या कर रहे हैं । हम अपने घरों में, परिवारों में और विद्यालयों में बच्चो को अपनी शब्दावलियों से विमुख कर विदेशी शब्दावलियां सिखा रहे हैं । यदि हिन्दी भाषा की ही बात करें, तो बच्चों को हिन्दी के कई शब्दावलियों का ज्ञान ही नहीं है । वे हिन्दी के सरल शब्दार्थों से अनभिज्ञ हैं । उदहारण के लिए हम बच्चों को सिखा रहे हैं- ओके, सॉरी, वेलकम, प्लीज, थैंक्यू, कॉन्ग्राचुलेशन, एग्जाम, सिंपल,

होमवर्क, रेस्ट, कम्फर्टेबल, डिस्टिंक्शन, एवरेज, क्यू, सीरिज, वेल डॉन, आल द बेस्ट, टीचर, क्लासरूम, लाइट, फैन, टेबल, चेयर, डिसिप्लिन आदि । जबकि हिन्दी में इनके अपने सुंदर शब्द हैं - ठीक है, माफ कीजिए, स्वागतम, कृपया, धन्यवाद/आभार, बधाई, परीक्षा, सरल/आसान, गृहकार्य, आराम, आरामदायक, अव्वल, औसत, पंक्ति, श्रेणी, शाबास, शुभकामनाएं, शिक्षक, कक्षा, बिजली, पंखा, मेज, कुर्सी, अनुशासन आदि । ये कुछ उदाहरण मात्र हैं । ऐसी सैकड़ों शब्दावलियाँ हर घर और स्कूल में प्रचलित हो रही हैं ।

यह केवल हिन्दी भाषा के साथ नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के साथ हो रहा है । यह तो कुछ ही शब्दावलियाँ हैं जो आंशिक रूप में समाज में, पुस्तकों में और विभिन्न दस्तावेजों में सुरक्षित हैं, किन्तु यही क्रम चलता रहा तो भविष्य में यह भी विलुप्त हो जाएँगी । ऐसे कई शब्द हैं जो हम विगत में खो चुके हैं और कुछ खोने के क्रम में हैं । भाषाएँ इसी तरह विलुप्त होती हैं । पहले शब्द बदल दिए जाते हैं फिर वाक्यांश बदल दिए जाते हैं और अंत में उसकी लिपि बदल दी जाती है । इसी तरह हिंगलिश और रोमनीकरण के प्रभाव ने भाषा की मौलिकता को नष्ट करने का काम किया है । दक्षिण अफ्रीका की भाषा में रोमन लिपि का अधिक प्रभाव है । रोमन लिपि के प्रभाव में अपनी भाषा को खोने वाले देशों में वियतनाम भी एक देश है । कम्बोडिया में विद्यालयों के पाठ्यक्रम तक रोमन लिपि में लिखा जाने लगा था । बाद में कम्बोडिया की सरकार ने अपनी लिपि का संरक्षण करके अपनी भाषा को इस खतरे से उबार लिया ।

भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उन्नयन के लिए हमें अब गंभीर होना होगा । हमारी भाषाओं की चिंता हमें ही करनी होगी । हमें भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए बच्चों को भारतीय शब्दावलियों से जोड़ना होगा । हिंगलिश और रोमनीकरण के प्रभाव से भाषाओं को बचाना होगा । पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी स्तर पर बच्चों को अपनी भाषा पर गर्व करने और उसे अपने आचरण में अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। बच्चों को बताना होगा कि आप चाहे कोई भी विदेशी भाषा सीखें या बोलें, किन्तु आपकी विद्वता भाषा के अनुप्रयोग से नहीं, बल्कि आपके मौलिक चिंतन से मापा जाता है । हम विश्व की किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किन्तु उस भाषा में कतई सोच नहीं सकते । हम अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अपनी मातृभाषा में ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। मनुष्य का चिंतन और रचनात्मकता उसकी मातृभाषा में ही झलकता है । 'लोक कवि रत्न' के नाम से परिचित हलधर नाग को ही लीजिए, जिन्होंने कोसली भाषा में उच्चस्तरीय कविताएँ लिखी और साहित्य के क्षेत्र में एक मानक बन गए । वे तीसरी कक्षा के बाद कभी विद्यालय नहीं गए, किन्तु अपने मौलिक चिंतन और सृजनशीलता के कारण उन्हें एक प्रेरक व्यक्तिव के रूप में जाना जाता है । आज लोग उनकी रचनाओं पर पीएचडी कर रहे हैं । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उन्हें कोसली भाषा के संरक्षण में किए गए कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था । इन सभी बातों का सार यह है कि हमारे मूल चिंतन और व्यक्तित्व का निर्माण मातृभाषा में ही होता है ।

भाषा को लेकर किए गए अनेक शोध भी यही बताते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए । मातृभाषा से सुलभ और सरल माध्यम भला अन्य भाषा कैसे हो सकती है ? माँ और मातृभाषा कोई विकल्प ही नहीं है । भारतीय समाज अंग्रेजी मानसिकता से पीड़ित है । जितनी जल्दी हम अंग्रेजी मानसिकता से बाहर आएँगे, भारतीय भाषाओं के लिए यह उतना ही हितकर सिद्ध होगा । एक भाषाई परिवार के रूप में अंग्रेजी का अपना सम्मान है । आज के समय में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु अंग्रेजी के बलबूते ही विकास के कार्य हो सकते हैं अथवा देश निर्माण के सभी पूर्वाधार अंग्रेजी में ही सिद्ध होते हैं, ऐसा कतई नहीं है । चीन, जापान, रूस, इजराइल, फ्रांस, कोरिया आदि ऐसे अनेक देश हैं, जिन्होंने अपनी भाषा के दम पर आज विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी भाषा को एक अतिरिक्त कौशल के रूप में देखा जाता है । भारतीय समाज में अंग्रेजी को मेधा और प्रतिभा से जोड़ दिया गया है, जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो उसे बौद्धिक माना जाने लगा । अंग्रेजी बोलने वाले को प्रकाण्ड विद्वान के रूप में देखा जाने लगा । समाज के हर वर्ग तक इस धारणा को स्थापित किया गया कि अंग्रेजी ही प्रतिष्ठा और सम्पन्नता की निशानी है । सामान्य रूप से सतही तौर पर यह धारणा सही लगती हो, किन्तु इसकी गहराई में जाएँ तो यह अनर्थक प्रतीत होती है । एक सामान्य नागरिक के पास भी भाषा कौशल होना आवश्यक है । यदि आप एक से अधिक भाषाएँ जानते हों, तो यह आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती है । भाषा चाहे कोई भी हो, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो किसी व्यक्ति को प्रतिभा सम्पन्न बना सके, बल्कि भाषा में निहित ज्ञान ही व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करता है ।

भारतीय भाषाओं में अथाह ज्ञान भरा हुआ है । उस ज्ञान को पाने के लिए उस भाषाई संस्कार का होना आवश्यक है । आइए, हम अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित करें । उन्हें भारतीय ज्ञान, परंपरा, अध्यात्म, दर्शन और विविध सांस्कृतिक चौतन्यता से जोड़ने का उपक्रम करें । इस भाषाई उत्सव में आप और हम मिलकर भारतीय भाषाओं के उन्नयन में एक सार्थक कदम बढ़ाएँ ।

रिपोर्ट

दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव : कलरव-2.0 का भव्य आयोजन

हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्त्वावधान में दो दिवसीय 'बाल नाट्य उत्सव: कलरव-2.0' का सफल एवं भव्य आयोजन 17-18 नवंबर को मंडी हाउस, दिल्ली में स्थित लिटिल थिएटर ग्रुप (एलटीजी) सभागार में संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित दिल्ली सरकार के अधीनस्थ कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की सचिव डॉ. रश्मि सिंह, हिन्दी अकादमी के सचिव, श्री संजय गर्ग, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक एवं निर्णायक मंडल ने दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के सामूहिक गान से किया गया।

अपने स्वागत वक्तव्य में सभागार में उपस्थित बच्चों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों के रंगमंच में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए हम एक महत्त्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष से हम दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव कलरव का आयोजन कर रहे हैं। रंगमंच केवल अभिनय से जुड़ा क्षेत्र नहीं है, अपितु यह आत्मनुशासन और सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का माध्यम भी है। रंगमंच से जुड़ा बच्चा संवेनशील होता है। वह भिन्न-भिन्न पात्रों का अभिनय करते हुए समाज को बहुत नजदीक से देख रहा होता है। रंगमंच से जुड़ा हुआ ऐसा बच्चा जब किसी भी क्षेत्र में जाता है, तो वह अपने सिद्धांतों और नैतिक जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। ऐसे छात्र एक जिम्मेदार नागरिक बनकर तैयार होते हैं। हम रंगमंच के माध्यम से छात्रों को सही दिशा देने, नैतिक मूल्यों और संस्कारों से जोड़ने तथा उनकी कला को सही मंच प्रदान करने के उद्देश्य से समाज को जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं।

हिन्दी अकादमी के सचिव श्री संजय गर्ग ने कहा कि पिछले वर्ष हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्त्वावधान में दो दिवसीय 'बाल नाट्य उत्सव: कलरव-2024' का भव्य आयोजन 14-15 अक्टूबर, 2024 को इसी सभागार में संपन्न हुआ था। खचाखच भरे सभागार में नाटक के प्रति बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था और उनके अभिनय कौशल ने वास्तव में सबको मंत्रमुग्ध किया था। इसमें दिल्ली प्रदेश के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, केंद्रीय एवं निजी विद्यालयों ने सहभागिता की थी। 'कलरव-2024' की अपार सफलता के पश्चात् हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्त्वावधान में दिल्ली प्रदेश के विद्यालयों के छात्रों के लिए दो दिवसीय 'बाल नाट्य उत्सव: कलरव -2.0' का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष योजना में सम्मिलित होने के लिए 54 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थी, जिसमें से प्रक्रिया अनुसार इस बार भी 30 बेहतरीन नाटकों का चयन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस आयोजन से निश्चय ही बच्चों में छुपी प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा।

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की सचिव डॉ. रश्मि सिंह ने बाल प्रतिभा को मंचीय अनुभव का अवसर उपलब्ध कराने के लिए हिन्दी अकादमी और हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त प्रयासों की सराहना की तथा सभी बच्चों और उनके निर्देशक एवं शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जब कलरव का आयोजन हो रहा हो, तब इसे दो दिन के बजाए तीन दिन किया जाए, जिससे अधिक नाट्य मंडली को इस योजना में सम्मिलित होने का अवसर मिले। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि दिल्ली में बाल रंगमंच के विकास में कलरव जैसे आयोजन होने चाहिए और मैं चाहती हूँ कि कम-से-कम दिल्ली में बाल रंगमंच के विकास में कलरव एक उदाहरण बनकर उभरे।

खचाखच भरे सभागार में उपस्थित नाट्य मंडली के छात्रों और शिक्षकों का उत्साह देखते ही बनता था। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, दहेज-प्रथा, प्रतिस्पर्धा के युग में छात्रों में अच्छे अंक लाने का मानसिक दबाव, समाज में फैले अंधविश्वास, गिरते नैतिक मूल्य, बच्चों में सोशल मीडिया के दुष्परिणाम, शिक्षा के क्षेत्र में किन्नर समाज की उपस्थिति, नारी की अस्मिता, बढ़ते वृद्धाश्रम और वृद्धावस्था की समस्याओं आदि जैसे विषयों पर बच्चों की प्रस्तुतियों ने सबको बाँधे रखा। किसी मंझे हुए कलाकार की भांति छात्रों के अभिनय कौशल ने वास्तव में इस उत्सव में चार चाँद लगाने का काम किया।

दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव के पहले दिन 9 नाटकों का मंचन किय गया और उसके बाद सायं 6 बजे से श्रीमती सुनीता अग्रवाल द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक 'अंतिम निर्णय' का मंचन हुआ। 'अंतिम निर्णय' नाटक को देखने के लिए नाटक प्रेमियों और नाटक के सौखीन लोगों की उपस्थिति से सभागार पूरा भरा हुआ था। नाटक की समाप्ति के बाद लोगों ने मुक्तकंठ से इसकी सराहना की। हिन्दी अकादमी एवं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा सुनीता अगवाल के नाटक मंडली को अंगवस्त्र भेंट करके सम्मानित किया गया।

नाट्य उत्सव के दूसरे दिन सामूहिक राष्ट्रगान से कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाया गया और शेष सभी नाटकों का मंचन किया गया। 30 नाटकों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने जिस अंदाज में दर्शकों का दिल जीता, वहीं यह निर्णायक मंडल के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहा। निर्णायक मंडल में एनएसडी से लम्बे समय से जुड़े और रंगमंच के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव रखने वाले रंगकर्मियों श्याम कुमार, सुंदर लाल और राघवेन्द्र तिवारी की उपस्थिति थी।

राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, दयालपुर की प्रस्तुति 'अब मेरी बारी' को प्रथम स्थान, सर्वोदय बाल विद्यालय, एच ब्लॉक, सुल्तानपुरी की प्रस्तुति 'कूड़ाघर' को द्वितीय स्थान,

नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, आर.के.पुरम की प्रस्तुति 'इतिहास चक्र' को तृतीय स्थान, अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल, दिलशाद गार्डन की प्रस्तुति 'जब दिल पत्थर हुए' एवं प्रूडेंस पब्लिक स्कूल, द्वारका की प्रस्तुति 'भोलाराम का जीव' को प्रोत्साहन स्थान प्राप्त हुआ । हिन्दी अकादमी के सचिव, निर्णायक मंडल एवं दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी विजताओं को सम्मानित किया गया । प्रथम, द्वितीय, तृतीय और दो प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में क्रमशः 11000/-, 7500/-, 5100/-, 2500/-, 2500/- की पुरस्कार राशि, स्मृति चिह्न और प्रमाण-पत्र भेंट किये गए। इसके साथ ही सभी 30 टीमों को प्रमाण-पत्र और परिवहन व्यय के रूप में 3000/- रुपए विद्यालयों के बैंक खातों में भेजे गए । पुरस्कार वितरण के बाद सायं में युवा कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया । इस कवि सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों एवं शोधार्थियों की सहभागिता थी । युवा कवि सम्मेलन का संचालन हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के उप संपादक एवं वरिष्ठ कवि श्री विनोद पाराशर ने किया । कार्यक्रम के समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भेंट करके सम्मानित किया गया ।

दो दिवसीय बाल नाट्य उत्सव कार्यक्रम का संचालन हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की सम्पादकीय सलाहकार डॉ. वनिता शर्मा ने किया । आयोजन की परिकल्पना, व्यवस्थापन और प्रबंधन में हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त सम्पादक श्री राजकुमार श्रेष्ठ की मुख्य भूमिका रही । इस अवसर पर आदरणीय विजय शर्मा, श्रीमती प्रकाश कंवर, शिक्षाविद् एवं लेखक डॉ. पवन विजय, डॉ. मधु लबाना, श्री विनीत पाण्डेय, डॉ. तुलिका सेठ सहित हिन्दी अकादमी के पदाधिकारी श्री जगदीश शर्मा, श्रीमती कुसुम शर्मा आदि की विशेष उपस्थिति थी ।

पृष्ठ संख्या 08 का शेष

प्रत्येक भारतीय भाषा अपने भीतर हजारों वर्षों की स्मृतियाँ, लोक परंपराएँ और ज्ञान परंपराएँ समेटे हुए है । तमिल की संगम साहित्य परंपरा, संस्कृत की वेद-उपनिषद परंपरा, बंगला का पुनर्जागरण, मराठी संत परंपरा, पंजाबी लोककथाएँ, उर्दू की गजल संस्कृति और असमी, मलयालम, कश्मीरी की समृद्ध साहित्यिक धारा-ये सभी मिलकर भारत की सांस्कृतिक बनावट को मजबूत करते हैं । आज जब भारत विश्व में अपनी भूमिका को और सशक्त कर रहा है, तब अपनी मातृभाषाओं और देशज भाषाओं का संरक्षण, उनकी प्रतिष्ठा और रचनात्मक विस्तार निश्चित रूप से आवश्यक है । युवा पीढ़ी ही भविष्य की भाषा-निजता, नवाचार और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की वाहक है । भारतीय भाषा उत्सव एक रचनात्मक पहल है, जो युवाओं को भाषा-संबंधित शोध, परिवर्धन, अनुवाद, लेखन और नवोन्मेष के लिए प्रेरित करता है । हमारा विश्वास है कि यही दिशा भारत को आत्मनिर्भर, रचनाशील और साधन संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी । आइए, हम सब मिलकर 'भारतीय भाषा उत्सव' को केवल एक आयोजन न मानकर, भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और भाषाई स्वाभिमान के अद्वितीय महापर्व के रूप में मनाएँ । भारतीय भाषाओं का संरक्षण, विकास और सम्मान-यही हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है । यही इस उत्सव का अमिट संदेश है ।

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

हिन्दी और भारत की लोकभाषाएँ

वीरेन्द्र परमार

भारत एक बहुभाषी देश है । यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ हैं जिनमें से लगभग 100 से अधिक सक्रिय भाषाएँ हैं तथा 50 से अधिक भाषाओं में निरंतर साहित्य सृजन हो रहा है । इनका लोक साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। 22 भारतीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है । भारतीय भाषाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

1.अष्टम अनुसूची की भाषाएँ

2.हिन्दी क्षेत्र की लोक भाषाएँ और

3.हिन्दीतर क्षेत्र की लोकभषाएँ

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है । इस अनुसूची में शामिल होने से वंचित कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जो प्रसार और साहित्य की दृष्टि से बहुत उन्नत हैं । अष्टम अनुसूची में निम्नलिखित भाषाएँ शामिल हैं–1.असमिया 2.बोडो 3.मणिपुरी 4.नेपाली 5.बंगला 6.ओड़िया 7.हिन्दी 8.संस्कृत 9.उर्दू 10.मैथिली 11.संथाली 12.तमिल 13.तेलुगू 14. मलयालम 15.कन्नड़ 16.मराठी 17.पंजाबी 18.सिंधी 19 डोगरी 20.कश्मीरी 21.गुजराती 22.कोंकणी । हिन्दी देश के व्यापक भूभाग में बोली जाती है । इसे देश के 11 राज्यों ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है । ये प्रदेश हैंख़बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह । झारखंड की राजभाषा हिन्दी है, परंतु वहाँ संथाली और बांग्ला को द्वितीय राजभाषा बनाया गया है । दिल्ली में भी हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी का प्रयोग करने का प्रावधान है । हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है । असमिया, बांग्ला, उड़िया आदि लिपियाँ भी ब्राह्मी की संतान हैं । इसलिए इन लिपियों का देवनागरी लिपि से समानता है । असमिया, बंगला, उड़िया, नेपाली, मराठी, गुजराती, मैथिली इत्यादि भाषाओं की शब्दावली भी लगभग 80% हिन्दी से मिलती–जुलती है । डोगरी भाषा पंजाबी की एक बोली है । यह टाकरी लिपि में लिखी जाती है, परंतु अब डोगरी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होने लगा है । सिंधी भाषा की लिपि फारसी का ही एक रुप है । दैनिक व्यवहार में अब सिंधी के लिए देवनागरी का प्रयोग होने लगा है । संथाली भाषा पाँच लिपियों में लिखी जाती है। देवनागरी, बंगला, ओड़िया, रोमन और ओल–चिकी। अब संथाली के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग बढ़ रहा है, क्योंकि लिपियों की अधिकता संथाली के विकास में बाधक है, जबकि झारखंड की 40% जनसंख्या संथाली भाषी है । कश्मीरी भाषा को शारदा लिपि में लिखा जाता है जिसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है । कोंकणी भाषा पाँच लिपियों में लिखी जाती है– देवनागरी, कन्नड़, रोमन, फारसी तथा मलयालम, परंतु अधिकांश लोग कोंकणी के लिए देवनागरी और कन्नड़ लिपियों का प्रयोग करते हैं । जिन भाषाओं के लिए कोई लिपि नहीं है उनके लिए देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि देवनागरी सभी भारतीय भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने में समर्थ है । कई भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अक्सर मांग उठती रहती है, लेकिन केवल इस अनुसूची में शामिल कर लेने मात्र से कोई भाषा समृद्ध नहीं हो सकती है । भारतीय भाषाओं के विशाल लोक साहित्य का प्रकाशन, ज्ञान–विज्ञान के विविध विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन और सभी भारतीय भाषाओं के बीच आदान–प्रदान की परंपरा को सुदृढ़ करना समय की मांग है।

हिन्दी क्षेत्र की लोकभाषाएँ–

भाषा और बोली में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है । जब बोली अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्रमुखता प्राप्त कर लेती है, तो भाषा कहलाने लगती है । भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित । कभी–कभी कोई युगांतरकारी साहित्यकार अपनी प्रतिभा से बोली को इतना महिमा मंडित कर देता है कि वह बोली भाषा से भी आगे निकल जाती है । गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी एवं महाकवि सूरदास ने ब्रजभाषा को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से इतना महत्त्वशाली बना दिया कि ये बोलियाँ निहाल हो गई । हिन्दी की बोलियों और लोक भाषाओं में जो साहित्य विद्यमान है, उसे आत्मसात कर हिन्दी भाषा और साहित्य के फलक को विस्तृत किया जा सकता है । वास्तव में बोलियाँ ही हिन्दी साहित्य के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं । महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' में बोलियों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। "जिस साहित्यिक भाषा का संबंध अपनी बोली से नहीं होता वह उतनी कोमल, भावव्यंजक और सरल नहीं रह सकती । बोली असल में धरती है । उसके संबंध द्वारा ही साहित्यिक भाषा की जड़ धरती में गड़ी रहती है और उसे वहाँ सर्वांगीण पुष्टि मिलती है ।" हिन्दी एक छतरी भाषा (Umbrella Language) है जिसके नीचे हिन्दीभाषी क्षेत्र की तीन दर्जन से अधिक भाषाएँ और बोलियाँ हैं । हिन्दीभाषी क्षेत्र की इन सभी भाषाओं और बोलियों में परस्पर संप्रेषणीयता है अर्थात् भोजपुरी बोलनेवाला हरियाणवी भी समझ सकता है और बुंदेली बोलनेवाला व्यक्ति मैथिली भी समझ सकता है ।

मैथिली– मैथिली उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र की प्रमुख भाषा है । यह बिहार के दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा,

पूर्णिया तथा मुजफ्फरपुर के कुछ अंचलों में बोली जाती है । इसके अतिरिक्त नेपाल के तराई क्षेत्र स्थित पाँच जिलों में भी मैथिली भाषा का प्रयोग होता है । बंगला, असमिया और उड़िया भाषा से मैथिली की बहुत समानता है । बंगला, असमिया, उड़िया, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाओं की उत्पत्ति मागधी से हुई है । अत: इन भाषाओं की शब्दावली में बहुत समानता है । वर्ष 2003 में मैथिली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया । यह नेपाल की भी मान्यता प्राप्त भाषा है । मैथिली भाषा को पहले मिथिलाक्षर और कैथी लिपि में लिखा जाता था, पर कालांतर में देवनागरी का प्रयोग होने लगा । मैथिली त्रेता युग के राजा जनक के राज्य की राजभाषा थी । इस प्रकार यह प्राचीनतम भाषाओं में से एक मानी जाती है । महाकवि विद्यापति मैथिली के आदिकवि माने जाते हैं । महाकवि विद्यापति असम, बंगाल और उड़ीसा में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं । मैथिली का साहित्य बहुत समृद्ध है ।

हरियाणवी- हरियाणवी को बांगड़ू भी कहा जाता है । हरियाणवी के तीन रूप मिलते हैं- केंद्रीय हरियाणवी, बांगड़ और अहीरवाटी । पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से हरियाणवी क्षेत्र अत्यंत गौरवशाली है । हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध लड़ा गया था। हरियाणा की पुण्य भूमि में भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का अमर सन्देश दिया था । यह भूमि ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे तप:पूत मनीषियों की साधना स्थली रही है । हरियाणवी लोक साहित्य में विविधता और कोमलता का मणिकांचन संयोग दृष्टिगोचर होता है ।

ब्रजभाषा- कृष्ण की लीला भूमि ही ब्रज भाषा का क्षेत्र है । इस क्षेत्र के कण-कण में भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण एवं अनुराग देखा जा सकता है । ब्रजभाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । लगभग 38000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में ब्रजभाषा बोली जाती है । इसके तीन रूप हैं- 1. पूर्वी ब्रजभाषा 2.दक्षिणी ब्रजभाषा 3.केंद्रीय ब्रजभाषा । केंद्रीय ब्रजभाषा ही मानक मानी जाती है । यह मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और धौलपुर अंचलों में बोली जाती है । महाकवि सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा से ब्रजभाषा का श्रृंगार किया है तथा गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका, कवितावली आदि की रचना ब्रजभाषा में कर इस भाषा के सामर्थ्य को रेखांकित किया है । देव, पद्माकर, बिहारी, घनानंद, मतिराम ने ब्रजभाषा में अपनी काव्य प्रतिभा उड़ेल दी है ।

बुंदेली- बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली है । बुंदेली उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर, जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में तथा जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा आदि जिलों के कुछ अंचलों में बोली जाती है । महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में भी बुंदेली बोली जाती है । ग्रियर्सन ने बुंदेली का क्षेत्र 19000 वर्ग मील माना है । बुंदेली बोलनेवाले लोगों की संख्या लगभग चार करोड़ से अधिक है । महाकवि बिहारी, केशव, भूषण, पद्माकर आदि का जन्म स्थान बुंदेलखंड में ही है । रूप नारायण, प्रियासखी, मोहन दास, दुर्गा लाल, रघुवरदयाल आदि कवियों ने अपने भावव्यंजक गीतों द्वारा बुंदेली साहित्य की श्री वृद्धि की है ।

कन्नौजी- अवधी और ब्रज भाषा के मध्य में स्थित भूभाग कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है । इसलिए कुछ विद्वान कन्नौजी को भी ब्रजभाषा का ही रूप मानते हैं, परंतु व्याकरणिक भिन्नता और उच्चारणगत भेद के कारण कन्नौजी को स्वतंत्र भाषा मानना चाहिए । कन्नौजी का केंद्र कन्नौज (फर्रूखाबाद) है । कन्नौजी में लोक गीतों और लोक कथाओं के पुष्प-पराग बिखरे पड़े हैं, जिनका संकलन, संपादन, प्रकाशन अभी शेष है ।

अवधी- अवध प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे अवधी नाम दिया गया । अवधी भाषा के लिए बैसवाड़ी का भी प्रयोग किया जाता है । अवधी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, उन्नाव, बस्ती, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर आदि जिलों में बोली जाती है । अवधी भाषा का क्षेत्रफल बहुत व्यापक है । यह लगभग 35000 वर्गमील में बोली जाती है । गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी लेखनी के द्वारा अवधी भाषा को उत्कर्ष प्रदान किया । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या भी इसी क्षेत्र में स्थित है ।

छत्तीसगढ़ी- छत्तीसगढ़ी भाषा का संबंध अर्धमागधी से माना जाता है । छत्तीसगढ़ी भाषा पर नेपाली, बंगला, ओड़िया तथा मुंडारी भाषा का प्रभाव है । यह लगभग सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है । सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर इत्यादि जिले छत्तीसगढ़ी के प्रमुख केंद्र हैं । छत्तीसगढ़ी के लोक साहित्य में प्रकृति का धूपछाँही सौष्ठव और ग्रामीण जनता की सुकुमार कल्पना दृष्टिगोचर होती है । छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है ।

मारवाड़ी- मारवाड़ी राजस्थान की प्रमुख भाषा है । इसके लोक साहित्य में राजस्थान की वीरप्रसू भूमि का ओज और प्रकृति का निर्दोष सौंदर्य विद्यमान है । माडवारी मेवाड़, पूर्वी सिंध, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब में बोली जाती है । राजस्थान से बाहर देश के विभिन्न नगरों में बसे मारवाड़ी लोग आपसी वार्तालाप में इस भाषा का प्रयोग करते हैं । जोधपुर मानक मारवाड़ी का केंद्र है ।

जयपुरी- जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है । इसके तीन रूप हैंख्र अजमेरी, किशनगढ़ी एवं हाड़ौती । यह जयपुर, किशनगढ़, अलवर, अजमेर में बोली जाती है । जयपुरी के अन्य रूप हैं- मानक जयपुरी, तोड़ावरी, काठेरा, चौरासी, नागरचाल एवं राजाबड़ी ।

मेवाती- मेवाती राजस्थान की प्रमुख भाषा है । राजस्थान का अलवर जिला मेवाती भाषा का प्रमुख केंद्र है । इसके अतिरिक्त भरतपुर के उत्तर पश्चिमी भाग तथा हरियाणा के गुड़गांव जिले के कुछ अंचलों में मेवाती बोली जाती है । मेवाती के चार रूप हैं- मानक मेवाती, राठी मेवाती, नहेड़ा मेवाती और कठोर मेवाती । मेवाती के लोकगीत भावव्यंजक और कोमल होते हैं । इसके लोक साहित्य में राजस्थान की वीरप्रसू भूमि का ओज और प्रकृति का निर्दोष सौंदर्य विद्यमान है।

मालवी- मालवी उज्जैन, देवास और इंदौर जिले के आसपास बोली जाती है । होशंगाबाद और बैतूल के कुछ अंचलों में भी मालवी भाषा बोली जाती है । मालवी पर मारवाड़ी, ढूंढाडी और मराठी भाषा का प्रभाव है । लोक साहित्य की दृष्टि से मालवी बहुत समृद्ध भाषा है, परंतु लोककंठ में विद्यमान लोक साहित्य का संकलन-प्रकाशन अभी शेष है ।

बघेली- बघेली भाषा का प्रमुख केंद्र रीवां है । रीवां के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट जिलों में भी बघेली बोली जाती है । बघेली के तीन रूप हैं-मानक बघेली, गोंडानी एवं मिश्रित बघेली । बघेली के लोक साहित्य में लोकगीतों की प्रमुखता है ।

कुमाउंनी- प्राचीन कूर्मांचल प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे कुमाउंनी कहा जाता है । अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, उत्तरकाशी तथा नैनीताल के उत्तरी भाग में कुमाउंनी भाषा बोली जाती है । इसका क्षेत्र विस्तार लगभग 7000 वर्गमील में है । इसकी आठ उपभाषाएँ मानी जाती हैं जिनमे प्रमुख हैंख्रअल्मोड़ी, कमरगम, कुमाउंनी, नैनीताली, पहाड़ी, रामगढ़िया इत्यादि । कुमाउंनी के लोक साहित्य में पर्वतीय जीवन का निर्मल सौंदर्य एवं प्रकृति का कौमार्य प्रतिबिंबित होता है । इस लोकभाषा का लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है । लोक कवियों में गुमानी पंत तथा कृष्ण पांडे का नाम अग्रगण्य है।

गढ़वाली- उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौढ़ी गढ़वाल, टिहरी तथा देहरादून जनपदों में गढ़वाली भाषा बोली जाती है । लगभग 30000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत गढ़वाली भाषा तीस लाख लोगों की मातृभाषा है । यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत एवं विपुल प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। हिंदुओं के प्रसिद्ध चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री इसी क्षेत्र में स्थित हैं । गढ़वाली के आठ भाषा रूप हैं । ढौढियाली, गढ़वाली, गुड़ी, कुनरवर ढोंग, लहेड़ा पहाड़ी, यू.पी., रियासती एवं टेहरी ।

निमाड़ी- विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो भूभाग बसा है वह निमाड़ के नाम से प्रसिद्ध है । इस क्षेत्र की भाषा निमाड़ी है । उत्तर में मालवा की सीमा को स्पर्श करते हुए नर्मदा के आसपास ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, मध्य में खरगोन, पश्चिम में जोबट अलीराजपुर, धार और बड़वानी तथा पूर्व में होशंगाबाद के नजदीक हरदा और हरसूद से लेकर दक्षिण में सुदूर खंडवा और बुरहानपुर के आसपास खानदेश की सीमा तक निमाड़ी बोली जाती है । आदर्श निमाड़ी के केंद्र खंडवा और खरगोन हैं । लगभग तीस लाख लोग निमाड़ी भाषा बोलते हैं तथा लगभग 15776 वर्गमील में इस भाषा का विस्तार है । लोक साहित्य की दृष्टि से निमाड़ी अत्यंत समृद्ध है । निमाड़ी का लोक साहित्य मुख्यत: चार विधाओं में प्रकट हुआ है- लोकगीत, लोककथा, लोकनाट्य और लोकोक्ति । निमाड़ी लोकसाहित्य के मर्मज्ञ पद्मश्री पं.रामनारायण उपाध्याय ने निमाड़ी लोक साहित्य के अनुसंधान, संकलन और प्रकाशन के लिए स्तुत्य कार्य किए हैं । उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन निमाड़ी के पल्लवन-पोषण में लगा दिया।

भोजपुरी- संख्या और क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से हिन्दी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी अन्य लोक भाषाओं से बहुत आगे है । भोजपुरी का विस्तार लगभग पैंतालीस हजार वर्ग मील में है और भारत में भोजपुरी बोलनेवालों की संख्या चार करोड़ से अधिक है । बिहार के सारण, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले के कुछ भाग तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि जिलों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है । भारत के अतिरिक्त मारीशस, सूरीनाम, फिजी आदि देशो में जहां भारतवंशी लोग रहते हैं, वहाँ भी कुछ परिवर्तनों के साथ भोजपुरी बोली जाती है । भोजपुरी-हिन्दी का फिजी रूप फिजी की राजभाषा है । भोजपुरी नेपाल की मान्यता प्राप्त भाषा है । यह गुआना, सूरीनाम और मारीशस देशों की भी मान्यता प्राप्त भाषा है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व की 154 भाषाओं में मानवाधिकार घोषणापत्र प्रकाशित किया है जिसमें भोजपुरी भी एक भाषा है । भोजपुरी में घोषणा पत्र है। "सबहि लोकानि आजादे जन्मेला आउर ओखनियो के बराबर सम्मान आउर अधिकार प्राप्त हवे । ओखनियो के पास समझख़बूझ आउर अंत:करण के आवाज होखता आउर हुनको के दोसरा के साथ भाईचारे के बेवहार करे के होखला ।" भोजपुरी का लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है । वीर लोरिक की कहानी 'लोरिकायन' और भिखारी ठाकुर की कृति 'बिदेसिया' प्रसिद्ध भोजपुरी रचनाएँ हैं । वर्ष 1955 में प्रकाशित रामनाथ पाण्डेय के 'बिंदिया' को भोजपुरी का प्रथम उपन्यास माना जाता है । बहुमुखी प्रतिभा के धनी भिखारी ठाकुर, विवेकी राय, पाण्डेय कपिल, रमेश चन्द्र झा, प्राध्यापक अचल आदि साहित्यकारों ने भोजपुरी साहित्य का श्रृंगार किया है ।

मगही- मगही शब्द मागधी का तद्भव रूप है । मगही भाषा बिहार के पटना और गया जिले में बोली जाती है । इसके अतिरिक्त, झारखंड

के हजारीबाग तथा पलामू के कुछ अंचलों में भी मगही भाषा बोली जाती है । मगही की दो बोलियाँ हैं- कुरमाली एवं खुशहाली । मगध क्षेत्र पौराणिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से भी गौरवपूर्ण है । इतिहास प्रसिद्ध मगध साम्राज्य की भूमि पर बोली जानेवाली मगही भाषा के लोक साहित्य में जीवन के विविध रूपों की झलक मिलती है ।

अंगिका- अंगिका अंग जनपद की भाषा है । अंग जनपद की चर्चा पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है । दुर्योधन ने दानवीर कर्ण को अंग जनपद का राजा घोषित किया था । अंगिका बिहार के भागलपुर, बांका, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा झारखंड के दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के लगभग तीन करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है । अंगिका का लोक साहित्य प्राचीनकाल से लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, फैफड़ा, बुझौवल आदि के रूप में व्यक्त होता रहा है । सत्रहवीं शताब्दी में रचित 'सती बिहुला' नामक गाथाकाव्य अंग जनपद में बहुत लोकप्रिय है ।

बज्जिका- बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में बज्जिका भाषा बोली जाती है । इन जिलों के अतिरिक्त पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के घोड़ासहन, ढाका, पताही, मेहसी, केसरिया आदि प्रखंडों एवं सारण जिले के मढ़ौरा, दिघवारा, परसा, सोनपुर प्रखंडों में बज्जिका बोली जाती है । समस्तीपुर तथा गोपालगंज जिलों के कुछ अंचलों में भी बज्जिका भाषा बोली जाती है । बज्जिका भाषा क्षेत्र के पश्चिम में भोजपुरी, दक्षिण में नेपाली और पूर्व में मैथिली भाषा का प्रयोग होता है । बहुत दिनों तक बज्जिका को मैथिली की एक उपभाषा माना जाता था । अनेक विद्वानों ने कहा कि बज्जिका कोई अलग भाषा नहीं है, बल्कि मैथिली की ही एक शाखा है । सर्वप्रथम महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि बज्जिका एक स्वतंत्र भाषा है । उन्होंने कहा कि व्याकरणिक प्रवृत्तियां एवं भाषाई विशिष्टता की दृष्टि से बज्जिका मैथिली से बिल्कुल भिन्न भाषा है । बज्जि जनपद में प्रचलित भाषा के लिए 'बज्जिका' नाम भी राहुल जी का ही दिया हुआ है । बज्जिका बोलनेवाले लोगों की संख्या लगभग डेढ़ करोड़ है । इसका लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है, लेकिन लोककंठ में विद्यमान लोक साहित्य के बहुलांश का अभी तक संकलन-प्रकाशन नहीं हो सका है । इसके लोक साहित्य में गंगा-गंडक की शीतलता और स्वर्णिम अतीत का गौरवगान है । लोकतंत्र का प्रथम सूर्य बज्जिका की पुण्यभूमि वैशाली में ही उदित हुआ था । इस जनपद को भगवान महावीर की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है ।

-वीरेन्द्र परमार
103, नवकार्तिक सोसायटी, प्लाट नंबर-13
सेक्टर-65, फरीदाबाद-121004

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी की नि: शुल्क सभाकक्ष योजना

साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नि:शुल्क 'सभाकक्ष' उपलब्धता संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचना :-

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे पुस्तक लोकार्पण, पुस्तक परिचर्चा, काव्य गोष्ठी, विमर्श, संगोष्ठी, सम्मान समारोह आदि के लिए अकादमी का 'सभाकक्ष' नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी एक स्व-वित्तपोषित संस्था है जो अपने सीमित संसाधनों से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। अपने कार्यों को विस्तार देते हुए अकादमी ने रोहिणी, दिल्ली में एक कार्यालय बनाया है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ ही 65-70 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था वाला सुसज्जित वातानुकूलित सभाकक्ष भी बनाया गया है। इस हॉल में मंच, पोडियम, माइक आदि की व्यवस्था है। अकादमी की केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि अकादमी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कार्यालय स्थित सभागार को साहित्यिक आयोजनों हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजन हेतु सामान्य नियमावली-

1. सभाकक्ष सीमित समयावधि के लिए पूर्णतया नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा ।

2. सभाकक्ष की नि:शुल्क बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' और उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।

3. आयोजन के लिए लिखित रूप/ईमेल द्वारा, कार्यक्रम के विवरण सहित आवेदन करना होगा तथा आयोजन अवधि में पूर्ण अनुशासन बनाये रखने की सहमति देनी होगी।

4. सभाकक्ष में केवल साहित्यिक आयोजनों की ही अनुमति होगी और अकादमी की केंद्रीय समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

नोट : नि:शुल्क सभाकक्ष की बुकिंग के लिए संपर्क करें :-

सुधाकर पाठक

अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
प्लॉट 19-20, पॉकेट बी-5, सेक्टर 7, रोहिणी,
(निकट रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन), दिल्ली-110085

ईमेल: hindustanibhashabharati@gmail.com
Info@hindustanibhadhaakadami.com
मोबाइल- 9873556781 / 9968097816

वेबसाइट : www.hindustanibhashaakadami.com

राजभाषा : राष्ट्रभाषा : मातृभाषा- भारत को चाहिए भाषा-स्वराज

भाषा केवल संवाद और अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। किसी भी समाज की संस्कृति की संवाहक होती है भाषा। यह मनुष्य को जड़ों से जोड़ने का दायित्व निभाती है। मनुष्य को स्वयं को पहचानने और परिभाषित करने का माध्यम होती है। भाषा का प्रश्न राष्ट्र की अस्मिता का भी है। महात्मा गांधी ने भाषा के संबंध में स्पष्टोक्ति की है-''जिस राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं होती, वह राष्ट्र गूँगा होता है।'' मूर्धन्य संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी का मत और अधिक मुखर एवं प्रखर रहा है- ''मुझे देश की आजादी और भाषा की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निस्संकोच भाषा की आजादी चुनूँगा। देश की आजादी के बावजूद भाषा की गुलामी रह सकती है, लेकिन अगर भाषा आजाद हुई तो देश गुलाम नहीं रह सकता।''

भाषा के संदर्भ में व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना अधिक उपयुक्त रहेगा। ये परिप्रेक्ष्य हैं- मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। वस्तुतः एक हजार से अधिक भाषाएँ जिस भारत की संस्कृति को विशिष्ट बनाती हैं, उसे भाषायी स्वराज की सर्वाधिक आवश्यकता है। क्योंकि अंग्रेजी की गुलामी ने भारतीय मानस को मर्माहत कर रखा है, हीन भावना से भरा है। स्वत्व और स्वाभिमान को खण्डित किया है। जब तक भारत में भाषायी स्वराज अस्तित्व में नहीं आता तब तक स्वाधीनता को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

जिन तीन परिप्रेक्ष्य का उल्लेख ऊपर किया है, उनसे पहले इस समय देश के कुछ राज्यों में हिन्दी की जगह अंग्रेजी को स्थान देकर जो विषम स्थिति पैदा की गई है, उसकी चर्चा करना आवश्यक है। यह स्थिति दुखद है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी, जब हम भारतीय भाषाओं के उत्थान और राजकीय कार्यों में उनके उपयोग के प्रयास करते रहे हैं, देश के चार राज्यों ने विदेशी भाषा अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाए रखा है। ये राज्य हैं - अरुणाचल, मेघालय, नगालैंड और सिक्किम। तमिलनाडु, जहाँ राजनीतिक कारणों से हिन्दी विरोधी आंदोलन होते हैं, उसने तमिल को तो अपनी राजभाषा बनाया, किंतु वहाँ दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तमिलनाडु तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार नहीं करना चाहता। मणिपुर ने मैतेयी अथवा मणिपुरी को अपनी प्रथम भाषा बनाया लेकिन दूसरे स्थान पर अंग्रेजी को रखा है। यही ओडिशा ने भी किया है, जहाँ पहली भाषा ओडिया तो दूसरी अंग्रेजी है। खेद की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे हिन्दी भाषी राज्यों ने हिन्दी को तो प्रथम आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है परंतु यहाँ भी दूसरी भाषा के रूप में किसी अन्य भारतीय भाषा की जगह अंग्रेजी को बैठाया गया है। मिजोरम ने अपनी आधिकारिक भाषाओं में मिजो और अंग्रेजी के साथ हिन्दी को भी स्थान दिया है।

राजभाषाः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में प्रावधान किया गया है- ''देवनागरी में लिखित हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा।''

विजयदत्त श्रीधर

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को प्रभावशील हुआ। इसमें हिन्दी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। परंतु 15 वर्ष तक अंग्रेजी में भी राज-काज चलाते रहने का प्रावधान किया गया। वस्तुतः संकल्प का विकल्प नहीं होता। परंतु हिन्दी को राजभाषा की मान्यता प्रदान करने के संकल्प का विकल्प अंग्रेजी के रूप में बनाए रखा गया। यह स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी के विकल्प ने हिन्दी के संकल्प को कमजोर किया और एक सीमा तक अर्थहीन भी बनाया। मूल संकल्प के अनुसार सन् 1965 में भारत को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्ति मिल जानी थी। परंतु इसके पहले ही राजभाषा हिन्दी राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हो गई। तमिलनाडु में उठे विरोध के बवंडर में संविधान सभा के सदस्यों की भावनाएँ और संकल्प ढह गए। हिंसक विरोध और राजनीतिक स्वार्थों के दबाव में राजभाषा अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि ''संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि समाप्त होने के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाती रहेगी।'' व्यवहार में इन संशोधनों का परिणाम यह निकला है कि अंग्रेजी ही राजकाज, संसदीय व्यवहार और न्यायालय की मुख्य भाषा बनी हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और वर्चस्व के युग में अंग्रेजी रोजगार की भाषा के रूप में भी सशक्त हुई है। अंग्रेजियत भरी मानसिकता के कारण हिन्दी के विकास की दिशा में ठोस कदम नहीं उठ पा रहे हैं। भविष्य पर तो यह संकट भी मँडरा रहा है कि नई पीढ़ियाँ भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और परंपराओं से कटकर न रह जाएँ। हिन्दीतर भाषी राज्यों के साथ-साथ हिन्दी राज्य भी अंग्रेजी वर्चस्व के बहाव में बह रहे हैं। अंग्रेजी को ज्ञान का पर्याय मान लिया गया है। सत्ता के प्रभाव में अंग्रेजी रौब-दाब की भाषा बनी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (वर्ष 2020) में मातृभाषा और हिन्दी भाषा विषयक प्रावधान के विरोध में अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता ने जैसे प्रहार और प्रतिरोध किए, उन्हें स्वतंत्रता के 77 वर्ष और भारत का संविधान लागू होने के 75 वर्ष की कालावधि के बाद सर्वथा नकारात्मक ही माना जाएगा। परंतु भाषा का सवाल विधान और नियमों के सहारे हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक पहल, जागरूक नागरिक चेतना, राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वराज के संकल्प की आवश्यकता है। उसका स्वरूप भी बहुआयामी होना चाहिए। हिन्दी साहित्य सम्मेलन इस दिशा में युगांतरकारी अनुष्ठान का मंच सिद्ध हो सकता है।

मातृभाषा/लोकभाषा : हम मध्यप्रदेश में इस दिशा में कुछ पहल और प्रयास कर रहे हैं और वह है भारतीय भाषा सत्याग्रह। इसमें पहले स्थान पर मातृभाषा को रखा गया है। महात्मा गांधी और सभी शिक्षा आयोगों का स्पष्ट मत रहा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। पराई भाषा में शिक्षा देना नौनिहालों पर अत्याचार है। बच्चे जो भाषा माता-पिता, परिजनों और समाज से सीखते हैं, उसी में शिक्षा देना सीखने का सबसे सुचारु माध्यम है।

हिन्दी राज्यों के संदर्भ में यह तथ्य रेखांकित किया जाना चाहिए कि उनके जनपदों में लोकभाषाएँ विद्यमान हैं। हमारा आशय भोजपुरी, बृज, अवधी, कौरवी, बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊँनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी आदि लोकभाषाओं से है। इनकी समृद्ध संस्कृति और प्रचुर साहित्य है। इन लोकभाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य ने हिन्दी का कलेवर परिपूर्ण किया है। सूर, तुलसी, मीरा, जायसी, प्रभृति हिन्दी साहित्याकाश के जगमग सितारे मूलत: अपने जनपद की लोकभाषा के महान साहित्यकार हैं। अपने-अपने अंचल में इन लोकभाषाओं का प्रचलन बना रहे और उनसे हिन्दी का साहित्य भण्डार भरता रहे, यह समन्वित सोच हिन्दी की आवश्यकता है। सभी लोकभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान दिया जाए।

भारतीय भाषाएँ : मातृभाषा के पश्चात हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का स्थान आता है। भारत भाषायी बहुलता वाला राष्ट्र है। देश के 10 राज्य- उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हिन्दी भाषी राज्य हैं। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड, केरल में मलयालम, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में तेलुगु, ओडिशा में ओडिया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, असम में असमिया, जम्मू-कश्मीर में डोगरी और कश्मीरी, गोवा में कोंकणी, मणिपुर में मणिपुरी आदि भाषाएँ अष्ठम अनुसूची में सम्मिलित हैं। इस सूची में संस्कृत, नेपाली, बोडो, सिंधी, संथाली, उर्दू और मैथिली का भी समावेश है। व्यावहारिक और राष्ट्रहितैषी भाषानीति तो यही हो सकती है कि हिन्दी भाषी राज्यों में राजकाज, शिक्षा और न्यायालय की भाषा केवल हिन्दी हो। अन्य राज्यों में, जिस राज्य की जो भाषा है उसी में समस्त कामकाज किया जाए। तात्पर्य यह कि राजकाज, शिक्षा और न्यायालय में अंग्रेजी का प्रभुत्व ही नहीं, अपितु प्रचलन भी नहीं होना चाहिए। दो टूक और सच्चा सिद्धांत यह है कि जिस जनता की खून-पसीने की कमाई से राज्य का खजाना भरता है और कामकाज चलता है; उसमें अन्नदाता का दर्जा जनता का होता है। बाकी सब सेवक की श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्थिति में उस भाषा का प्रचलन जो एक-दो प्रतिशत लोगों को छोड़कर, अधिकांश जनता को नहीं आती हो, किसी भी रूप में लोकतांत्रिक मान्यता और नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं है। स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए।

सामंजस्य और समन्वय : अब सवाल आता है भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच सामंजस्य और समन्वय का। यह परस्पर सौहार्द्र और आदान-प्रदान के माध्यम से सुचारु हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा दायित्व और भूमिका हिन्दी की है। समूचा देश हिन्दी को अपनाए और हिन्दी वाले अन्य भारतीय भाषाओं को अपनाने में रुचि न लें, तब सौहार्द्र कदापि संभव नहीं। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर हिन्दी साम्राज्यवाद का राजनीति प्रेरित आक्षेप भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता। आवश्यक हो जाता है कि हिन्दी भाषी राज्यों के शासकीय विश्वविद्यालयों में किसी एक (हिन्दीतर) भारतीय भाषा के अध्ययन-अध्यापन का प्रावधान किया जाए। इन भाषाओं के लिए संबंधित भाषा के सर्वमान्य बहुप्रतिष्ठित

साहित्यकार के नाम से पीठ स्थापित की जानी चाहिए। डिप्लोमा और उपाधिस्तर के पाठ्यक्रम अनुवाद जैसे रोजगार के नए अवसर उपजा सकते हैं। अधिक महत्वपूर्ण यह कि हिन्दी भाषी राज्यों की ओर से अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों तक अपनेपन का संदेश पहुँचेगा। भाषायी सौहार्द्र बढ़ेगा जो अंतत: राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगा। हिन्दी राज्यों में विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो। माध्यमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक पूरे देश में हिन्दी का पठन-पाठन हो।

भारतीय भाषाओं के बीच शब्दों का आदान-प्रदान बढ़ना चाहिए। हिन्दी को अपना शब्द भण्डार बढ़ाने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं से उपयुक्त शब्द ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह अन्य भारतीय भाषाएँ भी हिन्दी से शब्द ग्रहण करें। संस्कृत के शब्द तो लगभग सभी भारतीय भाषाओं में प्रचलित हैं। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्य का आदान-प्रदान बढ़े। बांग्ला, मराठी, गुजराती एवं अन्य भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हुआ है और वे वृहत् हिन्दी पाठक समाज तक पहुँची भी हैं। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिनमान, नवनीत, सारिका, कल्पना आदि हिन्दी की बहु प्रसारित पत्रिकाओं ने अन्य भारतीय भाषाओं के अनेक साहित्यकारों की रचनाओं का हिन्दी भाषियों को आस्वादन कराया है। पहले सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी आदि पत्रिकाएँ यह काम करती रही हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में सभी भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद संजोया जाना चाहिए। इन ग्रंथों के आधार पर विद्यार्थियों के लिए विविध प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँ और विजेताओं को समुचित पुरस्कार प्रदान किए जाएँ।

राज्यों में त्रिभाषा सूत्र का निष्ठापूर्वक पालन आवश्यक है। हिन्दी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में किसी अन्य भारतीय भाषा को सम्मिलित किया जाए और अन्य भारतीय भाषाओं वाले राज्यों में हिन्दी दूसरी भाषा हो । रहा सवाल ज्ञान-विज्ञान की भाषा का, उसका इकलौता दारोमदार अंग्रेजी पर नहीं हो सकता। अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी, स्पेनिश, मंदारिन आदि भाषाएँ भी ज्ञान-विज्ञान का माध्यम हो सकती हैं। तथापि विदेशी भाषाओं का

दर्जा 'स्किल' के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। विदेशों में रोजगार के अभिलाषियों के लिए विदेशी भाषा का ज्ञान सहायक होता है। यह शिक्षार्थियों पर छोड़ दिया जाए कि वे किस विदेशी भाषा के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। ये उन्नत भाषाएँ जिन देशों की हैं उन्होंने प्रगति के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व नहीं स्वीकारा, परंतु प्रगति में वे अंग्रेजी वाले देशों से कतई पीछे नहीं हैं।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा जिन्होंने निरूपित किया, उनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी । हिन्दी वालों को यह तथ्य हृदयंगम करना आवश्यक है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा की लोकमान्यता नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मिली। इसका श्रेय भी उन महापुरुषों को जाता है जो मूलत: हिन्दी भाषी नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, केशवचन्द्र सेन, सुभाषचन्द्र बोस की मातृभाषा बांग्ला थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मातृभाषा तमिल थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे, पं. केशव वामन पेठे, विष्णु सखाराम खांडेकर की मातृभाषा मराठी थी। इन सभी का उद्घोष था कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश में हिन्दी भाषा के माध्यम से कार्य व्यवहार सहज संभव है। माधवराव सप्रे, बाबूराव विष्णु पराडकर, लक्ष्मणनारायण गर्दे, सिद्धनाथ माधव आगरकर जैसे मराठी मातृभाषी मनीषियों ने हिन्दी पत्रकारिता को शिखर तक पहुँचाया। काका कालेलकर, गुणाकर मुले, जयंत विष्णु नार्लीकर ने हिन्दी लेखन में मानक रचे। कन्नड भाषी नारायण दत्त हिन्दी के सर्वाधिक गुणी संपादक रहे हैं। यह महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने सन 1918 में इन्दौर में संपन्न हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय संबोधन में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जो टोली उन्होंने भेजी थी, उसमें देवदास गांधी, स्वामी सत्यदेव, मोटूरि सत्यनारायण, पट्टाभि सीतारामय्या, भालचन्द्र आपटे सदृश भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों का समावेश किया गया था।

हिन्दी का दायित्व : यह प्रकट तथ्य है कि खड़ी बोली हिन्दी के विकास में हिन्दी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता ने हिन्दी गद्य का परिमार्जन किया। हिन्दी के शब्द भाण्डार को बढ़ाने में हिन्दी के संपादकों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस गर्वीली पृष्ठभूमि से उलट वर्तमान हिन्दी पत्रकारिता में जिस तरह अंग्रेजी शब्दों की घुसपैठ की जा रही है, वह सोचनीय है। भाषाओं में दूसरी भाषाओं के शब्दों की आवाजाही स्वाभाविक है। इसे स्वीकार भी किया जाता है। हिन्दी में भी दुनियाभर की भाषाओं के सैकड़ों शब्दों का प्रचलन हुआ है। परंतु उन्हें हिन्दी के अनुशासन में ही आत्मसात किया गया है।

राजभाषा हिन्दी में प्रशासनिक शब्दावली में एकरूपता के लिए अभी बहुत काम किया जाना है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस भौगोलिक इकाई को 'संभाग' कहा जाता है, वह उत्तरप्रदेश में 'मंडल' है। यही स्थिति 'जिले' की है जिसे उत्तरप्रदेश में 'जनपद' कहा जाता है। किसी राज्य में 'अभियंता' तो किसी में 'यंत्री' शब्द प्रयुक्त होता है। जिलाधीश, जिलाधिकारी भी ऐसे पदनाम हैं। मध्यप्रदेश में संचालक, जबकि अन्य प्रदेशों में निदेशक होता है। सभी हिन्दी राज्यों में नामावलियों की एकरूपता इसलिए भी जरूरी है ताकि अन्यत्र यह उपहास का विषय न बने।

हिन्दी शिक्षण, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, उच्चारण और वर्तनी की परिशुद्धता और मानक प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। शुद्ध वर्तनी से लेखन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होगी। शुद्ध उच्चारण से संभाषण भाषा के दोष से मुक्त होगा। इससे अभिव्यक्ति प्रभावी और आकर्षक होगी। पहले हिन्दी के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से शुद्ध वर्तनी और उच्चारण के प्रयोग के लिए नियमित अभ्यास कराते थे। सुलेख पर भी ध्यान दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होता।

यहाँ मध्यप्रदेश की 4 अप्रैल, 2018 की ऐतिहासिक परिघटना का उल्लेख विशेष संदर्भ में करना चाहता हूँ। चिंतक, कवि, संपादक 'एक भारतीय आत्मा' माखनलाल चतुर्वेदी के जन्मस्थान बाबई का नामकरण 'माखननगर' किया गया। दूसरी ओर यह अनुभव पीड़ादायी है कि हिन्दी जगत में इस परिघटना पर गर्व और गौरव की जैसी अनुभूति होनी चाहिए थी, वह दिखी नहीं।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि हिन्दी को उसका अपेक्षित स्थान दिलाने में हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं और हिन्दी सेवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जन सामान्य के बीच हिन्दी के प्रचार-प्रसार से स्थिति में सुधार हुआ है। आशा है कि हमारे यत्न से सरकारें भी हिन्दी के लिए आगे बढ़ने को प्रेरित होंगी।

अपनी बात का समापन इस आग्रह के साथ करना चाहूँगा-

'अपनी भाषा पर अभिमान, सब भाषाओं का सम्मान।'

किसी भारत प्रेमी ने अपनी भावना इस तरह व्यक्त की है-

'अपनी माटी अपना देश, अपनी भाषा अपना वेश।'

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का आह्वान स्मरण कीजिए-

'मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती,
भगवान भारत वर्ष में गूँजे हमारी भारती।'

हम सबका स्वर इस स्वर में मिले और वह भाषा-स्वराज का शंखनाद बने, यही कामना है।

(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के 76 वें अधिवेशन, आणंद में, 22 मार्च को 'राष्ट्रभाषा परिषद' के अध्यक्षीय संबोधन का संपादित अंश)

-विजयदत्त श्रीधर, संस्थापक-संयोजक
माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय
एवं शोध संस्थान, भोपाल(म.प्र.)-462003

हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता : समस्या और संभावनाएँ

भारत एक बहुभाषा-भाषी देश है, जहाँ संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं और सैकड़ों क्षेत्रीय बोलियाँ जन-जीवन में जीवित हैं । ऐसे में हिन्दी, जो देश की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को लेकर लंबे समय से विमर्श जारी है । हिन्दी को संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है, परंतु व्यवहार में इसकी स्वीकार्यता, प्रयोग और प्रसार कई समस्याओं, विरोधों और चुनौतियों से घिरा रहा है । गणतंत्र के अमृत काल तक भी हम इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर पाए हैं । इसके समानांतर, बदलते परिदृश्य में हिन्दी की संभावनाएँ गहरे विरोधाभासों के बीच भी प्रबल हो रही हैं, जो इसे एक सशक्त संपर्क भाषा और वैश्विक संवाद की शक्ति बना सकती हैं । आवश्यकता दृढ़ इच्छाशक्ति एवं प्रयत्नों की है, जबकि यह राजनीति के दाँव-पेच में उलझकर रह गई है ।

राष्ट्रीय स्वीकार्यता से आशय

राष्ट्रीय स्वीकार्यता से आशय किसी भाषा को संपूर्ण राष्ट्र में न केवल संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से स्वीकार करने से है, बल्कि लोक व्यवहार के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यवहारिक स्तर पर भी उसे सहजता से अपनाने से भी है । हिन्दी की स्वीकार्यता का तात्पर्य यही है कि देश के विभिन्न भूभागों में, विभिन्न प्रदेशों में उसे बिना किसी पूर्वग्रह, बिना अहम, बिना भय समान रूप से समझा, बोला और अपनाया जाए, बिना किसी भाषाई अस्मिता या वर्चस्व की भावना के ।

हिन्दी की वर्तमान स्थिति

भारत में हिन्दी मातृभाषा के रूप में लगभग 44% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है । इसके अतिरिक्त, करोड़ों लोग इसे दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं । हिन्दी फिल्मों, टीवी, सोशल मीडिया और व्यावसायिक संचार ने इसे देशव्यापी पहुँच दिलाई है । संसद में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली भाषा हिन्दी है, और अधिकांश राज्यों में किसी-न-किसी रूप में हिन्दी का शैक्षणिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्रयोग देखा जा सकता है । उल्लेखनीय यह भी है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी बोलचाल में कुछ अंशों तक प्रयोग में आ रही है ।

समस्याएँ : हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता में बाधाएँ

१. भाषाई विविधता और क्षेत्रीय अस्मिता

भारत की भाषाई विविधता उसकी सांस्कृतिक संपदा है, किंतु यही विविधता हिन्दी की स्वीकार्यता में बाधा भी बन रही है । दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में हिन्दी को 'थोपी गई भाषा' मानने की धारणा रही है। प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति गहरा लगाव और राजनीतिक दलों द्वारा भाषाई पहचान को वोट बैंक से जोड़ने के कारण हिन्दी का विरोध होता रहा है । महाराष्ट्र में भी इन दिनों राजनीति के चलते भाषाई विवाद खड़ा कर हिन्दी विरोध का एजेंडा चलाया जा रहा है । जबकि हिन्दी स्थानीय भाषा और बोलियों के विकास में कहीं बाधक नहीं है ।

डॉ. प्रदीप उपाध्याय

२. औपनिवेशिक मानसिकता और अंग्रेजी वर्चस्व

अंग्रेजी, जो औपनिवेशिक विरासत के रूप में हमारे प्रशासन, न्याय और उच्च शिक्षा में व्याप्त रही, आज भी हिन्दी से अधिक 'प्रतिष्ठित' मानी जाती है । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कॉर्पोरेट जगत, तकनीक और विज्ञान की दुनिया में हिन्दी को वह स्थान नहीं मिल सका जो उसकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए था । हिन्दी भाषी लोग भी अंग्रेजी के प्रभुत्व के बोझ तले हीं भावना से ग्रसित हैं।

३. हिन्दी पट्टी में हिन्दी का उपेक्षित विकास

विडंबना यह है कि हिन्दीभाषी राज्यों में भी हिन्दी का शुद्ध, समृद्ध और व्यावसायिक विकास नहीं हुआ । प्रशासनिक भाषा में अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, तकनीकी शब्दावली की जटिलता और शिक्षण सामग्री की सीमितता हिन्दी को व्यवहारिक रूप में कमजोर बनाती है ।

४. भाषाई वर्चस्व का भय

हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने की माँग बार-बार उठती रही है, जिससे अन्य भाषा-भाषियों को यह भय सताता है कि कहीं उनकी भाषाई अस्मिता समाप्त न हो जाए । यह भय हिन्दी विरोध की मानसिकता को जन्म देता है, जो इसकी स्वीकार्यता में रोड़ा बनता है। हिन्दी विरोध की समस्या सामाजिक न होकर राजनीतिक अधिक है।

संवैधानिक और सरकारी प्रयास

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है । साथ ही, अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वह हिन्दी को समृद्ध करे और भारत की अन्य भाषाओं से शब्द लेकर उसे अधिक सशक्त बनाए । विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु योजनाएं बनाई गईं, जिनमें प्रमुख हैं:

क राजभाषा विभाग की स्थापना

ख हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस का आयोजन

ग अनुवाद प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

घ हिन्दी में तकनीकी शिक्षा सामग्री का विकास

फिर भी, इन प्रयासों की गति अपेक्षित नहीं रही है और क्रियान्वयन की कमजोरी के चलते जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव सीमित रहा है। यहाँ तक स्थिति है कि वर्तमान में इनके प्रयास औपचारिक अधिक होते जा रहे हैं।

हिन्दी की संभावनाएँ

1. संचार और मीडिया की भाषा के रूप में हिन्दी

टीवी, रेडियो, फिल्मों और डिजिटल मीडिया में हिन्दी का वर्चस्व है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हिन्दी कंटेंट की माँग तेजी से बढ़ रही है। यह हिन्दी को एक 'जनभाषा' और 'जनसंचार की भाषा' के रूप में स्थापित कर रहा है।

2. हिन्दी का वैश्विक विस्तार

अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, खाड़ी देश और अन्य देशों में बसे भारतीयों के कारण हिन्दी का अंतरराष्ट्रीय विस्तार हुआ है। अब हिन्दी केवल भारत की नहीं, वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति की पहचान बन रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी हिन्दी सेवाओं में निवेश कर रही हैं।

3. हिन्दी में तकनीकी और शैक्षणिक संसाधनों की वृद्धि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की गई है। इससे हिन्दी में शैक्षणिक सामग्री का निर्माण बढ़ेगा और उच्च शिक्षा में हिन्दी का प्रयोग बढ़ सकता है। इंजीनियरिंग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा भी हिन्दी में देने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीनी अनुवाद और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी हिन्दी पर कार्य हो रहा है।

4. हिन्दी साहित्य और शोध की नवदिशाएँ

हिन्दी साहित्य, जो अब तक अधिकतर कविता, कहानी, उपन्यास और आलोचना तक सीमित था, अब शोध, विज्ञान लेखन, लोक साहित्य, अनुवाद साहित्य, पत्रकारिता और अन्य विधाओं में भी सशक्त हो रहा है। युवा लेखक नए विषयों पर लिख रहे हैं और नए पाठक वर्ग हिन्दी को अपनाने लगा है।

समाधान और सुझाव

1. हिन्दी को थोपे नहीं, अपनाने लायक बनाएँ

हिन्दी को यदि वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिलानी है, तो उसे सहज संवाद की भाषा के रूप में प्रस्तुत करना होगा, न कि सत्ताधारित वर्चस्व की भाषा के रूप में। इसका स्वरूप सरल, समावेशी और व्यवहारिक होना चाहिए।

2. क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संवाद और सहयोग का मार्ग

हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रतिद्वंद्वी नहीं, पूरक बनाकर देखा जाए। क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द लेकर हिन्दी को समृद्ध बनाना, अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान रखना और अनुवाद के माध्यम से भाषाई पुल बनाना आवश्यक है।

3. हिन्दी में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार

हिन्दी में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, कानून और विज्ञान जैसे क्षेत्रों की पाठ्यसामग्री विकसित की जाए। इससे छात्र अपनी मातृभाषा में बेहतर समझ के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

4. प्रशासनिक और न्यायिक भाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा

निचली अदालतों और राज्य प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए। साथ ही, अनुवाद की गुणवत्ता में सुधार और द्विभाषिक दस्तावेजों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए।

5. हिन्दी को रोजगार से जोड़ना

यदि हिन्दी भाषा में दक्षता को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से महत्त्व मिलेगा, तो युवा वर्ग इसे केवल एक विषय नहीं, एक कौशल के रूप में ग्रहण करेगा।

निष्कर्ष

हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता न तो किसी एक सरकार की योजना से संभव है, न ही इसे बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, भाषाई समरसता और नीति-निर्माताओं की दूरदर्शिता आवश्यक है। हिन्दी को सशक्त बनाने के साथ-साथ अन्य भाषाओं का सम्मान करते हुए, एक ऐसी भाषाई संस्कृति का निर्माण करना होगा, जिसमें संवाद, सह-अस्तित्व और आत्मीयता के सूत्र जुड़ें।

हिन्दी के पास जनशक्ति है, साहित्यिक संपदा है, अभिव्यक्ति की सरलता है। यदि इसे राष्ट्र की अभिव्यक्ति बनाना है, तो उसे आमजन के जीवन से जोड़ना होगा, ना कि केवल राजभाषा कार्यालयों या नारेबाजी, प्रदर्शनों तक सीमित रखना। हिन्दी केवल भाषा नहीं, भारतीयता की धड़कन बन सकती है। शर्त यही है कि उसे केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, संवेदनशील सांस्कृतिक माध्यम माना जाए। विरोध के स्वर हिन्दी भाषी ही भाषाई समरसता के साथ दूर कर सकते हैं।

-डॉ. प्रदीप उपाध्याय
16, अम्बिका भवन, उपाध्याय नगर
मेंढकी रोड़, देवास (म.प्र.)

आम बोलचाल और रोजगार के रूप में हिन्दी की स्थिति

जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसकी पहली पुकार 'माँ' होती है- और यह शब्द हिन्दी की आत्मा से जुड़ा है । यह वह भाषा है जिसमें किसान सुबह खेत में हल चलाते समय गुनगुनाता है, यह वह जुबान है जिसमें फेरीवाला गली-गली आवाज लगाता है, यह वह बोली है जिसमें प्रेमी अपने हृदय का हाल सुनाता है । हिन्दी केवल शब्दों का संकलन नहीं है, यह हमारे भावनाओं का स्पंदन है, यह हमारी सांसों का संगीत है । कभी किसी अजनबी नगर में अचानक कोई 'राम-राम भाई' कह दे तो मन का अकेलापन मिट जाता है । यही वह जादू है हिन्दी का, जो अनजान को भी अपना बना लेती है । यही कारण है कि यह भाषा आम बोलचाल में आत्मीयता का सेतु बनकर हर दिल को जोड़ती है । लेकिन प्रश्न यह है कि जिस भाषा ने हमें इतने सहज ढंग से जोड़ा, क्या वही भाषा हमें रोजगार और सम्मान से भी जोड़ पाई है ?

भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, वह समाज और संस्कृति का जीवित प्रतीक भी होती है । किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा के माध्यम से ही उस राष्ट्र के लोग आपस में जुड़ते हैं । भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में हिन्दी का स्थान विशेष है । यह न केवल करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा है, बल्कि आम बोलचाल, साहित्य, राजनीति, प्रशासन और शिक्षा से लेकर रोजगार की दुनिया तक इसकी गहरी पैठ है । फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या हिन्दी अपनी समृद्धि और व्यापकता के बावजूद रोजगार के स्तर पर उतनी मजबूत स्थिति में है, जितनी आम बोलचाल में ? क्या हिन्दी भाषियों को भाषा के कारण रोजगार में बढ़त मिलती है या अंग्रेजी के दबाव में हिन्दी पिछड़ती जा रही है ? यही वह द्वंद्व है जिसे समझने की आवश्यकता है ।

हिन्दी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : हिन्दी का विकास संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा से हुआ । कबीर, सूर, तुलसी और रहीम की वाणी से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और अज्ञेय तक की हिन्दी ने सामाजिक चेतना को दिशा दी । स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी ने जन-जन को जोड़ा और एक साझा भाषा के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बनी ।

आजादी के बाद हिन्दी को संविधान की राजभाषा का दर्जा मिला । इसका उद्देश्य था कि धीरे-धीरे केन्द्र और राज्यों के प्रशासन, शिक्षा और रोजगार में हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया जाए ।

आम बोलचाल में हिन्दी की स्थिति

(क) रोजमर्रा की भाषा : भारत के लगभग 55 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी को अपनी मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं । यह आंकड़ा इसे विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर रखता है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार, गाँव-गली, शहर, हर जगह हिन्दी संवाद का सबसे सहज माध्यम है ।

दिलीप कुमार शर्मा 'अज्ञात'

(ख) मीडिया और मनोरंजन : टीवी सीरियल, फिल्में, रेडियो, अख़बार और सोशल मीडिया पर हिन्दी की पकड़ सबसे मजबूत है । बॉलीवुड की भाषा हिन्दी है, और इसका असर इतना व्यापक है कि गैर-हिन्दी भाषी भी हिन्दी को आसानी से अपनाते हैं । आज 'हिन्दी पट्टी' से बाहर के लोग भी हिन्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यह एक साझा सांस्कृतिक धारा बन गई है ।

(ग) डिजिटल युग में हिन्दी : इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हिन्दी के स्वरूप को और मजबूत किया है । गूगल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल करोड़ों नए इंटरनेट उपभोक्ता जुड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रयोगकर्ता होते हैं । यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, हर जगह हिन्दी सामग्री की माँग तेजी से बढ़ रही है ।

रोजगार में हिन्दी की स्थिति

(क) शिक्षा और सरकारी नौकरियों में : हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है । यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम एक सशक्त विकल्प है । इसके अलावा, शिक्षण, पत्रकारिता, साहित्य, अनुवाद और प्रशासनिक सेवाओं में हिन्दी का महत्त्व निरंतर बढ़ रहा है ।

(ख) निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट दुनिया : यहाँ तस्वीर थोड़ी जटिल है । कॉरपोरेट क्षेत्र, खासकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अंग्रेजी को प्राथमिकता मिलती है । प्रबंधन, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को अक्सर हीन भावना का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उपभोक्ता बाजार की वास्तविकता बदल रही है । भारत की विशाल जनसंख्या हिन्दी भाषी है और कंपनियाँ ग्राहकों तक पहुँचने के लिए हिन्दी का इस्तेमाल करने लगी हैं । विज्ञापन, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा और डिजिटल सामग्री निर्माण में हिन्दी विशेषज्ञों की माँग बढ़ी है ।

(ग) पत्रकारिता और मीडिया उद्योग : हिन्दी पत्रकारिता देश की सबसे व्यापक पत्रकारिता है । हिन्दी अखबारों का प्रसार अंग्रेजी अखबारों से कई गुना अधिक है । समाचार चैनलों पर हिन्दी का बोलबाला है । इस क्षेत्र ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है ।

(घ) अनुवाद और कंटेंट लेखन : वैश्वीकरण के दौर में अनुवाद एक बड़ा उद्योग बन गया है । हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवादकों की भारी माँग है । इसी प्रकार डिजिटल युग में कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग और पॉडकास्टिंग में हिन्दी ने एक नया रोजगार क्षेत्र खोल दिया है ।

चुनौतियाँ

(क) अंग्रेजी का दबाव : नौकरी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी को श्रेष्ठ माना जाता है । परिणामस्वरूप हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को अक्सर 'पिछड़ा' समझा जाता है । यह मानसिकता हिन्दी की रोजगारपरक क्षमता को सीमित करती है ।

(ख) तकनीकी शब्दावली की कमी : विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे विषयों में हिन्दी की तकनीकी शब्दावली अभी भी पर्याप्त विकसित नहीं है । इससे छात्रों और पेशेवरों को कठिनाई होती है ।

(ग) नीति और व्यवहार में अंतर : संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसका उपयोग सीमित है । उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी अंग्रेजी को वरीयता मिलती है । कई सरकारी दफ्तरों में हिन्दी का प्रयोग औपचारिकताओं तक सीमित है ।

अवसर और संभावनाएँ

(क) उपभोक्ता बाजार : भारत की विशाल हिन्दीभाषी आबादी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है । विज्ञापन, फिल्म, टीवी और डिजिटल कंटेंट में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे ।

(ख) डिजिटल हिन्दी : कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऐप डेवलपमेंट और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हिन्दी रोजगार का नया मार्ग खोल रही है । आज हिन्दी यूट्यूबर और ब्लॉगर्स करोड़ों रुपये कमा रहे हैं ।

(ग) पर्यटन और सांस्कृतिक उद्योग : पर्यटन, कला, संस्कृति और हस्तशिल्प के क्षेत्र में हिन्दी का इस्तेमाल विदेशी पर्यटकों और भारतीय उपभोक्ताओं से जुड़ने में सहायक है ।

(घ) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी : संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने की चर्चा चल रही है । नेपाल, मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम और खाड़ी देशों में हिन्दी बोलने वालों की बड़ी संख्या है । यदि भारत सरकार कूटनीति में हिन्दी का उपयोग बढ़ाए, तो विदेशों में भी हिन्दी विशेषज्ञों के लिए रोजगार की संभावनाएँ खुलेंगी ।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से हिन्दी : भाषा केवल नौकरी का साधन नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और पहचान का भी प्रश्न है । जब हिन्दीभाषी युवक-युवतियाँ अंग्रेजी को ही श्रेष्ठ मानते हैं तो यह आत्महीनता उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है । दूसरी ओर, यदि वे गर्व के साथ हिन्दी को अपनाएँ, तो न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में हिन्दी का स्थान भी और सुदृढ़ होगा ।

समाधान और सुझाव - शिक्षा नीति में बदलाव : तकनीकी और व्यावसायिक विषयों की किताबें सरल और प्रामाणिक हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएँ ।

सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन : राजभाषा नियमों का कड़ाई से पालन हो और हिन्दी में काम करने वालों को प्रोत्साहन मिले ।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल : हिन्दी में अधिकाधिक सामग्री तैयार की जाए।

अंतरराष्ट्रीय प्रचार : भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक संस्थान विदेशों में हिन्दी को बढ़ावा दें ।

सामाजिक मानसिकता में बदलाव : लोगों को यह समझना होगा कि अंग्रेजी जानना आवश्यक है, लेकिन हिन्दी का तिरस्कार करना आत्मवंचना है । अत: हम कह सकते हैं कि हिन्दी आज भारत की धड़कन है । यह आम बोलचाल की सबसे सशक्त भाषा है, जिसने गाँव और शहर, गली और बाजार, साहित्य और संस्कृति, राजनीति और प्रशासन सबको जोड़े रखा है । लेकिन रोजगार के क्षेत्र में इसकी स्थिति अभी भी मिश्रित है । कहीं उज्ज्वल संभावनाएँ हैं, तो कहीं चुनौतियाँ । यदि हम हिन्दी को गर्व और आत्मविश्वास से अपनाएँ, इसे शिक्षा, प्रौद्योगिकी और रोजगार से जोड़ें, तो यह न केवल भारत को एक नई पहचान दिलाएगी, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार भी खोलेगी । हिन्दी की ताकत उसकी सादगी और आत्मीयता में है । यह वह भाषा है जिसमें बच्चा पहली बार 'माँ' कहता है और किसान खेत में 'राम-राम' पुकारता है । यह वह भाषा है जिसमें प्रेमचंद ने किसानों का दु:ख लिखा और कबीर ने धर्म का सार गाया । यही भाषा आज डिजिटल युग में फिर से करोड़ों लोगों को जोड़ रही है । अत:, हिन्दी केवल आम बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि रोजगार, सम्मान और आत्मगौरव की भाषा भी बन सकती है, यदि हम इसे सचमुच अपने जीवन और कार्य में उतारें ।

हिन्दी की कहानी किसी नदी की तरह है, जो कभी निर्झरिणी बनकर पहाड़ों से उतरती है, कभी मैदानों में फैलकर जीवन देती है और अंत में समंदर में जाकर विश्व से मिल जाती है । यह भाषा आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है । यदि हम इसे केवल घर-आँगन की बोली भर मानेंगे तो यह हमारी आत्मा से कट जाएगी । पर यदि हम इसे शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन और रोजगार से जोड़ देंगे तो यह आने वाली पीढ़ियों की ताकत बन जाएगी । हमें यह याद रखना होगा कि हिन्दी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मगौरव का आधार है। यह वह दर्पण है जिसमें भारत अपनी असली सूरत देखता है । जब हम हिन्दी में सपने देखेंगे और उन्हें साकार करेंगे, तभी यह भाषा सचमुच आम बोलचाल से आगे बढ़कर रोजगार और भविष्य की भाषा बनेगी ।

(गूगल प्राप्त तथ्यों पर आधारित)

-दिलीप कुमार शर्मा 'अज्ञात'
हेजलवुड स्कूल, साँढा, बाजार समिति के पास
पोस्ट : पूर्वी तेलपा, छपरा-841302 (बिहार)

कॉर्पोरेट क्षेत्र में हिन्दी की उपस्थिति

श्याम नारायण श्रीवास्तव

भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, जहाँ लगभग प्रत्येक प्रान्त की अपनी एक अलग भाषा है । अमुक भाषा अपने ही प्रदेश तक सीमित है और समृद्ध भी; जैसे बंगला, मराठी, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उड़िया आदि । किन्तु इन सबके मध्य हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो कई प्रान्तों की भाषा है और विशेषता यह है कि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में भी बोली, लिखी व पढ़ी जाती है ।

भाषा और बोली को लेकर जब भी बात उठती है, तो एक कहावत सर्वप्रथम हमारे समक्ष आकर खड़ी हो जाती है । 'कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी' । ये बोली-बानी ही आगे चलकर भाषा का रूप लेती है, जब उसकी अपनी लिपि और व्याकरण का निर्धारण हो जाता है । लिपि, वर्ण और फिर वर्ण का स्वर और व्यंजन में विभाजन, साथ-साथ व्याकरण के अनुशासन की एक सीमा । इसी सीमा के अंतर्गत सम्पन्न होता है लेखन कार्य, जो अभिव्यक्ति को सम्प्रेषित करने का एक अनुपम तरीका है । जिससे विचारों का आदान-प्रदान होता है । किसी भाषा में लेखन हमारी कला, संस्कृति और विभिन्न व्यवहारिक ज्ञान का संरक्षण करती है । निश्चय ही यदि भाषा के माध्यम से अतीत में अर्जित विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को लिपिबद्ध न किया गया होता, तो आज हम बहुत पीछे होते ।

लेखन के मध्य एक भाषा में दूसरे भाषा के शब्दों को समाहित करने पर उस भाषा की व्यापकता बढ़ जाती है । सम्प्रेषण शक्ति बढ़ जाती है । विचारों के आदान-प्रदान को गति मिलती है । हम सहज ही दूसरों की भावनाओं से अवगत हो जाते हैं । बखूबी समझ लेते हैं कि आखिरकार वह कहना क्या चाहता है । धीरे-धीरे दूसरी भाषा के शब्द भी अपने-से प्रतीत होते हैं । तब और भी जब वे हमारी भाषा के वेशभूषा में आ जाते हैं । भाषा की वेशभूषा का तात्पर्य है उसके व्याकरण में ढल जाना ।

वर्तमान बाजार और उपभोक्तावादी संस्कृति के परिवेश में अपने उत्पाद की खपत बढ़ाने हेतु प्रतियोगिता के दौड़ में कॉर्पोरेट जगत भी हिन्दी भाषा का आश्रय अधिक ले रही है, जिसका मुख्य कारण है हिन्दी की व्यापकता । राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने विज्ञापन अंग्रेजी के शब्दों के साथ हिन्दी में अधिक दे रहे हैं, क्योंकि उनका बाजार हिन्दी भाषी क्षेत्र में अधिक है । दैनिक खाद्य पदार्थ, विलासिता के सामान, बच्चों के खिलौने, शिक्षा से लेकर चिकित्सा व कृषि से उद्योग तक के वस्तुओं के विज्ञापन अंग्रेजी-हिन्दी मिश्रित भाषा में हो रहे हैं; जैसे एक तेल हेतु ठंडा-ठंडा कूल-कूल । दरअसल, हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो अन्य भाषाओं को आत्मसात भी कर लेती है, अपनी वेशभूषा में परिवर्तित कर लेती है।

जैसे 'स्टेशन' विदेशी भाषा से लिया गया एक शब्द है । इसे जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो उसके व्याकरण के अनुसार 'स्टेशनस' नहीं लिखते, बल्कि स्टेशनों लिखते हैं । 'स्टेशनों पर बहुत भीड़ थी ।'- यह है भाषा की वेशभूषा । अब यह शब्द इतना परिचित हो गया कि विदेशी लगता ही नहीं । सच तो यह भी है कि हमारी अपनी हिन्दी भाषा में स्टेशन का इतना सहज या सरल-सा कोई शब्द भी नहीं है, जिसे अब तक बोलचाल की भाषा में प्रचुरता से प्रयोग किया जा रहा हो । यों तो स्टेशन के लिए संस्कृत से आया एक शब्द 'स्थानक' का चयन किया गया है, किन्तु यह इतना प्रचलित शब्द नहीं है; जितना कि अंग्रेजी का शब्द स्टेशन ।

मैंने अपने जीवन के पैंतीस वर्ष से अधिक समय कॉर्पोरेट जगत में व्यतीत किए हैं, जिसमें तीन बड़े इस्पात संयन्त्र के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ । मैं इन संयत्रों के प्रारम्भिक दौर अर्थात् प्रोजेक्ट प्रारम्भ होने के साथ से ही सेवारत रहा । नए क्षेत्र में एक बहुत व्यापक स्तर पर किसी उद्योग हेतु संयत्रों की स्थापना होती है, तो उसे संचालित करने हेतु देश-विदेश के विभिन्न प्रान्तों से कुशल इंजीनियर आते हैं । उनकी अपनी स्थानीय भाषा होती है । नए संयंत्र में जब दो अधिकारी वार्ता करते हैं, तो अधिकतर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं । यों भी अभी तक यह भ्रान्ति है कि बड़े कॉर्पोरेट के साथ कार्य करने हेतु अच्छी अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है, किन्तु वार्ता तो उन्हें वहाँ के स्थानीय कामगारों से भी करना होता है, जो अंग्रेजी नहीं जानते । जैसे दक्षिण प्रदेश का इंजीनियर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या अन्य उत्तरी क्षेत्र में कार्यरत होता है, तो उसे अपनी भाषा में कामगारों को कुछ भी बताना कठिन होता है, यही बात हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ भी है ।

ऐसी स्थिति में वहाँ एक नई बोली-भाषा का जन्म होता है, जिसमें अधिकतर अपभ्रंश होता है । दो-तीन भाषाओं का मेल होता है । मैं अवध क्षेत्र का वासी आज से पच्चीस वर्ष पूर्व बंगाल के दुर्गापुर की एक इस्पात फैक्ट्री में भी कुछ वर्ष था, तो वहाँ के स्थानीय कामगार से बातें करना बहुत कठिन था । वे ग्रामीण अंचल के थे । कम पढ़े-लिखे थे । उनकी जमीन फैक्ट्री परिसर में चली गई थी, तो मुआवजे की शर्त के अनुसार उन्हें नौकरी दे दी गई थी । उन श्रमिकों को हिन्दी, अंग्रेजी नहीं आती थी और मुझे बंगला भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था, ऐसे में दोनों के साथ समस्या थी । सोचिए, ऐसे में उन्हें अपनी बात समझाना कितना कठिन रहा होगा । इसके कई अनुभव मेरे पास हैं, जब मैंने कहा कुछ और उन्होंने समझा कुछ और

ही । लेकिन यह सच है कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो दो भिन्न भाषाओं के मध्य पुल बनकर विचारों के आवागमन को सरल व सहज बनाती है । और हुआ ये कि मैंने बंगला भाषा सीखी और उन्हें इतनी हिन्दी सिखा दी कि आसानी से मेरी बात समझ जाते ।

वैसे जब से यातायात के साधन बढ़े, आवागमन की सुविधा बनी । हम एक स्थान से दूसरे स्थान क्या, देश से विदेश गए । विदेशी यहाँ आए, तो अपनी भाषा और संस्कृति का प्रभाव छोड़ कर गए । इन्हीं आवागमन में शब्दों ने भी यात्रा की । आज तमाम विदेशी शब्द हमारे बीच प्रचलित हैं, वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक उनके सामानांतर हमारे अपने शब्द न खोज लिए जाएँ और वे शब्द विधिवत प्रचार में न आ जाएँ । हिन्दी हेतु मैथलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि हिन्दी उन सभी गुणों से अलंकृत है, जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है ।

भाषा की समृद्धि के लिए हमने एक-दूसरे की भाषा के बहुत से शब्दों को स्वीकार किया । इसमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि विदेशी भाषा के शब्द बहुतायत प्रयोग में हैं । जैसे अंग्रेजी में बुक, पेन, पेन्सिल, रेडियो, हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्कूल, रजिस्टर, कापी, सर्कस, टेलीफोन, मोबाइल, टिकट, स्टेशन आदि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले शब्द हैं । जैसे अरबी भाषा में किस्मत, औरत, तारीख, मतलब, इज्जत, इलाज, किताब, वकील, मालिक, गरीब, जहाज, कीमत आदि तो फारसी के शब्द जवान, दरोगा, जहर, शादी, मुफ्त, अनार, चश्मा, अफसोस आदि । फारसी का एक शब्द 'बीमार' हमारे हिन्दी के 'अस्वस्थ' शब्द से अधिक प्रयोग में है । कुछ विदेशी शब्दों को उसके परिवर्तित रूप में भी स्वीकारा गया । जैसे ट्रेजेडी (Tragedy) से त्रासदी, टेकनिक (Technique) से तकनीक आदि ।

हिन्दी की व्यापकता का प्रभाव यह है कि हमारे शब्द भी तो वहाँ जाकर अपना स्थान बना रहे हैं । ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में प्रतिवर्ष हमारे तमाम ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं जो हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं । मैंने पढ़ा था कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के दसवें संस्करण में कुल 384 भारतीय शब्द अंग्रेजी में शामिल किए गए हैं । खिचड़ी, जलेबी, पलंग, महाराजा, महल, डकैत, कोयल, कुर्ता, खाकी, शाल, महावत, पीपल, तुलसी, खरीफ जैसे शब्द ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश में सहजता से इन्हीं नाम से मिल जाएँगे ।

दरअसल किसी शब्द की सार्थकता पूर्ण रूपेण उसके द्वारा सम्प्रेषित भाव से है । जिन शब्दों के प्रयोग से हम अपनी बात दूसरों तक सहजता से पहुँचा पाते हैं, वे हमारे लिए सदैव प्रासंगिक रहेंगे । उद्योगों के आगमन और व्यापार आदि के कारण बहुत से विदेशी शब्द उनके साथ भी आए, जो आज भी प्रासंगिक हैं । मशीन (Machine) एक ऐसा प्रचलित शब्द है, जिसके लिए यंत्र शब्द लेखन में भले ही प्रयोग में आए, लेकिन बोलचाल की भाषा में तो मशीन ही अधिक उपयुक्त पाया गया ।

विदेशी शब्दों की आवश्यकता या सार्थकता पर एक उदहारण देखें । यातायात के साधन में सबसे प्राचीन सवारी है साइकिल, जिसका निर्माण 1860 में हुआ था । एक साइकिल आप अपने सामने खड़ी कर दीजिए और उसके एक-एक अंग का नाम लिखना शुरू कर दें । आप नब्बे प्रतिशत नाम विदेशी भाषा के शब्दों से ही लिख पाएँगे । हैण्डल, पैडल, ट्यूब, टायर, शीट, स्टैंड, चौन, मडगार्ड, नट, बोल्ट, रिम, कवर, बुश आदि विदेशी शब्द हैं, जिसे गाँव का अनपढ़ मिस्त्री भी जानता है । यही नहीं जब ट्यूब में कोई नुकीली कील आदि धंस जाती है, तो उसे हम विदेशी शब्द 'पंचर' (Puncture) ही कहकर मिस्त्री को बताते हैं ।

इसी तरह अभी देश क्या पूरी दुनिया में एक महामारी 'कोरोना' के नाम से फैली । उसने मास्क, कोरेंटाईन, सैनिटाईजर, लॉकडाउन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वैक्सीन जैसे कई शब्द दिए जो गाँव के अनपढ़ तक प्रयोग कर रहे हैं । वर्तमान में तत्काल सम्प्रेषण की तकनीक मोबाइल ने चिट्ठी-पत्र के लिखने का सिलसिला ही बंद करा दिया । आज मोबाइल से जुड़े कुछ शब्द; जैसे मिसकॉल, व्हाट्स एप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेज, फेक न्यूज, सोशल मीडिया, वीडियो, ऑडियो, वेबिनार जैसे बहुत से शब्द दिए जो सदैव प्रासंगिक ही रहेंगे ।

वैसे धीरे-धीरे बहुत-सा परिवर्तन दिखने लगा है और हम हिन्दी की ओर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं । पूर्व में हम जिसे वैद्य, हकीम कहते थे, वे पहले डॉक्टर हुए और अब चिकित्सक के रूप में पहचाने जाने लगे । नौकरियों का एक चर्चित शब्द 'तबादला' अब ट्रांसफर से 'स्थानान्तरण' हो गया । 'फैसला' जजमेन्ट से होता हुआ 'निर्णय' पर आ चुका है । तो 'फौज' सेना में बदल गई, साहूकार का 'कर्ज' लोन से ऋण तक आ गया है । कार्यालयों का 'तातीलनामा' हॉलिडे लिस्ट से होता हुआ अवकाश-तालिका में परिवर्तित हो चुका है । सच है कि अपनी भाषा और उधार की भाषा में अंतर तो होता ही है । अपनी भाषा में जो माधुर्य और अपनत्व की भावना होती है वह अन्य भाषा में नहीं मिलती । शायद तभी भारतेंदु जी कहते हैं-

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल
अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन
पै निज भाषा-ज्ञान बिन रहत हीन के हीन

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है- आप जिस तरह बोलते हैं उसी तरह लिखा भी जाना चाहिए, भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए । यह सच है हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है । किन्तु जब हम भाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि भाषा भावनाओं की संवाहक है, तो तमाम भावनाओं को सम्प्रेषित करने के लिए अपनी भाषा में विदेशी शब्दों की प्रासंगिकता बनी रहती है । हमें किसी भी भाषा से दुराव नहीं है । कबीर के शब्दों में कहूँ तो 'भाषा बहता नीर' है । उसे रोकना उचित नहीं है । किसी भी भाषा का सीखा जाना बहुत अच्छी बात है, किन्तु अपनी भाषा का वर्चस्व बनाए रखना बहुत आवश्यक है । प्रयास रहे कि हम अपनी भाषा को अधिक-से-अधिक समृद्ध बनाएँ । एक इंजीनियर होने के कारण मैं जिंदल स्टील में कई वर्षों तक कार्यरत रहा । किसी भी फैक्ट्री में मशीनों को सुगमतापूर्वक चलाने हेतु एक 'मानक संचालन प्रक्रिया' होती है जिसे अंग्रेजी में Standard Operating Procedure (SOP) कहते हैं । सुरक्षा विभाग ने एक समिति बना कर सभी SOP को हिन्दी में लिखने को कहा, मैं भी उस समिति में रहा । अंग्रेजी के बहुत से शब्दों को हिन्दीकरण करने में अत्यंत कठिनाइयाँ आईं । फिर अंत में बहुत से अंग्रेजी के शब्दों को हिन्दी के व्याकरण में ढालना पड़ा । धीरे-धीरे कामगार भी अंग्रेजी के उन शब्दों से परिचित हो चुके थे ।

आज कॉर्पोरेट जगत में भी हिन्दी की अपनी विशिष्ट पहचान है । उनमें भी हिन्दी के प्रति आकर्षण है, जो उत्पाद और उपभोक्ता के साथ राष्ट्रप्रेम की भावना से भी जुड़ी है । विभिन्न प्रान्तों में अपनी भिन्न-भिन्न भाषाएँ हो सकती हैं, किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर तो एक सर्वमान्य भाषा होनी ही चाहिए, जिसे हम राष्ट्रभाषा कह सकें । लेकिन दुखद है कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है । भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया । फिर 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ । जिसके अंतर्गत यह निर्धारण हुआ कि हम अपने प्रशासनिक राजकाज की भाषा हिन्दी को मानेंगे । देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि, "राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ और गहरा सम्बन्ध है ।" इस बात को आगे बढ़ाते हुए पुरुषोत्तमदास टण्डन जी कहते हैं, "भाषा ही राष्ट्र का जीवन है ।" हिन्दी भाषा निरंतर विकास करे यही कामना सबकी है । निश्चय ही यह सुखद है कि आज कॉर्पोरेट जगत में हिन्दी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, जो हिन्दी भाषा की व्यापकता के कारण है ।

-श्याम नारायण श्रीवास्तव
302, ग्रीन व्यू कालोनी, खैरपुर, निकट जिंदल स्टील
रायगढ़-496005 (छ.ग.)

विशेष सूचना

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' त्रैमासिक पत्रिका के आगामी अंक हेतु लेख आमंत्रित हैं ।

'हिन्दुस्तानी भाषा भारती' पत्रिका के आगामी अंक हेतु हिन्दी भाषा से सम्बंधित विविध विषयों पर लेख/आलेख, निबंध एवं शोध सामग्री भेजें। पत्रिका के स्थायी स्तम्भ 'साक्षात्कार' में वरिष्ठ साहित्यकारों, पत्रकारों, भाषाविदों, शिक्षाविदों, सरकारी कार्यालयों के उच्चाधिकारियों, प्रशासनिक सेवा अधिकारियों, विभिन्न देशों के राजनयिकों आदि के भाषा पर केंद्रित साक्षात्कारों को सम्मिलित किया जाता है । इसी तरह 'लोक भाषाओं का चमत्कार' स्तम्भ में किसी एक भारतीय भाषा/उपभाषा एवं बोलियों पर केंद्रित लेखों को सम्मिलित किया जाता है जिसे विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है । अब तक बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कुमाऊंनी, भोजपुरी, पंजाबी, अवधि, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संस्कृत, संथाली, तमिल, कश्मीरी, मालवी, बघेली, हरियाणवी, बंगाली, कोंकड़ी, पवारी, गुजराती, तेलुगु, उड़िया एवं पूर्वोत्तर भारत के भाषाओं के विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं । 'युवा मत' स्तम्भ में देश के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों एवं युवा लेखकों के भाषा पर केंद्रित शोधपरक लेखों को सम्मिलित किया जाता है । पत्रिका के 'हिन्दी दिवस विशेषांक' हेतु हिन्दी भाषा पर केन्द्रित लेख/निबंध आमंत्रित हैं।

1. 'समाचार पत्रों एवं संचार माध्यमों में हिन्दी की स्थिति
2. हिन्दी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता: समस्या एवं संभावनाएँ
3. संयुक्त राष्ट्र महासभा तक हिन्दी का विकासक्रम
4. साहित्य और सिनेमा से इतर भी हो हिन्दी का उत्थान
5. शिक्षा और शोध के रूप में हिन्दी की दशा और दिशा आदि

से सम्बंधित सारगर्भित लेख नीचे दिए गए ई-मेल पर भेजें।

E-mail : hindustanibhashabharati@gmail.com

मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह-2018

शिक्षक को भाषा के बारे में पत्र (संशोधित)
(अब्राहम लिंकन की क्षमा मांगकर)

सम्माननीय गुरुजी ...

मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सभी भाषाओं का साहित्य अच्छा और सच्चा नहीं हैं । यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी । पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएँ कि हर भाषा के पास भी अच्छा हृदय होता है । हर मोहग्रस्त भाषा के अंदर अच्छा बनने की क्षमता होती है । मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएँ कि अपनी मातृभाषा के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी अधिक होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूँ । पर आप उसे सिखाइए कि अपनी भाषा से कमाया गया एक रुपया, सड़क पर मिलने वाले विदेशी पाँच रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है ।

आप उसे बताइएगा कि दूसरों की भाषा के प्रति जलन की भावना अपने मन में ना लाए । साथ ही यह भी सिखाएँ कि खुलकर हँसते हुए भी अपनी भाषा में शालीनता बरतना कितना जरूरी है । मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएँगे कि दूसरों की भाषा को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है । यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए ।

आप उसे मातृभाषा की किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते विभिन्न भाषी पक्षियों को सुनने, धूप में हरे-भरे मैदानों में खिले-फूलों पर मँडराती हर भाषाओं की तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा । उसे सिखाएँ कि भाषाओं की और शब्दों की तीर्थयात्रा पर चलना कितना पवित्र कार्य है । मैं समझता हूँ कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की हैं ।

मैं मानता हूँ कि स्कूल के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि विदेशी भाषा की नकल करके सफल होने से असफल होना अच्छा है । किसी भाषा की बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची मातृभाषा पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए । भाषाओं के प्रति विदेशी दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और अपनी भाषाओं को बुरे कहनेवाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए । दूसरों की अन्य भाषाओं की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में अपनी भाषा के विकास हेतु सीखना होगा । उसे समझाए कि जंगल के सभी पेड़ों की भूमिगत शाखाएँ हर एक पेड़ से जुड़ी रहती है । भाषाओ के बारे में यह भी उदाहरण लागू होता है । बहुभाषिक होने से हम हर संकट, तूफान का सामना कर सकते हैं ।

आप उसे बताना मत भूलिएगा कि भाषाओं की उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है । और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी अपने देश अपने परिवार और अपनी भाषा की याद में रोने का मन करे, तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करे । उसे बताएँ कि परायी भाषा में हँसना भी सीखे, लेकिन अपनी मातृभाषा में कभी रोने में संकोच न करें । मेरा सोचना है कि उसे खुद की मातृभाषा पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी । तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा।

विजय प्रभाकर नगरकर

ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी । पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएँ उतना उसके लिए अच्छा होगा । फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी ।

आपका

अब्राहम लिंकन

-विजय प्रभाकर नगरकर
सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी
बीएसएनएल, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

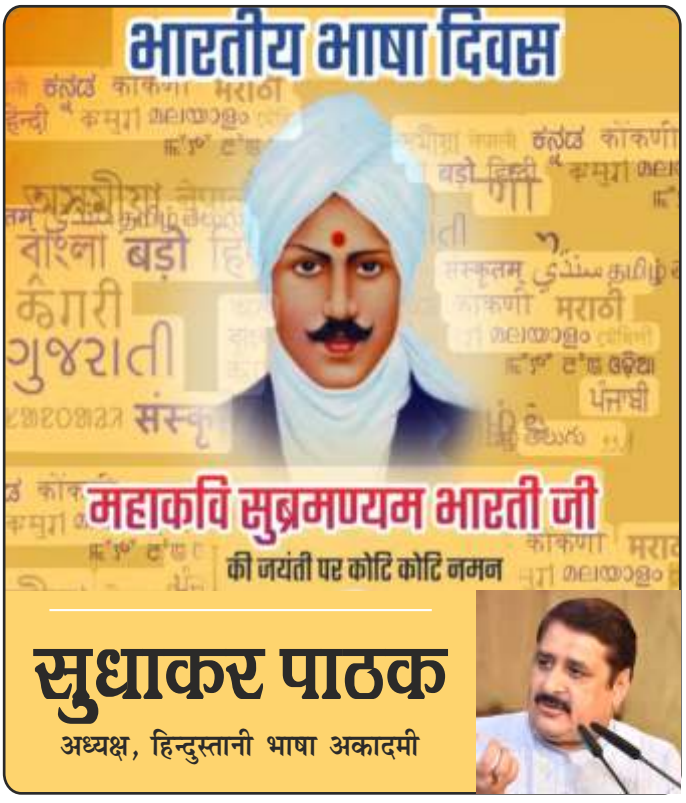

भाषण से नहीं आचरण से बचेगी हिन्दी

डॉ. दीनदयाल साहू

भारत में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक भारतीय है, या कहें, हिन्दुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिन्दुस्तानी है । भारत और भारतीय, हिन्दी और हिन्दुस्तानी। इन शब्दों में कोई अंतर नहीं है। हम इन शब्दों को अपनी दिनचर्या में न केवल बोलते हैं, बल्कि इन्हें जीते भी हैं । प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य और मूलभूत अधिकार है कि वह अपनी मातृभाषा और राजभाषा के प्रति समर्पित रहे, उसे व्यवहार में लाए और इसे कामकाज की भाषा बनाए । वास्तव में, हमें अपनी भाषा के प्रति क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह समझने में हम असमर्थ होते जा रहे हैं । इससे भ्रम का वातावरण बनता जा रहा है । आज हमें अपनी भाषा के प्रति जागरूकता और ईमानदारी से व्यवहार में लाने के साथ-साथ व्यावहारिकता पर गहन चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है । स्थिति यह है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि अपनी भाषा को कहाँ और कैसे उपयोग में लाएँ । हम एक साँचे में ढले हुए प्रतीत होते हैं, मानो हमें किसी सांचे में ढालकर छोड़ दिया गया हो और हम उसी ढाँचे में आंख मूंदकर चल रहे हों । यहाँ मानसिक गुलामी की रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें हम बंधे हुए हैं । केवल सोचने और समझने से समस्या का समाधान नहीं होगा । जब तक हम अपने आचरण में हिन्दी भाषा को नहीं अपनाएंगे, हम अपनी भाषा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी भाषणबाजी कर लें ।

मानसिकता : सांसारिक जीवन में हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपनी मानसिकता को टटोलते हैं। इसके बाद हमारा मन जैसी गवाही देता है, वैसा ही कार्य करते हैं। यह बात हमारी हिन्दी भाषा पर भी लागू होती है। यदि हम ठान लें कि हम अपनी कामकाजी भाषा हिन्दी को अपनाएंगे और हिन्दी में ही कार्य करेंगे, तो हमारा कदम आगे बढ़ता नजर आएगा। साथ ही, यदि हम अपने आसपास के लोगों को हिन्दी में अपनी बात रखने और बोलने के लिए प्रेरित करें, तो हम हिन्दी भाषा को सही रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करने में सफल होंगे। वास्तव में, इस कार्य के लिए हम स्वयं को कितना तैयार कर पाते हैं, यह भी हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, आत्ममूल्यांकन करना चाहिए कि मैं स्वयं हिन्दी भाषा के प्रति कितना समर्पित हूँ, मैं हिन्दी के अंकों का वास्तव में कितना उपयोग करता हूँ, मैं बोलचाल में हिन्दी शब्दों का कितना उपयोग करता हूँ, मैं अपने समकक्ष लोगों के साथ हिन्दी में कितनी बातचीत करता हूँ, क्या मेरे बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन सभी हिन्दी भाषा का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं? ऐसे अनेक प्रश्नों और उत्तरों के बीच हमारी दिनचर्या चलती रहती है। जब हम अपनी दिनचर्या में हिन्दी बोलते हैं, तो उसमें हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी के शब्द भी शामिल हो जाते हैं। आम आदमी यह तय नहीं कर पाता कि इनमें हिन्दी का शब्द कौन-सा है। इसलिए वह हिन्दी भाषा के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाता।

व्यवहारिकता : किसी-न-किसी रूप में अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ता जा रहा है । आम आदमी भी स्कूल, स्टेशन, मोबाइल, रेलवे, बाइक, पेन, पेंसिल, कॉपी, रोड, मैप, प्रोग्राम, कोर्ट, जज, लाइट, ऑन, ऑफ, स्विच, टेबल, डी-मार्ट, के-मार्ट, शू, शर्ट, डिजाइन, टाइम, टूथपेस्ट, ब्रश, होटल, न्यूजपेपर, होर्डिंग्स, पैंफलेट, रजिस्टर, रिचार्ज, पाइपलाइन, कॉलेज, रिजल्ट, नोटिस, हॉस्पिटल, बेड, रूम, ऑपरेटर, म्यूजिक, डॉक्टर, नर्स जैसे अनेक शब्द बहुत पहले से बोलता आ रहा है और भविष्य में भी कई अंग्रेजी शब्द शामिल होने की कतार में हैं । 'गुड मॉर्निंग', 'गुड इवनिंग' जैसे अनेक शब्द मोबाइल के माध्यम से लोगों के दिलो-दिमाग में छाए हुए हैं । जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते, वे भी ऑडियो-वीडियो देखकर समझने लगते हैं । ऑनलाइन सीखने के मंच उपलब्ध हैं । मैं यहाँ अंग्रेजी शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द आम बोलचाल में शामिल हो चुके हैं । शासकीय, अर्ध-शासकीय और निजी व्यवसाय के कार्यालयों में अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार और हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, घरों में बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, हमें अपने निजी जीवन में हिन्दी भाषा से दूरी बनाने की मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है । प्राय: हर घर में बच्चों को हिन्दी की कविता भले ही याद न हो, पर अंग्रेजी की कविता 'ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार' जुबानी याद रहती है । माता-पिता को भले ही स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी की बात तो दूर, हिन्दी भी ठीक से न आती हो, फिर भी वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने लगे हैं, जो आज का फैशन बनता जा रहा है । हिन्दी भाषा के समाचार-पत्रों में खबरों के शीर्षक भी अंग्रेजी में आने लगे हैं । वाहनों की नंबर प्लेट, मोबाइल नंबर, फिल्मों में संवाद, नुक्कड़ नाटक, सामाजिक गतिविधियों और घड़ियों के अंक अंग्रेजी में होते हैं । जहाँ हिन्दी अंकों का उपयोग होना चाहिए, वहाँ हम अंग्रेजी अंकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसे मानसिक गुलामी का प्रतीक कहा जा सकता है । बैंकों में हिन्दी को बढ़ावा देने वाले पत्रक दीवारों पर टंगे दिखते हैं, पर यह मात्र दिखावा साबित होता है । वास्तविकता को स्वीकार करने के प्रति न तो बैंक कर्मचारी और न ही ग्राहक जागरूक दिखते हैं । ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जो दिखने में कुछ और, पर परिणाम में कुछ और होते हैं । अभी हम बोलचाल में हिन्दी

अंकों का उपयोग कर रहे हैं, वे लोग चार-पांच दशक पहले के हैं ।

हिन्दी दिवस : वर्तमान पीढ़ी अंग्रेजी अंकों को बोलचाल में उपयोग करती है । शहरों में बड़े घरों के लोग न तो लेखन में और न ही बोलचाल में हिन्दी अंकों का उपयोग करते हैं । यदि हिन्दी में अंकों का उच्चारण किया जाए, तो उन्हें समझने में कठिनाई होती है । ऐसे में, जब तक हिन्दी भाषा का जमीनी स्तर पर व्यवहार में उपयोग नहीं होगा, हम हिन्दी भाषा को भाषणों तक ही सीमित करते नजर आएंगे, जिसे किसी भी स्तर पर हिन्दी भाषा के प्रति न्याय नहीं माना जा सकता । शासन के प्रत्येक बड़े शासकीय कार्यालय में राजभाषा विभाग होते हैं । यदि प्रत्येक सरकारी कार्यालय का राजभाषा विभाग हिन्दी भाषा को अनिवार्य रूप से आचरण में लाने का प्रयास करे, तो बड़ा बदलाव देखा जा सकता है । विभागों का गठन अपने दायित्वों के ईमानदारी से निर्वहन के लिए ही किया जाता है । इसलिए, जहाँ भी राजभाषा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन्हें हिन्दी भाषा को आचरण में उतारने के लिए व्यापक चिंतन-मनन कर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कदम उठाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर सफलता प्राप्त कर सकें । प्रत्येक बड़े शासकीय कार्यालय में राजभाषा दिवस के अवसर पर राजभाषा सप्ताह का आयोजन भी होने लगा है, फिर भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं । हमें देखने को मिलता है कि धार्मिक संवाद, जैसे टी.वी. धारावाहिकों में रामायण और महाभारत के संवाद, अधिकतर शुद्ध हिन्दी में होने का प्रयास किया जाता है । ऐसे और कई माध्यम हैं, जो शुद्ध हिन्दी भाषा को आचरण और व्यवहार में लाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं और हिन्दी भाषा के जन-जन में प्रचार-प्रसार में सहयोगी साबित हो सकते हैं ।

वैश्विक प्रभाव : केन्द्रीय शासन द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली कोष का निर्माण किया जा रहा है । आज हिन्दी सहित प्रत्येक भाषा के सामने अपनी भाषा को बचाने का संकट गहराता जा रहा है, चाहे वह किसी भी प्रांत, देश या राज्य की हो । विश्वस्तर पर इस विषय पर लगातार शोध भी हो रहे हैं । हर स्तर पर भाषा को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं । यह बात अलग है कि हिन्दी भाषा पर अभी उतना गहरा संकट मंडराता नहीं दिख रहा, इसलिए समय रहते हम अपनी राजभाषा हिन्दी को बचाने में सफल हो सकते हैं । वैश्विक प्रभाव से उबारने के लिए कई राज्य अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जो अब तक केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थे, उनके हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने लगे हैं । इसे राजभाषा हिन्दी के सम्मान के लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है । इसका सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है । केन्द्र में संसदीय कार्य और संवाद यदि हिन्दी में हों, तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं । राज्यों में विधानसभा में हिन्दी भाषा को कार्य में उपयोग किया जाए । प्रत्येक जिले और तहसील में हिन्दी भवन हो, धार्मिक गतिविधियों में संस्कृत के साथ हिन्दी शब्दों को महत्त्व दिया जाए । ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिनसे हिन्दी भाषा और बोली को आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद का एक अच्छा जरिया मानते हुए हम जन-जन तक सीधे तौर पर कहने-बोलने का कार्य तो कर ही सकते हैं । इसके लिए आवश्यक है कि जिम्मेदार लोग पूर्ण ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें ।

जवाबदेही तय करनी होगी : बच्चों के कार्टून को हम शुद्ध हिन्दी में दिखा सकते हैं । बच्चों को खेल-खेल में हिन्दी के अंकों को लिखकर और बोलकर सिखाया और दिखाया जा सकता है । हिन्दी में बोलचाल के लिए संवाद करते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को दिखाया जाना चाहिए । अन्य भाषाओं के शब्द, जो हिन्दी में समाहित हो चुके हैं, उन्हें जनता के सामने किसी-न-किसी रूप में लाने के लिए प्रयास होने चाहिए । स्कूलों और महाविद्यालयों में हिन्दी शिक्षकों के लिए हिन्दी शब्दों के उपयोग को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ हिन्दी शब्दों का आचरण और कार्य का हिस्सा बन सके । हिन्दी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी अंकों का उपयोग होता है । ऐसा नहीं है कि हम इससे अनजान हैं । सभी जानते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि बच्चों को हिन्दी की गिनती सिखाई जाए । आज के बच्चे यदि हिन्दी अंक देखें, तो अंकों के बारे में पूछने पर उत्तर नहीं दे पाते । इसमें बच्चे का क्या दोष ? हिन्दी माध्यम के स्कूलों, चाहे वे शहर में हों या गाँव में, हिन्दी में गिनती या अंकों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए । इसमें कमी शिक्षकों के साथ-साथ उच्च अधिकारियों की अक्षमता को स्पष्ट दर्शाती है । इसमें बच्चे कहीं भी दोषी नहीं हैं । महत्त्वपूर्ण यह है कि बच्चों में इसके बीजारोपण के लिए जिम्मेदार शिक्षक, अभिभावक, उच्च अधिकारी, शासन और प्रशासन में से कौन है ? इस विषय को आज समझकर और हिन्दी अंकों का सही रूप में उपयोग न किया गया, तो आने वाले समय में हिन्दी अंकों का पूर्ण रूप से लुप्त होना संभव है । कहीं भी हिन्दी की गिनती या अंक लिखे हुए दिखाई नहीं देते । दिखते हैं तो केवल अंग्रेजी के अंक । घड़ी के अंक, नंबरों की सूची, बिल बुक, मोटर गाड़ियों की नंबर प्लेट, रेलगाड़ी के नंबर, बहीखाता । इन सभी में हिन्दी अंक दिखाई नहीं देते । यहाँ तक कि बोलते समय भी अब हिन्दी अंक न बोलकर अंग्रेजी नंबर बोले जाते हैं । इसके लिए कोई और नहीं, हम स्वयं दोषी हैं । स्कूलों के शिक्षकों और प्रबंधकों को हिन्दी अंकों का उपयोग करने, और न करने पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तभी हिन्दी अंकों को बचाया जा सकेगा, अन्यथा कुछ वर्षों में हिन्दी अंक बोलचाल से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे । आजकल पॉडकास्ट का चलन बढ़ रहा है, इसे भी हिन्दी में संवाद के लिए एक बेहतर

विकल्प माना जा सकता है । हिन्दी में संसाधनों की कमी नहीं है, आवश्यकता है संकल्प के साथ इसे आचरण में लाने की । पत्रकारिता महाविद्यालयों में हिन्दी भाषा और बोली को ही महत्त्व दिया जाना चाहिए । यदि हमारा तंत्र इस दिशा में मजबूती से कदम उठाएगा, तो परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होंगे ।

प्रशासनिक असक्षमता : हिन्दी माध्यम के स्कूल बंद होने के कगार पर हैं । अंग्रेजी स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है । हम मानते हैं कि जो हो रहा है, वह गलत और अनुचित है, लेकिन इसका समाधान क्या है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है । इस ढर्रे पर चलने और चलाने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है ? वर्तमान में हो रहे आचरण में कमी, इस विषय में गंभीरता का अभाव और इसके परिणाम ही हमें भविष्य के आचरण और व्यवहार को बनाने में मदद करते हैं । आज इस सच्चाई को हम जानबूझकर या अनजाने में नकार रहे हैं । हमारे घर में ही परिवार का एक हिस्सा पूरी तरह से अंग्रेजी के प्रति समर्पित हो चुका है, क्योंकि देश, काल और वातावरण ही ऐसा बनता जा रहा है । जब बात हिन्दी भाषा की होती है, तो अनेक बातें हमारे स्मृति पटल को प्रभावित करती हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम वास्तव में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिन्दी भाषा के प्रति न्याय कर पा रहे हैं, चाहे वह कोई भी राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य की राजधानी । जब हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, तो अनायास ही हमें आभास होता है कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अंग्रेजी के गुलाम हैं । पहले शिक्षा के अभाव और उसके प्रचार-प्रसार में कमी के कारण कुछ पढ़े-लिखे लोग अंग्रेजी की मानसिकता को चिंतन-मनन के रूप में नहीं अपनाते थे । समय के साथ समझौता करते हुए, चाहे हिन्दी हो या अंग्रेजी, लोग अपने काम को आत्मसात करते रहे हैं । इस कारण सदियों से चली आ रही अंग्रेजी की गुलामी के चलते भारत के उच्च पदों पर आसीन और संसदीय कार्यों से जुड़े उच्च अधिकारी भी अंग्रेजी को महत्त्व देते दिखते हैं । आम सूचना के बोर्ड अंग्रेजी में, विज्ञापन अंग्रेजी में, मीडिया में साक्षात्कार अंग्रेजी में, पाठ्यक्रम अंग्रेजी में और विश्वविद्यालयों में पुस्तकों का उपयोग अंग्रेजी में होने से हिन्दी भाषा का महत्त्व कम होना स्वाभाविक है । हम कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं । हम सच को स्वीकार नहीं कर पाते, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है । हम दूसरों की कार्यप्रणाली में ढल जाते हैं और उसका आकलन करना भी उचित नहीं समझते । हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगे तंत्र के कार्यों की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए, ताकि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकें । जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों का आकलन होना चाहिए, तभी हम हिन्दी को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे । केवल भाषणों से नहीं, बल्कि आचरण और व्यवहार में हिन्दी को लाने से ही हिन्दी बोली और भाषा में सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सकेगा ।

-डॉ. दीनदयाल साहू
प्लाट नं. 429, मॉडल टाऊन
पो. नेहरू नगर भिलाई, जिला दुर्ग-490020 (छ.ग.)

'भारतीय भाषा उत्सव' को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रतिक्रिया

डॉ. अंजू मेहरोत्रा
निदेशक प्रधानाचार्या,
कालका पब्लिक स्कूल,
कालका ग्रुप ऑफ
इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा आयोजित 'भारतीय भाषा उत्सव' केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी भाषाई अस्मिता और मातृभाषा के प्रति गर्व का उत्सव है । कालका पब्लिक स्कूल अनेक वर्षों से इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा रहा है, और इस सहभागिता ने हमारे विद्यालय में भाषा-संवेदनशीलता तथा भाषाई गौरव की भावना को गहराई से प्रोत्साहित किया है ।

अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक जी के प्रेरक नेतृत्व में यह आयोजन निरंतर अपनी प्रासंगिकता और प्रभाव बढ़ा रहा है । पिछले आठ वर्षों में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों तथा उनके भाषा शिक्षकों को अकादमी द्वारा सम्मानित किए जाने की परंपरा ने शिक्षण-प्रक्रिया में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है। संस्कृत और हिन्दी जैसी भारतीय भाषाएँ हमारी सांस्कृतिक आत्मा की वाहक हैं ख़ ये न केवल अभिव्यक्ति के साधन हैं, बल्कि मूल्य, परंपरा और ज्ञान की आधारशिला भी हैं। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में नैतिकता, संवेदनशीलता और भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना विकसित कर रहा है । निस्संदेह, यह उत्सव हमारी भाषाई विविधता, सांस्कृतिक एकता और शिक्षा में मातृभाषा की सशक्त भूमिका का जीवंत प्रतीक बन गया है । हमें गर्व है कि कालका पब्लिक स्कूल इस सार्थक यात्रा का सहभागी है ।

शिक्षा और शोध के रूप में हिन्दी की दशा और दिशा

सुशीला साहू
पीएच. डी. शोधार्थी

भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं, बल्कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है । भारतीय भाषाओं में हिन्दी का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि यह केवल भारत की आधी से अधिक आबादी की मातृभाषा ही नहीं, बल्कि यह भारतीय जनमानस की भावनाओं, विचारों और सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक भी है । शिक्षा और शोध के क्षेत्र में किसी भी भाषा की स्थिति यह दर्शाती है कि वह समाज के बौद्धिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में कितनी प्रभावी है । आज जब हम 'शिक्षा और शोध के रूप में हिन्दी' की बात करते हैं, तो हमें इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पहलुओं का गंभीरता से मूल्यांकन करना आवश्यक है ।

हिन्दी भाषा का ऐतिहासिक विकास और शिक्षा में स्थान-

हिन्दी का विकास संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से होकर मध्यकालीन अवधी, ब्रज, खड़ी बोली के रूप में हुआ और 19वीं-20वीं शताब्दी में आधुनिक हिन्दी के रूप में प्रतिष्ठित हुई । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिन्दी राष्ट्रीय एकता और जनजागरण का माध्यम बनी । भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त जैसे साहित्यकारों ने हिन्दी को समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का वाहक बनाया । 1949 में संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया । इससे शिक्षा में हिन्दी के विस्तार की उम्मीद जगी । प्रारंभिक शिक्षा में हिन्दी का व्यापक प्रयोग हुआ, किंतु उच्च शिक्षा और शोध में अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा ।

शोध में हिन्दी की भूमिका-स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद-

स्वतंत्रता पूर्व, हिन्दी में शोध प्राय: साहित्य, इतिहास और संस्कृति तक सीमित था । स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग स्थापित हुए और पीएच.डी., डी.लिट. जैसे शोध कार्य प्रारंभ हुए। 1950-1970 के बीच हिन्दी में साहित्यिक आलोचना, भाषाविज्ञान और लोकसाहित्य पर शोध का अच्छा विकास हुआ । विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिन्दी शोध अपेक्षाकृत कम रहा, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का वर्चस्व बना रहा । सरकारी आयोगों और शिक्षा नीतियों में हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने की बात तो हुई, लेकिन क्रियान्वयन में ढिलाई रही ।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हिन्दी की दशा-

आज हिन्दी देश के अधिकांश राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम है ।

सकारात्मक पक्ष- NCERT, CBSE, NIOS और राज्य बोर्डों में हिन्दी विषय अनिवार्य है । हिन्दी में ई-पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री की उपलब्धता बढ़ रही है । प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के लिए अवसर उपलब्ध हैं ।

नकारात्मक पक्ष- उच्च शिक्षा में हिन्दी माध्यम सीमित है, विशेषकर विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा में । कई विद्यार्थी हिन्दी में स्नातक/स्नातकोत्तर करने के बाद अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी महसूस करते हैं। अनुसंधान सामग्री, वैज्ञानिक शब्दावली और अद्यतन संदर्भ पुस्तकों की कमी है।

हिन्दी में शोध की मौजूदा स्थिति-

भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी विषय पर हर वर्ष बड़ी संख्या में शोध होते हैं, जिनका दायरा निम्न है -

साहित्यिक शोध- कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक आदि पर केंद्रित ।

भाषावैज्ञानिक शोध- व्याकरण, वाक्य विन्यास, बोली-भाषाओं का अध्ययन ।

संस्कृति और समाज अध्ययन- लोककथाएँ, लोकगीत, लोकभाषाएँ, रीति-रिवाज ।

मीडिया और संचार- पत्रकारिता, विज्ञापन, सिनेमा और डिजिटल मीडिया में हिन्दी की भूमिका ।

लेकिन विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में हिन्दी शोध बहुत कम है । इसका कारण है- तकनीकी शब्दावली का अभाव, संदर्भ सामग्री की कमी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी शोध पत्रिकाओं की सीमित संख्या ।

चुनौतियाँ और समस्याएँ-

1. अंग्रेजी का वर्चस्व- उच्च शिक्षा और शोध में अंग्रेजी को वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिससे हिन्दी माध्यम के छात्रों को सीमित अवसर मिलते हैं ।

2. संसाधनों की कमी- शोध के लिए अद्यतन पुस्तकें, डेटाबेस, तकनीकी उपकरण और प्रयोगशालाएँ हिन्दी में दुर्लभ हैं ।

3. तकनीकी शब्दावली - विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सटीक और सर्वमान्य हिन्दी शब्दावली का अभाव ।

4. शोध गुणवत्ता- कई बार हिन्दी शोध केवल डिग्री प्राप्त करने की औपचारिकता तक सीमित रह जाता है, जिससे इसका प्रभाव कम होता है ।

5. वैश्विक मंच पर उपस्थिति- अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलन में हिन्दी शोध की पहुँच अभी भी सीमित है ।

6. डिजिटल कंटेंट का अभाव- हिन्दी में उच्च स्तरीय शोध सामग्री का ई-रूपांतरण पर्याप्त नहीं हुआ है ।

हिन्दी भाषा के उत्थान के लिए आवश्यक कदम-

1. हिन्दी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा- विश्वविद्यालयों में विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन, कानून आदि विषय हिन्दी माध्यम में उपलब्ध कराए जाएँ ।

2. तकनीकी शब्दावली का मानकीकरण- आयोग बनाकर प्रत्येक विषय की शब्दावली तैयार और अपडेट की जाए ।

3. अनुवाद और प्रकाशन- विश्वस्तरीय शोध सामग्री का हिन्दी में अनुवाद और प्रकाशन हो ।

4. डिजिटल लाइब्रेरी- हिन्दी शोध-सामग्री को ई-पुस्तक, पीडीएफ और ऑडियो-वीडियो रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए ।

5. अंतरराष्ट्रीय प्रसार- हिन्दी शोध को अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स और सेमिनारों में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ।

6. शोध अनुदान- हिन्दी माध्यम के शोधार्थियों के लिए विशेष फंड और छात्रवृत्तियाँ ।

7. शिक्षक प्रशिक्षण- उच्च शिक्षा में हिन्दी माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षकों को नई तकनीकों और पद्धतियों का प्रशिक्षण ।

शोध और शिक्षा में हिन्दी का भविष्य-

भविष्य में हिन्दी केवल साहित्य की भाषा न रहकर ज्ञान-विज्ञान, तकनीक और नवाचार की भाषा बन सकती है, बशर्ते नीति और प्रयास सही दिशा में हों । नई शिक्षा नीति-2020 ने मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया है, इससे हिन्दी माध्यम को बढ़ावा मिलेगा । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन ट्रांसलेशन और डिजिटल टूल्स के माध्यम से हिन्दी में तकनीकी शोध आसान होगा । भारत की जनसंख्या और हिन्दी बोलने वालों की संख्या इसे विश्व की प्रमुख भाषाओं में अग्रणी स्थान दिला सकती है ।

हिन्दी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक विकास की कुंजी है । शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति मिश्रित है- आधारभूत शिक्षा में मजबूत, किन्तु उच्च शिक्षा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी में अपेक्षाकृत कमजोर । यदि हम संसाधन, नीतिगत समर्थन, तकनीकी विकास और शोध गुणवत्ता पर ध्यान दें, तो हिन्दी न केवल भारत में, बल्कि विश्वस्तर पर एक ज्ञान की प्रमुख भाषा बन सकती है । आज आवश्यकता है कि हम हिन्दी को केवल भावनात्मक गौरव तक सीमित न रखें, बल्कि इसे ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करें । तभी इसकी दिशा सही और दशा गौरवपूर्ण होगी ।

-सुश्री सुशीला साहू
शोधार्थी, (पीएच.डी.-हिन्दी)
फेस-2, हाउस नं. 1/2, वार्ड नं- 40, रुक्मणी विहार कॉलोनी
कोतरा रोड, रायगढ़ (छ.ग.) पिन कोड-496001

प्रधानाचार्य की नजर में : 'भारतीय भाषा उत्सव'

डॉ. वी.के. बड़थवाल
प्रधानाचार्य
डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल,
जसोला विहार, नई दिल्ली

'भारतीय भाषा उत्सव-2025' के आयोजन पर मैं हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ । यह गर्व की बात है कि बीते आठ वर्षों से यह अकादमी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और उनके समर्पित भाषा शिक्षकों को सम्मानित कर हमारी भाषाई विरासत को सशक्त बना रही है । हमारे विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी और भाषा अध्यापिकाएँ इस आयोजन में लंबे समय से सक्रिय सहभागी रहे हैं और इसकी गरिमा एवं भव्यता के साक्षी रहे हैं ।

प्रतिवर्ष होने वाले भारतीय भाषा उत्सव से हमारे विद्यालय के वातावरण और भारतीय भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है । अब हिन्दी-संस्कृत भाषा केवल एक विषय नहीं, बल्कि संस्कृति, संवेदना और संवाद का माध्यम बन गई है । हमारे शिक्षक भाषा को देश और संस्कृति की भावनाओं से जोड़कर पढ़ाते हैं, जिससे विद्यार्थियों में मातृभाषा के प्रति आत्मीयता और गर्व की भावना गहराई से विकसित हुई है । विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों में भी मातृभाषा शिक्षा के प्रति सोच बदली है । वे अब यह महसूस करने लगे हैं कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास उसकी मातृभाषा की पकड़ पर ही निर्भर करता है । परिणामस्वरूप, भाषा शिक्षकों के प्रति विद्यालय में सम्मान, सहयोग और आत्मीयता का भाव भी और बढ़ गया है ।

'भारतीय भाषा उत्सव' ने वास्तव में हमारी नई पीढ़ी में अपनी भाषा, संस्कृति और भारतीयता के प्रति आत्मगौरव का दीप प्रज्वलित किया है । यह आयोजन न केवल भाषा का उत्सव है, बल्कि राष्ट्र के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक एकता का उत्सव भी है । हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी के भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने हेतु किए जाने वाले अनवरत प्रयासों के लिए आप बहुत-बहुत बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं ।

भारतीय भाषा दिवस समारोह–2024

भारतीय भाषा दिवस समारोह–2024

भारतीय भाषा दिवस समारोह–2024

भारतीय भाषा दिवस समारोह–2024

शिक्षा और शोध के रूप में हिन्दी की दशा और दिशा

डॉ. मीनाक्षी जोशी

बीसवीं सदी की दहलीज लाँघकर हम अब इक्कीसवीं सदी के पच्चीस वर्ष पूरे करने जा रहे हैं । यह मात्र कैलेन्डर पलटने की क्रिया नहीं हैं, अपितु हमारी समूची मानसिकता, हमारे भाव-विश्व, बुद्धि-जगत और हमारे नजरिये में चल रही मंथन प्रक्रिया का आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में बहुआयामी अवलोकन करने का समय है । विज्ञान, तंत्र-विज्ञान तथा वैश्वीकरण के युग में धर्म, समाज, जीवन मूल्य, भाषा, साहित्य एवं कला को परखने के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी गति, प्रभाव और परिणामों को झेलकर भी इनका अस्तित्व बनाए रखना अपने आप में चुनौती है । एक ओर अंधाधुंध विकास प्रक्रिया में शामिल होने हेतु साधन-साध्य संबंधी विवेक खोकर यंत्रवत आधुनिकता की आँधी में अपने आप को झोंक देने की प्रवृत्ति, दूसरी ओर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतान्त्रिक मूल्यों को स्वीकार करते हुए वर्तमान स्थितियों के संदर्भ में इनका उचित मूल्यांकन न करते हुए स्थूल रूप में इन मूल्यों के प्रयोग की उतावली में हमारे समक्ष ढेर सारे प्रश्न मुंह बाए खड़े हैं । प्रश्नों की इसी कतार में हमारी शिक्षा और शोधकार्य भी एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनकर खड़ा है । विडम्बना यह है कि इनसे जुड़ी समस्त समस्याओं के बीज हमारी ही दोहरी मानसिकता में दबे हैं ।

सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी की बात करते हैं । इन दिनों शिक्षा के माध्यम और विषय के रूप में अनिवार्यता को लेकर बवाल मचा हुआ है । क्या यह समस्या विचारणीय और चिंतनीय नहीं है ? भाषा ही तो शिक्षा और शोध दोनों का सबसे बड़ा आधार है। औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ । तकनीकी के इस युग में जो भाषाएँ केवल बोलचाल तक सीमित थीं अर्थात् जिनकी लिपियाँ नहीं थी, वे सारी भाषाएँ आज मृतप्राय बनी हैं । जिन भाषाओं ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपनी लिपियों का भी विकास किया, वे ही अब प्रगति पथ पर हैं । हिन्दी भाषा की स्थिति दो रूपों में सामने आ रही है । व्यापार, विज्ञापन, पत्रकारिता एवं मनोरंजन के क्षेत्र में हिन्दी एक ओर अपना परचम लहरा रही है । दूसरी ओर विज्ञान, तकनीकी, वैद्यकीय और सरकारी काम-काज में वह कदम-कदम पर अयाचित की तरह अपना स्थान ढूंढ रही है । आजादी के बाद से अब तक इतने वर्षों में हिन्दी के प्रति लगाव, आस्था, विश्वास और उसे अपनाने पर गर्व की अनुभूति न जग पाना आज हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है । हिन्दी का रोजगार से सीधे न जुड़ पाना भी इसका एक कारण है और समस्या भी । नौकरी, व्यापार तथा समाज के महत्त्वपूर्ण प्रवेश द्वारों पर अंग्रेजी की टिकट लेने वालों को ही प्रवेश मिलता है । परिणामस्वरूप हिन्दी दिन-प्रतिदिन हाशिये पर चली जा रही है ।

हिन्दी के विषय में एक महत्त्वपूर्ण समस्या है उसके मानक स्वरूप को लेकर । वैश्विक स्तर पर स्थापित होने के बावजूद, उसके स्वरूप में भ्रम की स्थिति आज भी पूर्ववत बनी हुई है । कैसे भी कुछ कह दिया जाए केवल अर्थ संप्रेषित हो जाना चाहिए । एक पक्ष भाषा के 'बहते नीर' गुण को मानकर वर्तमान कोड मिश्रित भाषा का समर्थन करता है तथा दूसरा पक्ष व्याकरण सम्मत भाषा की अनिवार्यता पर बल देता है । आज सभी क्षेत्रों में स्वच्छंदता या 'मेरी मर्जी' का नारा चल पड़ा है । भाषा इससे अछूती कैसे रह सकती है? अत: शुद्ध-अशुद्ध के मानदंड भी शिथिल हुए हैं । यह प्रवृत्ति वांछनीय नहीं कही जा सकती । व्याकरण का तो नाम ही 'शब्दानुशासन' है, किन्तु अनुशासन की अति से बचाने की सावधानी भी आवश्यक है । बहते नीर को भी तटबंधों का अतिक्रमण करने पर नियंत्रित करना पड़ता है । यद्यपि वैश्विक स्तर पर व्यवहार में आने वाली भाषा का विविध रूपों में विकसित होना अच्छी बात है और बोलचाल की भाषा में इसका स्वागत होना चाहिए तथापि लिखित रूप में ऐसी मानक हिन्दी की जरूरत तो सर्वत्र सर्वमान्य हो ।

एक महत्त्वपूर्ण समस्या है अनुवाद की । हमारे यहाँ जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में समय-समय पर लिखे जाने वाले नवीनतम शोधों पर आधारित वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों के हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की समुचित व्यवस्था नहीं हैं, परिणाम अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, तकनीक जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए अंग्रेजी सीखना मजबूरी बन जाती है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए यह एक गंभीर चुनौती है । यद्यपि आई.आई.टी. कानपुर तथा सी.डेक पुणे में कंप्यूटर के माध्यम से अनुवाद के प्रोजेक्ट आज सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं, किन्तु उसके प्रयोग के लिए हिन्दी के विद्वानों के समक्ष कंप्यूटर के अनुरूप कार्यक्रम बनाना एक जटिल कार्य है । विदेशों से प्रोग्राम आयात करने पर समस्या यह होगी कि कोई विदेशी भाषा हिन्दी से जुड़ी मानसिकता और भाव जगत को उन भाषाओं में कैसे ला पाएगा ?

हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन में बहुत बड़ी समस्या है हमारी शिक्षा प्रणाली । आखिर हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? क्या केवल नौकरी के लायक बनाने के लिए ? वेतनभोगी बनाने के लिए ? गुलामों की तरह नौकर बने रहने के लिए ? या एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश के कर्मठ तथा सच्चे नागरिक बनाने के लिए, जो अपने कर्तव्यों और अधिकारों की चिंता और रक्षा कर

सके? या किसी भीड़ का हिस्सा बन कर कभी लाठियों से पिटता रहे, कभी गोलियों का शिकार होता रहे ? हमने भारतीय शिक्षा परंपरा को दफना कर अंग्रेजी शिक्षा का जो मॉडल अपनाया है उससे हमारे हिन्दी के विद्यार्थी न घर के रहे न घाट के । वे न तो अपनी संस्कारजनित भाषा को छोड़ पा रहे हैं, न ही अंग्रेजी को पूरी तरह अपना पा रहे हैं । जब भाषा को लेकर ही यह स्थिति है, तो फिर साहित्य तो बहुत दूर की बात है ।

शिक्षा तथा शोध के संबंध में एक और चुनौती की चर्चा करना चाहूँगी, वह है 'सूचना प्रौद्योगिकी' (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) की । यह बात तब सामने आई जब सदी के महान भाषा वैज्ञानिक एवं चिंतक 'युआन चांसकी' ने व्याकरण को रिवोल्यूशन मानते हुए भाषा को कंप्यूटर के अनुरूप कैसे बनाया जाए, इसका स्पष्टीकरण किया। यह अंग्रेजी में तो आसान है, पर हिन्दी भाषा को गणितीय ढंग में ढालना एक गंभीर समस्या है और जिसके कारण हम आज भी सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि शिक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों से विद्रोह करने की दिशा देती है । आज ज्ञान और कला के नए साधनों के विकसित हो जाने के कारण शिक्षा प्रणाली का पुराना ढाँचा अनुपयोगी है । आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से प्रश्न यह उठता है कि आज जिन मूल्यों और विचारों का बाजार गरम है, क्या हिन्दी उसी का प्रचार-प्रसार करेगी अथवा वह युग को जो देना चाहती है उसी को पढ़ने, समझने और चिंतन करने हेतु बाध्य करेगी? शिक्षा के उद्देश्यों में आए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और परिवर्तनों को सामान्य पाठक आत्मसात नहीं कर पाते । इस प्रकार अध्ययन के क्षेत्र में प्राचीन और आधुनिक साहित्य या कहे परंपरा और आधुनिकता के बीच का अंतर मिटाना भी महत्त्वपूर्ण समस्या है ।

हिन्दी शिक्षा में दिन-प्रतिदिन क्षीण होती रसमयता भी इसके विकास में एक रुकावट मानी जा सकती है । आज साहित्य एक ओर अपनी संवेदनाओं का अस्तित्व, भावनाओं के ताने-बाने, मानवीय सम्बन्धों के नित्य नूतन तकाजे, कल्पना की उड़ान, जीवन की सच्चाइयाँ उसके अन्तर्मन को भौतिक प्रगति और सभ्यता के नए-नए आयामों से परिचित कराने वाले विज्ञान के 'खुल जा सिमसिम' के अंतर्विरोधों में पिस रहा है । भावनाओं की जगह अब बौद्धिक उन्मेष ने ले लिया है । साहित्य के रस तप कर अब रसायन बन रहे हैं । संभव है भविष्य में कोई प्रेमचंद कंप्यूटर से शोषित किसी होरी को मुक्ति दिलाना चाहेगा, कोई मुक्तिबोध मेडिकल साइंस से निर्मित ब्रम्हराक्षस का कृत्रिम शिष्य बनाएगा, कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' की तर्ज पर टी.वी. चैनलों की आवारा भीड़ क्यों बढ़ती है' की रचना करेगा ।

हिन्दी की वर्तमान स्थिति के आधार पर इस विषय में शोध की प्रमुख समस्याओं को रेखांकित करना चाहूँगी-

1. विषय चयन- शोध के विषय का चयन करते समय उसकी प्रासंगिकता, महत्ता और आवश्यकता पर बहुत कम लोग ही विचार करते हैं । 75% शोध कार्य सालों पुराने विषयों को दोहराते हुए किए जा रहे हैं । ऐसे शोध-प्रबंधों का बहुत बड़ा ढेर विश्वविद्यालयों में धूल खाता पड़ा रहता है । हिन्दी में भी नए विषयों पर शोध की संभावनाएँ अब कम नहीं है, किन्तु ऐसे शोध में श्रम और लगन की जरूरत होती है जिसका शिक्षा क्षेत्र में अभाव है ।

2. उपयुक्त शोध-प्रणाली का चयन न होना भी एक समस्या है । इस कारण शोध-कार्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते ।

3. शोध-कार्य में उन निष्कर्षों को स्पष्ट करना आवश्यक होता है जिनका व्यावहारिक उपयोग भी हो सके । हमारे यहाँ प्रायः सैद्धान्तिक पक्षों को अधिक महत्त्व दिया जाता है ।

4. शिक्षक, मार्गदर्शक और शोधार्थी में आपसी सहयोग और समन्वय का अभाव ।

5. आवश्यक पुस्तकें तथा शोध सामग्री की अनुपलब्धता ।

6. आर्थिक समस्या और महंगाई के कारण आधुनिक संसाधनों एवं सेवाओं तक न पहुँच पाना हिन्दी में शोध कार्य की एक समस्या है ।

7. प्रकाशकों और उच्चस्तरीय संस्थानों द्वारा हिन्दी में किए गए शोध कार्यों की उपेक्षा ।

8. नई शिक्षा प्रणाली में अब भी कुछ कमियाँ हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, अन्यथा इस पर विवाद खत्म न होने का दुष्प्रभाव सामने आ ही रहे हैं ।

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन' योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में हिन्दी भाषा और साहित्य भी शामिल है । बहरहाल, योजना फाइलों में तो तैयार है, देखना यह है कि यह कब और कितनी सफलतापूर्वक लागू होगा ।

निष्कर्षतः भाषा-साहित्य अध्ययन और शोध से जुड़े ये वे प्रश्न हैं, जिनसे हमारा रोज सामना होता है और हम इनसे कतराकर निकल जाना चाहते हैं, किन्तु ऐसा करते हुए हम कहीं अपनी जिम्मेदारी से विमुख तो नहीं हो रहे ? इनकी प्रतिध्वनि जहाँ आपके लिए उत्तर जुटाएगी, वहीं इन उत्तरों से नए प्रश्न फिर जन्म लेंगे । तो क्या प्रश्नों से टकराना ही हमारी नियति है ? देखें, इन अनगिनत सवालों की श्रृंखला हमें किस पार पहुँचाती है ?

-डॉ. मीनाक्षी जोशी
भंडारा, महाराष्ट्र

युवा मत

रोजगार के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति

हिन्दी हमारे संस्कारों, सभ्यता और हमारी संस्कृति की संवाहिका है । ये केवल हमारी भाषा ही नहीं अपितु ये हमारी पहचान भी है । हर साल 14 सितम्बर, हम हिन्दी दिवस के रूप में मनाते हैं । इस दिन विभिन्न संस्थानों व कार्यालयों में हिन्दी की महत्ता व इसकी लोकप्रियता, पहुँच व इसके सम्मान की बातें की जाती हैं। 1949, इसी दिन भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिला था द्य हिन्दी भाषा को पूरी दुनियां में बोलने, इसे समझने व सहज भाषा के रूप में अपनाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है । भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न राज्यों व समुदायों को जोड़ने का श्रेय हिन्दी को ही जाता है ।

हिन्दी भाषा का प्रयोग हम सभी अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी करते हैं । हिन्दी भाषा को हम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी जानते हैं । हिन्दी हमारी राजभाषा के रूप में जानी जाती है। इसके विकास के लिए एक राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। ये विभाग केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी भाषा में हों, इस दिशा में लगा है । हिन्दी हमारे भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हो रही है । भारतीय संस्कृति व भाषा सीखने की ओर विदेशों में रहने वाले भारतीयों का रूझान बढ़ रहा है । हिन्दी, उर्दू और संस्कृत जैसे विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारतीय धर्म, इतिहास और संस्कृति पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिसके लिए अध्ययन केंद्र बनाये गए हैं ।

रोजगार के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति :

विश्व में हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ने के कारण हिन्दी भाषा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहें है । केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी विभाग में हिन्दी भाषा में कार्य को अनिवार्यता दी जा रही है । विभिन्न विभागों में हिन्दी अनुवादक, हिन्दी अधिकारी, हिन्दी सहायक जैसे कई पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं । हिन्दी की लोकप्रियता के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं । यदि हमें अपनी राजभाषा हिन्दी को जीवित रखना है तो इसे बस साहित्य तक ही नहीं रखना है बल्कि इसे व्यवसाय की भाषा व रोजगार की भाषा भी बनाने की जरूरत होती है । जो भाषा हमें रोजगार देने में असमर्थ होती है उसका दायरा एक दिन खत्म होता चला जाता जाता है वह एक संकुचित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है । आज हिन्दी भाषा व साहित्य पूरे विश्व भर में व्याप्त है । यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में हिन्दी भाषा लगभग एक सौ पैंतीस देशों में बोली जाती है । हिन्दी भाषा के इस तेजी से बढ़ते चलन ने हिन्दी के क्षेत्र में रोजगार के नए नए दरवाजे खोल दिए है जहाँ हिन्दी की अपनी एक अलग जगह है अपनी एक अलग पहचान है । कुछ क्षेत्र इस प्रकार हैं जहाँ हिन्दी में रोजगार के अवसर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

सुनीता मिश्रा

हिन्दी अधिकारी- भारत सरकार के निजी संस्थान में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति होती है द्य हिन्दी भाषा अधिनियम के आधार पर जितने भी संस्थान हैं उनमें हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे जिनकी नियुक्ति विभिन्न बैंकों द्वारा की जाती है ।

हिन्दी अनुवादक- कई संस्थान द्वारा कांट्रेक्ट के आधार पर अनुवादक की नियुक्ति की जाती है द्य अंतर्राष्ट्रीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी या विदेशी भाषाओँ में लेख लिखने वाले लेखकों के लेख का अनुवाद हिन्दी में इनके द्वारा किया जाता हैं । प्रिंट मीडिया व सरकारी विभागों में भी इन अनुवादकों की नियुक्ति की जाती है ।

टीचिंग में हिन्दी- टीचिंग में हिन्दी के प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है । नर्सरी से पीजी तक के हिन्दी टीचर होते हैं । बी.ए, बी. एड, एम.फिल, पी.एचडी जैसी डिग्रियां हिन्दी में लेकर हम विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी के टीचर के पद पर नौकरी पा सकते हैं ।

पत्रकारिता में हिन्दी- आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दी में अधिक संभावनाएं हैं । मेहनती और जागरूक युवाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर हैं । इस समय हिन्दी में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों और समाचार चैनलों की संख्या में अधिक से अधिक हिन्दी भाषा के ही हैं और भी कई चैनल और पत्र-पत्रिकाएं है जो हिन्दी में हैं जो युवाओं को कार्य करने का मौका दे रही हैं । जो भी युवा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर देख रहें हैं उन्हें अपनी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी ।

हिन्दी में रचनात्मक लेखन- इस क्षेत्र में लेखन कार्य करने वाले जो लेखक होते हैं उनके पास लिखने के दो तरीके होते हैं- एक तो स्वतंत्र रूप से लिखना और दूसरा टी.वी, रेडियो व फिल्म के लिए लिखने का कार्य करना । इन दोनों के लिए लिखना लगभग एक जैसा ही काम है दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है ।

समाचार वाचक और रेडियो जॉकी के क्षेत्र में- इस क्षेत्र में सबसे कलात्मकता पूर्ण आपकी आवाज का होना है, जो कानों में पड़ते ही कोई इसे कभी भुला न सके । उदाहरण के तौर पर रेडियो पर सुनी गयी अमीन सयानी की आवाज 'जी हाँ भाईयों और बहनों' शायद ही कोई होगा जो इसे भूला होगा । रेडियो में एफ एम् चौनलों पर रेडियो जॉकी की आवाजें जिन्हें हम सभी बेहद पसंद करते हैं, इसी तरह समाचार वाचक का कार्य होता है। उनको एक प्रभावशाली आवाज

में समाचार पढ़ने का कार्य और देश-विदेश से जुडी खबरें हिन्दी भाषा में देने का कार्य करना होता है । इससे सम्बंधित कोर्स भी आजकल कराये जाते हैं ।

वर्तमान दौर में हिन्दी की स्थिति- हिन्दी के विकास की बात की जाए तो यह कई बोलियों से निकली है, जिसकी प्रमुख जड़ संस्कृत भाषा में है । हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा के दो पहलू हैं, लेकिन लिपि और शब्दावली में भिन्न हैं । हिन्दी को हम देवनागरी में लिखते है और उर्दू को अरबी लिपि में लिखा जाता है । एक आम भाषा के रूप में हिन्दी के द्वारा पूरे उत्तर भारत में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापार को किया जाना संभव हुआ । हिन्दी को हम आपसी संपर्क की भाषा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, हर जगह चाहे मार्केट में हो, ट्रेनों, बसों या कहीं बाहर पर्यटन स्थल पर हर जगह हम हिन्दी का प्रयोग करते हैं ।

यदि भाषा की प्रमुखता की बात की जाए तो लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को एक आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देश में हिन्दी केवल संचार के मध्य ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत और देश की एकता और अखंडता की अभिव्यक्ति और वाहक भी हिन्दी है । यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषा होने के बाद भी हिन्दी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है । एक क्षेत्रीय से राष्ट्र भाषा तक का सफर तय करने में हिन्दी भाषा भारत के सामाजिक राजनीतिक सभी प्रकार के ताने-बाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है एक भाषा के रूप में हिन्दी अपने लचीलेपन को प्रदर्शित करती है । देश में इसकी एक गहरी पैठ हैं । करीब 43% से अधिक लोग हिन्दी भाषा बोलते हैं । कई राज्यों की यह प्राथमिक भाषा है कुछ में द्वितीय भाषा के रूप में कार्य करती है। यह सब इसकी एक बड़े स्तर पर पहुंच और स्वीकार्यता को दर्शाता है। सिनेमा के स्तर से देखा जाए तो साल में अनगिनत हिन्दी फिल्में बनती हैं जो दर्शकों द्वारा एक बड़े स्तर पर देखी जाती हैं और पसंद की जाती है और देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना एक अलग स्थान बनाती हैं ।

आज के दौर में हिन्दी की स्थिति की बात की जाए तो हिन्दी ने स्वयं को आधुनिकता के साथ जोड़ा है, चाहे सोशल मीडिया हो या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो उन सभी में हिन्दी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है । विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, सृजनात्मक व मनोरंजन से भरपूर सामग्री हमें यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाती है । अपनी बात को लोगों के सामने रखने के लिए लोग फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग हिन्दी भाषा में ही कर रहे हैं । इसे और अधिक लचीला और सहज बनाने के लिए कई अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिन्दी में ही अपनाया जा रहा है- ट्रेन, स्टेशन आदि ।

हिन्दी एक विश्व भाषा के रूप में अपनाई जाती है क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्यां में लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है और यह राष्ट्र भाषा के रूप में जानी जाती है । शैक्षिक दृष्टि से देखा जाये तो भी हिन्दी का महत्व अधिक है । भारत में स्थित विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा को एक विषय के रूप में पढाया जा रहा है । हिन्दी देश की विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एकजुट करने का काम करती है । इस भाषा के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह संवाद स्थापित करने का कार्य करते हैं । आजकल के इन्टरनेट और डिजिटल के दौर में हिन्दी का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है सोशल मीडिया, ब्लॉग, वेबसाइट, और वीडियो कंटेंट के माध्यम से हिन्दी भाषा में संवाद बढ़ने के साथ साथ हिन्दी में सामग्री भी बढ़ रही है इस भाषा में पढने और समझने वालों की संख्या बढती जा रही है। चाहे गूगल हो या यूट्यूब, फेसबुक या अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर किसी ने हिन्दी को एक प्रमुख भाषा का दर्जा दिया और अपनाया है ।

यह केवल एक भाषा के रूप में ही नहीं बल्कि ये समाज की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के आधार के रूप में भी है । इसका संरक्षण आवश्यक है जिससे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी पहचान को बनाये रख सके । हिन्दी साहित्य, संगीत, और लोक कला इन चीजों को बढ़ावा देकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को हिन्दी भाषा की समृद्द और शक्तिशाली परंपरा से जोड़े रख सकते हैं और आने वाले समय में हिन्दी के भविष्य को बनाये रख सकते हैं ।

-सुनीता मिश्रा
शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

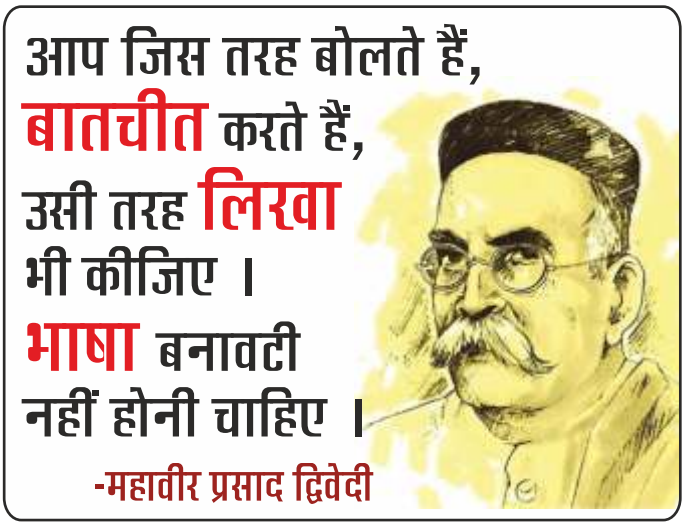

युवा मत

हिन्दी का उचित स्थान: आठवीं अनुसूची या राष्ट्रभाषा?

भाषा का सृजनात्मक आचरण के समानांतर जीवन के विभिन्न व्यवहारों के अनुरूप भाषिक प्रयोजनों की तलाश हमारे दौर की अपरिहार्यता है । इसका कारण यही है कि भाषाओं के संप्रेषणपरक कार्य कई स्तरों पर और कई संदर्भों में प्रयुक्ति सापेक्ष होता गया है । प्रयुक्ति और प्रयोजन से रहित भाषा अब भाषा ही नहीं रह गई है । भाषा की पहचान केवल यही नहीं कि उसमें कहानियों और कविताओं का सृजन कितनी संप्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापकतर संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल यह भी है कि उसमें सामाजिक संदर्भों और नए प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है । इधर संसार भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे -धीरे विकसित हुई है । रोजी-रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है- वर्गभाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा आदि ।

जितने अधिक विषयों में कोई भाषा प्रयुक्त होती जाती है, उतने ही अधिक उसके अलग-अलग रूप विकसित होते जाते हैं, हिन्दी के साथ भी यही हुआ । हिन्दी बहुरूपी है । संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, शिक्षण हिन्दी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ज्ञान की भाषा और वाणिज्य की भाषा जैसे संदर्भों में हम हिन्दी की पहचान बखूबी कर सकते हैं । हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में विभिन्न रूपों में विकसित हुई, जो एक अर्थ में जनतांत्रिक विकास की विशिष्ट कसौटी कही जा सकती है ।

राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: तीन क्षेत्रों में अभिप्रेत है- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका । इन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं । यह कार्य अब तक अंग्रेजी के द्वारा होता रहा है । अब राजभाषा के रूप में उसका स्थान हिन्दी को दिया जाना है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हिन्दी प्रादेशिक या राज्य की भाषा को किसी प्रकार नुकसान पहुंचाएगी । हिन्दी उनका पोषण करेगी और कर भी रही है । भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल हैं । इन भाषाओं को विशेष संवैधानिक संरक्षण और मान्यता प्राप्त है तथा इनका प्रयोग उच्चतर शिक्षा और राजकीय कार्यों में किया जा सकता है ।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं- असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ।

आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है । भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा-

1. संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंको का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा ।

2. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए होता रहेगा जिनके लिए वह प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग की जा रही थी । परन्तु राष्ट्रपति, उक्त अवधि के दौरान, सार्वजनिक हित में आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वाराख्र (क) अंग्रेजी भाषा का, या (ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और ससंद की समिति -

1. राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और हर आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निश्चित की जाएगी ।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, इ. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनो, अनुच्छेद 348 में उल्लेखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य की बीच या राज्य और दूसरे राज्यों के बीच पत्र आदी की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें ।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगा ।

4. एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 20 लोक सभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा

अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन सिफारिशों पर अपने मत देने वाले प्रतिवेदन दे । (6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, उस संपूर्ण प्रतिवेदन या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा ।

351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश-

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी भाषा तथा आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक हो या उचित हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे ।

राजभाषा हिन्दी के लिए संघ शासन की ओर से निम्नलिखित आयोग और ट्रस्ट गठित किए गए हैं:-

1. राजभाषा आयोग (1955)

2. संसदीय राजभाषा समिति (1959)

3. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग- यह आयोग पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का कार्य करता है ।

4. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय- प्रशासनिक एवं विधि शब्दावली, प्रशिक्षण आदि

5. साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय बुक न्यास- उच्च कोटि के विदेशी साहित्य को सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत और सम्मानित करना ।

6. चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट- बाल साहित्य का प्रकाशन ।

हिन्दी भाषा स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि से ही सभी भारतीय जनों के हृदय में राष्ट्रभाषा की संकल्पना के रूप में विद्यमान रही है और आज भी अधिकांश भारतीय अनौपचारिक रूप से इसे ही राष्ट्रभाषा मानते हैं । हालांकि, औपचारिक रूप से हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है । भारत में यह राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में ।

प्रबुद्ध और प्रखर नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्र को गर्विला नारा देते हुए कहा- "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।" उनका पूर्ण विश्वास था देवनागरी लिपि में केवल हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है-

तिलक लिखते हैं:- "मेरी समझ में हिन्दी भारत की सामान्य भाषा होनी चाहिए यानी समस्त हिंदुस्तान में बोली और समझी जाने वाली भाषा होनी चाहिए ।" 2)

"उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से बीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक पूरा राष्ट्र जिस मूल्य की साधना करता रहा, वह था स्वातंत्र्य । इस स्वातंत्र्य की भी वाहिका बनी हिन्दी । जब तक स्वाधीनता का बोध केवल थोड़े से बुद्धिजीवियों तक सीमित था, तब तक "कण्टेक्टेनेव कण्टकम्" की नीति से अंग्रेजों के प्रभुत्व को अंग्रेजी के द्वारा हटाने का प्रयत्न होता रहा, पर ज्यों ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गाँधी ने स्वाधीनता के आग्रह को जनता के सत्य के आग्रह के रूप में देखना शुरू किया त्यों ही स्वदेशी और हिन्दी स्वाधीनता के पर्याय बन गए । हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्रीय स्वाधीनता की पूर्णतम अभिव्यक्ति हुई । हिन्दी भाषी क्षेत्र में इसी से सबसे अधिक अदम्य विद्रोह बार-बार उमड़ता रहा, 'पराधीन सपनेहुँ सुखनाही' का बोध दहकता रहा । राष्ट्रीय स्तर पर स्वाधीन शिक्षा के प्रयोग के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार सभा जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई।"3)

हिन्दी राष्ट्रभाषा किसी कानून से, किसी बहुमत से या किसी अनुचित दबाव से नहीं, बल्कि स्वाधीनता के यज्ञ में आहुति देने वाले प्रत्येक यजमान तथा उसके ऋत्विजों की श्रद्धा से और स्वाधीनता की आवश्यकता से बनी । हिन्दी को राष्ट्रभाषा भूगोल ने नहीं, इतिहास ने बनाया । वह इतिहास हम से काट दिया जाए तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा । हिन्दी को राष्ट्रभाषा नेताओं ने नहीं, नेताओं को नेता बनाने वाली उस भारतीय जनता ने बनाया जो संतों के सत्य की भाँति दूब बनकर बिछी रही, जिसे कुचलकर भी कुचला न जा सका । जिसे कोई भी आतताई उन्मूलित न कर सका । उस खेतिहर जनता ने अपढ़ पर भीतर से संस्कृत जनता ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया । उस जनता की आकांक्षा को व्यक्त करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठान को सबसे बड़ी प्रतिष्ठा देने के लिए, अहिन्दी भाषी दूरदर्शी जननायकों ने हिन्दी के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाया ।

श्री किशोरीदास वाजपेयी स्वाधीनता संग्राम के दौरान तत्कालीन नेताओं की राष्ट्रभाषा के प्रति सोच को इन शब्दों में व्यक्त किया है- 'अनेक बंगाली, गुजराती, पंजाबी, और महाराष्ट्रिये नेता यह उद्योग कर रहे थे कि अपने राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जो अंतर प्रांतीय व्यवहार का माध्यम बन सके और आगे चलकर जब देश स्वतंत्र हो, यही अपनी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी भाषा का स्थान ग्रहण करके देश की केंद्रीय सरकार की भाषा बने।'

संदर्भ -

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी, विनोद गोदरे पृ स. 104 से उद्धृत
2. डॉ. लक्ष्मीकांत वर्मा: हिन्दी आंदोलन, पृ स.23 से उद्धृत
3. विद्यानिवास मिश्र: हिन्दी और हम , पृ. स 249 से 250 से उद्धृत
4. किशोरीदास वाजपेयी: राष्ट्र भाषा का इतिहास, पृ स. 23 से उद्धृत

-दीपिका
बी.ए. ऑनर्स (हिन्दी)
श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, पंजाबी बाग, दिल्ली

राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में हिन्दी का महत्व

मधु अग्रवाल

भारत एक विशाल देश है। इस देश में विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, किन्तु सबकी राष्ट्रीयता भारतीय ही है । भारत के समस्त नागरिक भारत के लिए समर्पित हैं । इनका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पूर्ण रूप से भारत से जुड़ा है द्य सच्चे अर्थों में यहाँ के नागरिकों का सर्वांगीण विकास ही भारत का विकास है । यहाँ के नागरिकों की अस्मिता और आत्म गौरव भी भारत की अस्मिता और आत्म गौरव है । राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है- राष्ट्र की भाषा । ऐसी भाषा जिसे राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता समझती और व्यवहार में लाती है । राष्ट्रभाषा ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है । एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं। अनेक प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक भी है । जिसके लिए हमें राष्ट्रभाषा के विभिन्न कार्यों पर विचार करना चाहिए । राष्ट्रभाषा के प्रमुख कार्य हैं-राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों अथवा राज्य की सरकारें तथा जनता के मध्य संपर्क रखना । केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में संपर्क रहना चाहिए । न्यायालयों, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों के निर्णय को उचित रूप में प्रकाशित करना एवं राष्ट्रीय एकता का प्रचार करना, राजनीतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, प्रादेशिक आदि विषयों की उपयोगी पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की योग्यता बनाए रखना यही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रकाशित होता है ।

सार्वदेशिकता और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में हिन्दी की अनेक भूमिकाएं हैं। प्रादेशिकता, राष्ट्रीयता, सार्वदेशिकता, एकता, अखंडता, जनपदीयता, सांस्कृतिक, सामाजिकता, अंतर्राष्ट्रीयता, भारतीयता, सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता। भारतीय साहित्य की बहुआयामी एकता हिन्दी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का मूल आधार है। साहित्य सत्य के साथ शिव और सौंदर्य का भी समन्वय करता है। यह हिन्दी साहित्य प्राकृतिक धरोहर के रूप में सबको प्राप्त हुआ है। हर भाषा की अपनी विशेषता है, सुगंध है, सुरभि है, तमिल का संगम साहित्य, तेलुगु का अवधान साहित्य, मलयालम का मणिप्रवालम, पंजाबी का रमा आख्यान, मराठी का पवाड़ा, गुजराती का फाग, बंगला का मंगल गीत, असमिया का तुरंग गीत, उर्दू का गजल, हिन्दी के भक्ति पद छाया काव्य और प्रयोग पद्य भारतीय साहित्य उद्यान के अनमोल फूल हैं। यही भारत की महानता है इन सभी अनमोल फूलों को एक धागे में पिरोकर मां भारती के गले में डालने की ऐसी माला होगी जिसे किसी देश ने कभी तैयार नहीं किया।

हिन्दी को देश भर के मनुष्यों ने सींचा है, संवारा है। भारत की हर भाषा ने इसे समृद्ध किया है। अवतरण काल से ही हिन्दी की भारतीय भाषाओं के शब्दों के वरदान मिलते रहे और फलस्वरुप अब हिन्दी के पास गर्व करने योग्य तथा हर स्थिति का मुकाबला करने योग्य शब्द सामर्थ्य है। हिन्दी सबके प्रति कृतज्ञ है।

हिन्दी भारत के आम आदमी की जरूरत की भाषा के रूप में जैसे प्रकृति की कोख से पैदा हुई।

किन्तु यह कहना कठिन है कि हिन्दी का जन्म भारत के किस प्रदेश में हुआ?

यह भाषा भारत में सर्वत्र है, और भारत के बाहर तक है। यह सब आदमी की परिस्थिति और कृति दोनों में देश की सामाजिक संस्कृति का संवाहक रही है।

हिन्दी विकास भारत की लोक चेतना का विकास है। हिन्दी के शब्दों में अर्थ व्यंजकता है। संक्षिप्तता उच्चारण और सुखद नादमयता है, इसी कारण यह शीघ्रता से ग्रहण की जाती है। इस संबंध में कुछ विद्वानों के विचार भी दृष्टव्य हैं।

यदि मैंने हिन्दी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गाँव-गाँव में जाकर भूदान, ग्रामदान का क्रांति पूर्ण संदेश जनता तक न पहुंचा सकता। (विनोबा भावे)

'भारत की राष्ट्रभाषा होने के लायक केवल हिन्दी ही है'। (महात्मा गांधी)

राष्ट्रभाषा किसी एक व्यक्ति या राज्य की संपत्ति नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की संपत्ति है।

भारत और भारतीयता को एक दूसरे से भिन्न नहीं किया जा सकता है। भारत वर्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और काम रूप से लेकर कच्छ तक एक है।

भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है। इस देश की एकता जितनी प्रकट है उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं। इस देश में पारस्परिक द्वेष क्यों इतना प्रबल हो रहा है?

विभिन्न जलवायु और क्षेत्रीय असुविधा के कारण, लोगों के खान-पान और रहन-सहन में अंतर आ जाता है। इसी कारण उनके स्वभाव में भी विभिन्नता आ जाती है। यही समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता को खोखला कर रही है।

हमारे देश में विविधता का दूसरा लक्षण यहां की भाषाएं हैं। इसके कारण एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी के समक्ष अजनबी हो जाते हैं । उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की भाषाओं का कोई सामंजस्य नहीं बैठता। अगर उत्तरी भारत का व्यक्ति दक्षिणी भारत चला जाए तो उसे वहां की भाषाओं का ज्ञान ना होने के कारण राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी ।

दक्षिण के लोग उत्तर की भाषा अपनाने को तैयार नहीं थे। अत: समय-समय पर अनेक विवाद खड़े होकर राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर रहे थे । जब भी विवाद हुआ तो वह भाषा को लेकर ही था। भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी दक्षिण वालों को स्वीकार नहीं थी, लेकिन राष्ट्रभाषा के पद के लिए हिन्दी को चुनने का दायित्व 19वीं सदी के महान व्यक्तियों पर था। राजा राम मोहन रॉय और बंकिमचंद्र चटर्जी बंगाली थे, जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती थे द्य जिन्होंने हिन्दी में केवल पुस्तकें ही नहीं लिखी बल्कि हिन्दी का वास्तविक आंदोलन शुरू कर दिया।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न कहीं ऊँचा और महान था। इसलिए सभी राष्ट्र की एकता और अखंडता को अपने देश में साकार देखना चाहते थे। उसकी सेवा के लिए हिन्दी को सर्वोत्कृष्ट भाषा का स्थान देने की प्रबल कोशिश रही। पत्र-पत्रिकाएँ राष्ट्रीय एकता को जितना संबल देती हैं उतना अन्य साधन नहीं। उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने में समर्थ कुछ दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और कुछ मासिक पत्र-पत्रिकाएँ थी, जिससे राष्ट्रीय एकता को नया बल मिला।

पत्र-पत्रिकाएँ किसी न किसी रूप में एक अंचल से निकलने के कारण इनसे जन संस्कृति निखरकर आई, जिससे एक स्थान के पाठक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। इसी से हमारी राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो गई।

हर स्थान के रीति रिवाज वहां की प्रकृति, फसलों, जन भाषाओं, जन गीतों, जन कथाओं, लोकोक्तियों, धर्म आदि का ज्ञान हुआ। लोगों के भ्रम का निवारण हुआ और उसमें उस संस्कृति और स्थान के साथ-साथ अपने स्वभाव को एकीकार करने का प्रयास किया। इसी से हमारी राष्ट्रीयता एकता के मार्ग में आने वाले रोड़े हट गए।

इतिहास साक्षी है कि धर्म के नाम पर एक बार भारतवर्ष को दो भागों में विभाजित होना पड़ा और आज भी यही समस्या सामने खड़ी है। वास्तव में धर्म तोड़ने के लिए नहीं जोड़ने के लिए होता है। एक संप्रदाय या धर्म के लोग दूसरे धर्म और संप्रदायों के लोगों की भावना समझने का प्रयत्न करें तभी हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता जीवित रह सकती है नहीं तो अलगाववाद का भयानक रोग इसकी जड़ को खोखला कर सकता है। भारत की भाषाएं साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तु कला और संगीत में आंतरिक रूप से अनोखा सामंजस्य है।

अंग्रेजी और उर्दू को छोड़कर अन्य भाषाओं की वर्णमाला एक सी है, चाहें उनकी लिपियां भिन्न-भिन्न क्यों न हो? वर्णमाला के अक्षर हिन्दी के स्वर अ,आ और व्यंजन क, ख, ग, घ के समान ही आते हैं। लिपि की दृष्टि से भी देवनागरी की ही भांति अन्य भाषाओं की लिपियां भी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। इसी से सिद्ध होता है कि सारे भारतवासी इन्हीं भाषाओं के भाषी हैं।

रामायण, महाभारत और महाकाव्यों से जुड़ी यह कथाएं भारत की सभी भाषाओं में प्राय: एक सी हैं। मानव के विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता है। भारत की जनता की एकता का वास्तविक आधार भारतीय दर्शन और साहित्य है, जो अनेक भाषाओं के लिखे जाने पर भी अंत में एक ही सिद्ध होते हैं। यही हमारी मौलिक एकता है।

'कोटि कोटि कंठों की भाषा,
जनगण की मुखरित अभिलाषा,
हिन्दी है पहचान हमारी,
हिन्दी हम सब की परिभाषा।'

हमारी एकता का एक और प्रमाण हमारी सांस्कृतिक एकता है उत्तर या दक्षिण हम जहां भी चले जाएंगे, भाषा के अतिरिक्त हमें सब स्थानों पर एक ही जैसे मंदिर, तिलकधारी पंडित और पुजारी दिखाई देंगेद्य यह बात मात्र हिन्दुओं में ही नहीं अन्य धर्मों को मानने वालों में भी है। देश के सभी कोनों में बसने वाले अन्य समुदाय के भीतर जहां एक धर्म को लेकर एक तरह की पारस्परिक एकता है वहां सांस्कृतिक रूप से हिंदुओं के करीब है, क्योंकि इनके पूर्वज हिंदू थे। आर्य और अनार्य को संस्कृति की एकता के संदर्भ में अनार्य (राक्षस वर्ग) दोनों को ही एकाकार करने का प्रयत्न रामायण में किया गया है। युधिष्ठिर के द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ में सारे विश्व के सम्राट एक हो गए। इसी तरह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सारे देश को एक शासन सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया।

समय की गति के साथ-साथ नरेशों के समान ही यहां के संतों का भी यही प्रयास रहा है कि भारत की राष्ट्रीय एकता सदा सुदृढ़ रहे। जगतगुरु शंकराचार्य ने तो भारतवर्ष के चारों कोनों में चार धामों की स्थापना करके राष्ट्रीय एकता का शंखनाद किया ।

इतिहास बताता है कि शताब्दियों से जिस किसी को भी जनसंपर्क करने की आवश्यकता हुई उसने हिन्दी माध्यम का उपयोग किया। राष्ट्रीयता का उदय, सांस्कृतिक जागरण और आंदोलन हिन्दी साथ-साथ हुआ और प्रकाश की किरणें फूटी बंगाल से, केरल से। इसीलिए हिन्दी भाषियों की देन नहीं, वह तो महाराष्ट्र के संतों की देन है, केरलियों की देन है, मनुष्य की देन है, बंग मनीषियों की देन है। अंत में मैं यही कहूंगी -

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे ना हिए का शूल"।

-मधु अग्रवाल
शिक्षिका, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल
ए-ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली

भारतीय भाषा दिवस

11 दिसम्बर

चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती

11 दिसंबर 1882 - 11 सितम्बर 1921

प्रसिद्द तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि सुब्रमण्यम भारती अपने समय में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु माने जाते थे । भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन (11 दिसम्बर) को 'भारतीय भाषा दिवस' के रूप में मनाना एक बार फिर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा।

चित्रास्वामी सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और बहुभाषाविद् थे। उनको 'महाकवि भारतियार' के नाम से भी जाना जाता है। कविता में उत्कृष्टता के लिए उन्हें भारती' की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी थे और उन्हें सर्वकालिक महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है। वह अपने उपनाम भारती/ भारतियार' और दूसरी उपाधि 'महाकवि भारती' ('महान कवि भारती) से भी लोकप्रिय हैं। उनके कई कार्यों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति जगाने वाले गीत शामिल थे। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और समाज एवं धर्म में सुधार के लिए खड़े हुए।

1882 में तिरुनेलवेली जिले (वर्तमान थूथुकुडी) के एट्टायपुरम में जन्मे भारती की प्रारंभिक शिक्षा तिरुनेलवेली और वाराणसी में हुई और उन्होंने द हिंदू, बाला भारतम, विजया, चक्रवर्ती, स्वदेश मित्रम और भारत सहित कई समाचार पत्रों में एक पत्रकार के रूप में काम किया। वे बाहरी दुनिया को देखने के बड़े उत्सुक थे। विवाह के बाद सन् 1898 में वे उच्च शिक्षा के लिये बनारस चले गये। अगले चार वर्ष उनके जीवन में "खोज" के वर्ष थे। बनारस प्रवास की अवधि में उनका हिन्दू अध्यात्म व राष्ट्रप्रेम से साक्षात्कार हुआ। सन् 1900 तक वे भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में पूरी तरह जुड़ चुके थे। 1908 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पांडिचेरी जाना पड़ा, जहां उन्होंने दस वर्ष वनवासी की तरह बिताए। इसी दौरान उन्होंने कविता और गद्य के माध्यम से आजादी की बात कही। 'साप्ताहिक इंडिया' के द्वारा वह आजादी की प्राप्ति, जाति भेद को समाप्त करने और राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान के लिए जुटे रहे। आजादी के आन्दोलन में 20 नवम्बर 1918 को वे जेल गए।

तमिल साहित्य पर उनका प्रभाव अभूतपूर्व है, हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि वे 3 गैर-भारतीय विदेशी भाषाओं सहित लगभग 32 भाषाओं में पारंगत थे। उनकी पसंदीदा भाषा तमिल थी। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर लेखन किया। भारती द्वारा रचित गीत और कविताएँ तमिल सिनेमा में अक्सर उपयोग किए जाते हैं और दुनिया भर के तमिल कलाकारों के साहित्यिक और संगीतमय प्रदर्शनों में प्रमुख बन गए हैं।

RNI No. : DELHIN/2017/73904

हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी

(भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संवर्धन को समर्पित संस्था)

पंजीकृत कार्यालय : म.नं. 3675, राजा पार्क, शकूरबस्ती, दिल्ली-110034

दूरभाष : 09873556781, 09968097816

E-mail : info@hindustanibhashaakadami.com
hindustanibhashabharati@gmail.com
Website : www.hindustanibhashaakadami.com